



भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष का

( वाणिज्यिक )

मध्यप्रदेश सरकार

## विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
<b>प्रस्तावना</b>		(vii)
<b>विहंगावलोकन</b>		(ix to xiii)
<b>अध्याय-1</b>		
<b>सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन</b>	1	1-17
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	1.2 - 1.13	2-9
विद्युत क्षेत्र में सुधार	1.14-1.15	9-10
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	1.16 -1.20	10-12
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति	1.21	12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.22	12
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम	1.23-1.29	12-15
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देश पर आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में सुधार हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन	1.30	15-16
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुशंसायें	1.31	16
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.32	16-17
619-बी कंपनियाँ	1.33	17
<b>अध्याय-2</b>		
<b>सरकारी कंपनी से संबंधित समीक्षा</b>		
मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित की कार्यप्रणाली	2	19-40
मुख्यांश		19-20
प्रस्तावना	2.1	20

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
संगठनात्मक संरचना	2.2	20-21
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.3	21-22
वित्त व्यवस्था एवं संसाधन	2.4	22
वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	2.5	22-23
क्रियाकलापों का मूल्यांकन	2.6	23-25
विकास केन्द्रों/उपकेन्द्रों का कार्य निष्पादन	2.7	25-26
प्रशिक्षण	2.8	26-27
विक्रय निष्पादन	2.9	27-28
एम्पोरियमों का कार्य निष्पादन	2.10	28-32
प्रदर्शनियों में कार्य निष्पादन	2.11	32-33
निर्यात	2.12	33-34
हथकरघा क्रियाकलाप	2.13	34-36
सामग्री- प्रबंधन एवं स्टॉक नियंत्रण	2.14	37
लंबित बकाया ऋण	2.15	38
आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण	2.16	38-39
निष्कर्ष		40
अध्याय-3		
सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षायें		
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में ईधन प्रबंधन	3	41-53
मुख्यांश		41-42
प्रस्तावना	3.1	42
संगठनात्मक संरचना	3.2	42
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.3	42-43
कोयला क्रय प्रक्रिया	3.4	43-46

ताप क्षमता	3.5	46-47
कोयले का परिवहन	3.6	47-48
कोयले की तुलाई	3.7	48-50
तेल की अधिप्राप्ति एवं खनन	3.8	50-52
पुराने दावों के निराकरण में हानि	3.9	52-53
निष्कर्ष		53
अध्याय-4		
लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	4	
प्रस्तावना		
सरकारी कम्पनियाँ		
<b>मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित</b>		
परिहार्य ब्याज दायित्व	4.1	55-56
विशिष्ट उद्देश्य के लिये आहरित निधियों का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.2	57
<b>मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित</b>		
भवन के विक्रय पर परिहार्य हानि	4.3	58-59
<b>मध्यप्रदेश राज्य पर्यटक विकास निगम मर्यादित</b>		
परिहार्य अर्थदण्ड तथा अतिरिक्त मांग प्रभारों का भुगतान	4.4	59-60
<b>मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित</b>		
ऋणपत्रों का अनियमित निर्गमन	4.5.1	60-62
पुनर्भुगतान में विफलता के कारण परिहार्य अतिरिक्त ब्याज देयता	4.5.2	62-63
इंटर कॉर्पोरेट लोन के अविवेकपूर्ण नियोजन के कारण हानि	4.5.3	63-64
अनुचित पक्षपात को बढ़ावा	4.5.4	64-65
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब	4.6	65-69

		संदर्भ	कंडिका	पृष्ठ
<b>सांविधिक निगम</b>				
<b>मध्यप्रदेश राज्य विद्युत निगम</b>				
विद्युत प्रदाय विच्छेद में विलम्ब के कारण हानि	4.7	69-70		
अग्निरक्षक प्रणाली का अधिष्ठापन न होना	4.8	70		
ट्रांसफार्मर की मरम्मत न होने/वापसी न होने के कारण हानि	4.9	71		
आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियाँ	4.10	71-76		
<b>मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम</b>				
निःशुल्क पास अनियमित रूप में जारी करना	4.11	76-77		
कर का परिहार्य भुगतान	4.12	77		
टायर रिट्रेंडिंग प्लाण्टों के कार्य प्रदर्शन सहित टायर, ट्यूब एवं फ्लेपों की अधिप्राप्ति एवं संधारण	4.13	77-83		
<b>सामान्य</b>				
निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारूप कंडिकायें एवं समीक्षाओं के प्रत्युत्तर	4.14	83-84		
<b>क्रम संख्या</b>	<b>परिशिष्टियाँ</b>			
1	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2004 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र	1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.17		85-88
2	सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.6, 1.7, 1.13, 1.19 एवं 1.20		89-93
3	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूजी में परिवर्तन तथा मार्च 2004 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.5 एवं 1.17		94-96

4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	97-99
5	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	100-102
6	सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.12	103-106
7	मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित के 31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति	2.5	107
8	मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के 31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों के कार्यचालन परिणाम	2.5	108
9	31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों के प्रशिक्षण लक्ष्य, प्रशिक्षित शिल्पकारों की संख्या, प्रशिक्षण पर लाक्षित एवं वस्तुतः किया गया व्यय	2.8	109
10	मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित के 31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों में एम्पोरियम का कार्य निष्पादन	2.10 एवं 2.10.2	110
11	कोयले की आवश्यकता, स्थायी संयोजन समिति द्वारा कोयले का आबंटन, वास्तविक प्राप्ति और कोयले की कम प्राप्ति के कारण विद्युत उत्पादन की हानि के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.4.1	111
12	1999-2004 के वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत गृहों द्वारा प्राप्त निम्न ताप क्षमता के कारण ताप की अधिक खपत	3.5	112-114
13	1999-2004 के वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत केन्द्रों में परिवहन के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से कोयले की प्राप्ति	3.6	115
14	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत गृहों में तेल की अधिक खपत	3.8.1	116
15	देय तिथि से 31 मार्च 2004 तक का ब्याज का विवरण पत्र	4.5.2	117
16	मध्यप्रदेश राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 30 सितम्बर 2004 को बकाया लेखाओं की स्थिति	4.6.4	118-120

17	अध्ययन के लिये चयनित छ: सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं की अवधि दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.6.4	121	
18	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलम्ब	4.6.6	122	
19	संचालक मण्डल द्वारा लेखाओं के अनुमोदन में विलम्ब	4.6.7	123	
20	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अभ्युक्तियों के उपरान्त वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित करने में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.6.8	124	
21	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों, लेखापरीक्षित इकाईयों, स्थापित लेखापरीक्षा दलों तथा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा पर किये गये व्यय का विवरण पत्र	4.10.3	125-126	
22	1999-2004 के दौरान मध्यप्रदेश सङ्कर परिवहन निगम में टायरों के उपयोग का विवरण पत्र	4.13.5	127	
23	1999-2004 के दौरान मध्यप्रदेश सङ्कर परिवहन निगम में टायरों को रद किये जाने का विवरण पत्र	4.13.6	128	
24	मध्यप्रदेश सङ्कर परिवहन निगम के रिट्रीड रबर का ऊँची लागत पर फुटकर क्रय किये जाने के कारण हुये अतिरिक्त व्यय का विवरण पत्र	4.13.10	129	
25	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं का विवरण पत्र	4.14	130	

## प्रस्तावना


भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं, वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:

- (i) सरकारी कंपनियां
- (ii) सांविधिक निगम, तथा
- (iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

यह प्रतिवेदन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल सहित सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) मध्यप्रदेश सरकार में समाविष्ट किए गए हैं।

सरकारी कंपनियों की लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो कि सांविधिक निगम हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्त निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से निगम द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उन लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भी अधिकार है। मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखापरीक्षा करने का भी उनको अधिकार प्राप्त है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से प्रेषित किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित किए गए हैं जो वर्ष 2003-04 के दौरान ज्ञात हुए और वे भी जो विगत वर्षों में प्रकाश में आए किंतु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नहीं किया गया। जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया 2003-04 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी समाविष्ट किए गए हैं।



## उत्तराखण्ड राज्यपाल द्वारा निर्धारित अवधि के बारे में सांख्यिकीय जारी करने का नियम

31 मार्च 2004 को राज्य में 34 सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों सहित 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 34 सरकारी कंपनियों में से 25 कार्यशील कंपनियां थीं जबकि नौ अकार्यशील कंपनियां थीं। सभी चार सांविधिक निगम कार्यशील निगम थे। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के नियमाधीन एक कंपनी थी।

**(कांडिका 1.1 एवं 1.33)**

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में 31 मार्च 2003 को 5,378.38 करोड़ रुपये का कुल निवेश घटकर 31 मार्च 2004 को 4,934.12 करोड़ रुपये रह गया। इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में कुल निवेश 207.01 करोड़ रुपये से घटकर 198.99 करोड़ रुपये रह गया।

**(कांडिका 1.2 एवं 1.16)**

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को पूंजी, ऋणों एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया बजटीय योगदान 2002-03 में 910.38 करोड़ रुपये से घटकर 2003-04 में 56.38 करोड़ रुपये रह गया। 2003-04 के दौरान राज्य सरकार ने कुल 530.05 करोड़ रुपये के ऋणों की गारंटी दी। राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों की कुल लंबित राशि 31 मार्च 2003 को 3,846.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 5,020.14 करोड़ रुपये हो गई।

**(कांडिका 1.5 )**

चार कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा निरंक सांविधिक निगमों ने वर्ष 2003-04 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है। शेष 21 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2004 को एक वर्ष से छः वर्ष तक की अवधि के लिये लंबित थे। एक अकार्यशील सरकारी कंपनी ने वर्ष 2003-04 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया तथा शेष आठ अकार्यशील सरकारी कंपनियों के लेखे 30 सितंबर 2004 को एक से 14 वर्षों तक की अवधि के लिये लंबित थे।

**(कांडिका 1.6 एवं 1.19)**

### 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार 12 कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों (9 सरकारी कंपनियों तथा तीन सांविधिक निगम) ने कुल 481.54 करोड़ रुपये की हानि उठाई। दूसरी ओर, अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 कार्यशील उपक्रमों (11 सरकारी कंपनियों तथा एक सांविधिक निगम) ने कुल 31.21 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान तीन कार्यशील सरकारी कंपनियों ने 1.14 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियों में से तीन कंपनियों की संचित हानियां कुल 596.50 करोड़ रुपये की थीं, जो उनकी 83.64 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थीं। हानि उठाने वाले तीन सांविधिक निगमों की संचित हानियां 3146.99 करोड़ रुपये थीं जो उनकी 399.51 करोड़ रुपये की प्रदत्त-पूंजी से अधिक थीं।

(कांडिका 1.7, 1.8, 1.9 एवं 1.11)

सात कार्यशील सरकारी कंपनियों के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी उनका व्यक्तिगत टर्नओवर अंतिम रूप से संवरित उनके लेखाओं के अनुसार पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रुपये से कम था। ऐसी स्थिति में उक्त सात सरकारी कंपनियों के कार्यनिष्पादन में सरकार या तो सुधार के उपाय करे अथवा इनको बन्द करने पर विचार करे।

(कांडिका 1.31)

### मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित नवम्बर 1981 में, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित की सहायक कम्पनी के रूप में निर्गमित किया गया था और इसका नाम मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित के रूप में परिवर्तित किया गया (अक्टूबर 1999)।

➤ मार्च 2003 के अंत में, कम्पनी की 2.92 करोड़ रुपये की संचित हानि ने 1.28 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी को खत्म कर दिया।

(कांडिका 2.5)

➤ योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त अनुदानों का उपयोग करने के लिये कम्पनी ने योजना तैयार नहीं की। 1998-2003 के दौरान प्राप्त 42.97 करोड़ रुपये के अनुदानों में से अवधारित प्रयोजनों हेतु केवल 30.16 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया तथा शेष 12.81 करोड़ रुपये को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति में उपयोग किया गया।

(कांडिका 2.6)

- 4.35 करोड़ रुपये के अनुदानों का आय के रूप में लेखांकन करने के उपरान्त भी 1998-2003 के दौरान एम्पोरियमों के कार्यचालन में 1.15 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 2.10)

- विक्रय कर संग्रहण और सरकार को उसके प्रेषण में विफलता के परिणामस्वरूप 95.16 लाख रुपये की परिहार्य देयता प्रकट हुई।

(कंडिका 2.13.1)

### (३.१.१) ३.१ सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा

- मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पास चचाई, सारणी तथा वीरसिंगपुर में तीन ताप विद्युत केन्द्र हैं। इन विद्युत केन्द्रों की संयुक्त अधिष्ठापन क्षमता 2272.5 मेंगावाट है।

- 2003-04 तक के पाँच वर्षों के दौरान तीन ताप केन्द्रों ने 73.30 लाख टन कोयला प्राप्त किया जो उनकी आवश्यकता से कम था जिसके परिणामस्वरूप जाहाज के शिळ छांकिए हैं।

(कंडिका 3.4.1)

- मण्डल ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर की अपेक्षाकृत अधिक दर पर भुगतान के कारण कोयले की अधिप्राप्ति पर 24.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(कंडिका 3.4.4)

- निम्न ताप क्षमता के कारण कुल 2.74 मिलियन किलो कैलोरी ताप की अधिक खपत हुई परिणामस्वरूप 491.54 करोड़ रुपये मूल्य के कोयले की अधिक खपत हुई।

(कंडिका 3.5)

- मण्डल ने 50.46 करोड़ रुपये मूल्य के कोयले के गुमशुदा/व्यपवर्तित दैगनों के प्रकरणों के विषय में रेलवे से पत्राचार नहीं किया।

(कंडिका 3.7.3)

- वर्ष 1999-2004 के दौरान अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र एवं सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र ने निर्धारित मानदण्डों से 39,740.66 किलोलिटर तेल की अधिक खपत की जिसके परिणामस्वरूप 59.62 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.8.1)



प्रतिवेदन में समाविष्ट लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में उन कमियों पर प्रकाश डालती हैं जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय उलझनें पैदा हुई। उल्लिखित अनियमिततायें मोटे रूप में निम्नांकित प्रकृति की हैं:-

- इण्टर कॉर्पोरेट लोन के अविवेकपूर्ण नियोजन तथा उच्च लागत वाले ऋणों के पुनर्भुगतान न करने के कारण दो प्रकरणों में 32.14 करोड़ रुपये का अनुत्पादक व्यय/अविवेकपूर्ण निवेश/निधियों का निरोध तथा ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 4.2 एवं 4.5.3)

- आठ प्रकरणों में 33.80 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त/अपरिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.1, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.12, 4.13.5, 4.13.6 एवं 4.13.10)

- सरकारी आदेशों का अनुपालन न किये जाने, परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य की अवहेलना करने, विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने में विलम्ब, दोषपूर्ण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करवाने में विफल रहने, नकद बट्टा प्राप्त न करने तथा बिना स्वीकृति के निःशुल्क पास जारी करने के कारण पाँच प्रकरणों में 7.41 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.3, 4.7, 4.9, 4.11 एवं 4.13.2)

- एक प्रकरण में ऋणगृहीता के साथ अनुचित पक्षपात के परिणामस्वरूप 14.54 करोड़ रुपये की ब्याज हानि हुई।

(कंडिका 4.5.4)

- एक प्रकरण में 36.11 लाख रुपये मूल्य के उपकरणों का स्थापन नहीं किया गया।

(कंडिका 4.8)

- 64.80 लाख रुपये के ऋणपत्रों के अनियमित निर्गमन का एक विविध प्रकरण।

(कंडिका 4.5.1)

कुछ महत्वपूर्ण कंपिकाओं का सारांश निम्नानुसार है:

- मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित द्वारा निधियों की उपलब्धता के उपरान्त भी दायित्वों का पुनर्भुगतान न करने के कारण 1.50 करोड़ रुपये का परिहार्य ब्याज दायित्व वहन करना पड़ा।

(कंडिका 4.1)

- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा मण्डल/राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना उच्च ब्याज दर पर ब्रैणपत्रों के निर्भमन, उसके द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने तथा साथ में संवितरण के उपरान्त निधियों के अनुदीक्षण में विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज के 27.12 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक और फ़ज़स्वरूप 8.32 करोड़ रुपये की ब्याज हानि हुई।

(कंडिका 4.5.1)

- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा ऋणगृहीता से उसके चैक अनादृत हो जाने के उपरान्त भी कॉर्पोरेट लोन की वसूली हेतु कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप 25.78 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुये और 32 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 4.5.3)

- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा फर्म के चूककर्ता होने की बात जानने के बाबजूद और वसूली में विफल रहने पर भी फर्म को बारम्बार इण्टर कॉरपोरेट लोन देने के अनुचित पक्षपात के परिणामस्वरूप 14.40 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुये और 14.54 करोड़ रुपये ब्याज हानि हुई।

(कंडिका 4.5.4)

- दोषपूर्ण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत एवं वापसी के परिवीक्षण में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 4.9)

- मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा सरकार की सर्वीकृति के बिना निःशुल्क पास जारी किये जाने के परिणामस्वरूप 3.05 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 4.11)

- मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा मानदण्डों के विरुद्ध अधिक टायरों के उपयोग के परिणामस्वरूप 1.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 4.13.5)

- मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा समापूर्व नये एवं रिट्रीट किये गये टायरों को समय पूर्व रद्द किए जाने के कारण 7.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 4.13.6)

## अध्याय-1

### सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

#### प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2003 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, 29 सरकारी कंपनियों (20 कार्यशील एवं नौ अकार्यशील कंपनियां<sup>1</sup>) तथा चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) की तुलना में 31 मार्च 2004 को 34 सरकारी कंपनियाँ (25 कार्यशील कंपनियां तथा नौ अकार्यशील कंपनियां) तथा चार सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र में पाँच<sup>2</sup> नई सरकारी कंपनियाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा सीमा में आई सरकारी कंपनियाँ (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिमाणित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त करते हैं। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भी करते हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा का व्यवस्था निम्नानुसार है:-

	निगम का नाम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्थापन
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185(2)(घ) के साथ पठित विद्युत आपूर्ति (वार्षिक लेख) नियमावली 1985 के नियम 14 के अंतर्गत	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा
2.	मध्यप्रदेश सङ्क परिवहन निगम	सङ्क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा
3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
4.	मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	मध्यप्रदेश भंडार गृह अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया तथा उसकी लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम 2003<sup>3</sup> की धारा 104(2) के अंतर्गत अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई।

<sup>1</sup> अकार्यशील कंपनियां वे कंपनियां हैं जो परिसमापन/बंद होने/संविलयन की प्रक्रिया के अधीन हैं।

<sup>2</sup> मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित।

<sup>3</sup> पूर्ववर्ती विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 को विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा बदला गया।

## सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम

### सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.2 मार्च 2003 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के 24 कार्यशील उपक्रमों (20 सरकारी कंपनियां तथा चार सांविधिक निगम) तथा मार्च 2004 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के 29 कार्यशील उपक्रमों (25 सरकारी कंपनियां तथा चार सांविधिक निगम) में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश <sup>4</sup>			
		अंश पूंजी	अंश आवेदन राशि	कर्ज	योग
2002-03	24	530.31	113.78	4,734.29	5,378.38
2003-04	29	530.74	90.34	4,313.04	4,934.12

31 मार्च 2003 को कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के कुल निवेश में 11.98 प्रतिशत अंशपूंजी तथा 88.02 प्रतिशत ऋणों की तुलना में 31 मार्च 2004 को ये क्रमशः 12.59 प्रतिशत एवं 87.41 प्रतिशत थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।


### 31 मार्च 2004 को कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों में क्षेत्र-वार निवेश

31 मार्च 2004 तथा 31 मार्च 2003 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी तथा दीर्घावधि कर्ज) तथा उनकी प्रतिशतता नीचे वृत्त-चित्र में दर्शाए गए हैं:

#### 31 मार्च 2004 को निवेश

(राशि: करोड़ रुपयों में)

(कोष्ठक में दर्शित आंकड़े निवेश का प्रतिशत इंगित करते हैं)




<sup>4</sup> कार्यशील सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश मुख्यतः मध्यप्रदेश सङ्कर परिवहन निगम का मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन होने के कारण कम रहा।

31 मार्च 2003 को निवेश

(राशि: करोड़ रुपयों में)

(कोष्ठक में दर्शित आंकड़े निवेश का प्रतिशत इंगित करते हैं)



\* (विविध में कृषि, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, क्षेत्र विकास, खनन, हथकरघा एवं हस्तकला, वन, पर्यटन तथा सार्वजनिक वितरण समाविष्ट हैं।)

### कार्यशील सरकारी कंपनियां

1.3 मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अंत में कार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या	कार्यशील सरकारी कंपनियों में निवेश			
		अंशपूँजी	अंश आवेदन राशि	कर्ज	योग
2002-03	20	190.31	6.15	577.57	774.03
2003-04	25	221.65	6.15	419.37	647.17

कार्यशील सरकारी कंपनियों में अंशपूँजी एवं कर्जों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2003 को सरकारी कंपनियों में 25.38 प्रतिशत अंश पूँजी तथा 74.62 प्रतिशत कर्जों के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2004 को यह क्रमशः 35.20 प्रतिशत तथा कर्जों का भुगतान एवं 64.80 प्रतिशत था। कर्जों में कमी का कारण एक कम्पनी के कर्जों का अंशपूँजी में परिवर्तन था।

दीर्घावधि ऋणों में कमी हो जाने के कारण कार्यशील सरकारी कंपनियों का ऋण-अंशपूँजी अनुपात 2002-03 में 2.94:1 से घटकर 2003-04 में 1.84:1 रह गया।

## कार्यशील सांविधिक निगम

1.4 मार्च 2004 एवं मार्च 2003 के अंत में चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

निगम का नाम	2002-03		2003-04	
	पूँजी	कर्जे	पूँजी	कर्जे
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल <sup>5</sup>	169.62	3,486.81	169.62	3,486.81
मध्यप्रदेश सङ्क परिवहन निगम	182.37	223.07	141.81	42.68
मध्यप्रदेश वित्त निगम	88.08	445.51	73.79	364.18
मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	7.56	1.33	8.06	--
<b>योग</b>	<b>447.63</b>	<b>4156.72</b>	<b>393.28</b>	<b>3893.67</b>

कार्यशील सांविधिक निगमों में अंश पूँजी एवं कर्जों के रूप में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति परिशिष्ट-1 में दी गई है। सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को छः सरकारी कंपनियों में विभाजित (सितम्बर 2000) किया गया था। इनमें से केवल पाँच कंपनियों को नवम्बर 2001 से मई 2002 में पंजीकृत की गई। परिसंपत्तियों, देयताओं एवं कर्मचारियों के हस्तांतरण को अंतिम रूप से न दिये जाने के चलते मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के संगठनात्मक ढांचे में तथापि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनियां क्योंकि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की अभिकर्ता के रूप में कार्य करती हैं इसलिये उत्तरदायित्व केन्द्रों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कार्यशील सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2003 को 9.72 प्रतिशत अंशपूँजी एवं 90.28 प्रतिशत कर्जों के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2004 को यह क्रमशः 9.17 प्रतिशत एवं 90.83 प्रतिशत था। ऋण-अंशपूँजी अनुपात 2002-03 में 9.29:1 से बढ़कर 2003-04 में 9.90:1 हो गया।

**कार्यशील सांविधिक निगमों के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2003 को 9.72 प्रतिशत अंशपूँजी एवं 90.28 प्रतिशत कर्जों के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2004 को यह क्रमशः 9.17 प्रतिशत एवं 90.83 प्रतिशत था। ऋण-अंशपूँजी अनुपात 2002-03 में 9.29:1 से बढ़कर 2003-04 में 9.90:1 हो गया।**

1.5 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट से दी गई राशियों, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियों देना, बकाया दायित्वों को छोड़ देने और राज्य सरकार द्वारा जारी ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन संबंधी ब्यौरे परिशिष्ट 1 व 3 में दिए गए हैं।

<sup>5</sup> मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 2003-04 के लिये कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये। विगत वर्ष के आंकड़ों को ही चालू वर्ष के लिये लिया गया है।

2003-04 तक तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को बजट से (अंशपूँजी एवं कर्जों के रूप में) दी गई राशियां निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

	2001-02				2002-03				2003-04			
	कंपनियां		निगम		कंपनियां		निगम		कंपनियां		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से दी गई अंशपूँजी	1	1.50	--	--	2	3.02	1	1.00	1	0.90	1	1.34
बजट से दिए गए कर्जे	3	33.69	2	193.08	1	10.88	3	247.05	1	7.24	--	-
अन्य अनुदान/आर्थिक सहायता	6	75.81	4	402.67	10	61.51	3	586.92	11	46.90	--	-
	12 <sup>6</sup>	111.00	4 <sup>6</sup>	595.75	12 <sup>6</sup>	75.41	4 <sup>6</sup>	834.97	11 <sup>6</sup>	55.04	1 <sup>6</sup>	1.34

वर्ष 2003-04 के दौरान सरकार ने दो कार्यशील सरकारी कंपनियों (15.73 करोड़ रूपए) तथा दो कार्यशील सांविधिक निगमों (514.32 करोड़ रूपए) द्वारा लिए गए कुल 530.05 करोड़ रूपए के कर्जों के लिए गारंटियां दी थीं। पिछले वर्ष के अंत में आठ कार्यशील सरकारी कंपनियों (126.36 करोड़ रूपए) तथा तीन सांविधिक निगमों (3,719.98 करोड़ रूपए) से संबंधित 3,846.34 करोड़ रूपए की बकाया गारंटियों की तुलना में, इस वर्ष के अंत में पाँच कार्यशील सरकारी कंपनियों (74.47 करोड़ रूपए) तथा तीन कार्यशील सांविधिक निगमों (4,945.67 करोड़ रूपए) से संबंधित 5,020.14 करोड़ रूपए की गारंटियां बकाया थीं। मार्च 2004 के अंत में सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला गारंटी कमीशन क्रमशः 52 लाख रूपए एवं 78 लाख रूपए था। वर्ष के दौरान सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित के 29.50 करोड़ रूपये के दीर्घावधि कर्जों को अंशपूँजी में भी परिवर्तित किया।

### सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.6 जैसा कि परिशिष्ट-2 से देखा जा सकता है, कि 25 कार्यशील सरकारी कंपनियों में से केवल चार कंपनियों ने एवं निरंक कार्यशील सांविधिक निगमों ने ही अपने वर्ष 2003-2004 के लेखे निर्धारित अवधि के भीतर तैयार किए। 21 कार्यशील सरकारी कंपनियों ने विगत वर्षों के 26 लेखाओं को अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2004 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने भी विगत वर्षों के चार लेखाओं को अंतिम रूप दिया। मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने प्रारंभ से ही अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है।

<sup>6</sup> ये कंपनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्होंने संबंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से अंशपूँजी, कर्ज, अनुदान एवं अथवा आर्थिक सहायता के रूप बजट से सहायता प्राप्त की थी।

30 सितंबर 2004 को 21 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं चार सांविधिक निगमों के लेखे एक से छः वर्षों की अवधि तक के लिये बकाया थे इनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	कार्यशील सरकारी कंपनियों/ निगमों की संख्या		अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिनके लेखे बकाया है	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ	
	सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगम			सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	--	1998-99 से 2003-04	6	क-14	--
2.	1	--	2000-01 से 2003-04	4	क-15	--
3.	3	--	2001-02 से 2003-04	3	क-1, 5, 12	--
4.	5	--	2002-03 से 2003-04	2	क-8, 9, 10, 17, 18	--
5	11	4	2003-04	1	क-2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 16, 19, 20, 25	ख-1, 2, 3, 4
	21	4				

सामान्यतः कार्यशील कम्पनियों के लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने तथा पाँच कंपनियों जहाँ तीन या अधिक वर्षों से लेखे बकाया हैं उनके संबंध में अध्याय-4 की कंडिका 4.6 में विस्तृत विवेचन किया गया है।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.7 अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों) के वित्तीय परिणामों का सारांश परिशिष्ट-2 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निगमों द्वारा अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिये गये उनके पिछले तीन वर्षों की प्रत्येक की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम क्रमशः परिशिष्ट-4 एवं 5 में दिए गए हैं।

25 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों के अंतिम रूप दिए गए अद्यतन अंतिम लेखाओं के अनुसार, नौ कंपनियों एवं तीन निगमों को क्रमशः 283.01 करोड़ रूपए एवं 198.53 करोड़ रूपए की कुल हानि हुई और 11 कंपनियों तथा एक निगम ने क्रमशः 21.75 करोड़ रूपए और 9.46 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान गठित पाँच नई सरकारी कम्पनियों ने अपना कार्य आरंभ नहीं किया है। अतः इन्होनें वर्ष हेतु कोई लाभ हानि लेखा तैयार नहीं किया।

### **कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**

#### **लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील कंपनियाँ और लाभांश**

**1.8** राज्य सरकार ने अंशपूँजी के न्यूनतम 12 प्रतिशत लाभांश के भुगतान के लिए एक लाभांश नीति बनाई (जुलाई 1998) थी। तथापि किसी भी सरकारी कम्पनी जिन्होंने सितम्बर 2004 तक 2003-04 के लिये अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, ने लाभांश घोषित नहीं किया।

इसी प्रकार जिन 17 कार्यशील सरकारी कंपनियों ने सितम्बर 2004 तक पिछले वर्षों के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया उनमें से नौ कंपनियों ने 11.36 करोड़ रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तथा केवल छः कंपनियों ने उत्तरोत्तर दो या दो से अधिक वर्षों के लिए 1.14 करोड़ रुपए (8.24 प्रतिशत) का लाभांश वर्ष के दौरान घोषित किया। समस्त कार्यशील सरकारी कम्पनियों में सरकार की 210.25 करोड़ रुपये के कुल अंशपूँजी निवेश की तुलना में 2003-04 के दौरान लाभांश के रूप में राज्य सरकार को कुल प्रतिलाभ 0.54 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

#### **हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**

**1.9** हानि उठाने वाली नौ कार्यशील सरकारी कंपनियों में से चार कंपनियों को 596.50 करोड़ रुपए की कुल संचित हानि हुई जो उनकी 83.64 करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।

खराब कार्य निष्पादन और प्रदत्त पूँजी के पूरी तरह क्षरण के बावजूद राज्य सरकार ने इन कंपनियों को अंशपूँजी, ऋण, ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन, आर्थिक सहायता आदि के रूप में वित्तीय समर्थन देना जारी रखा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2003-04 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 11 कंपनियों को अंशपूँजी, ऋण, अनुदान एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से प्रदत्त कुल 55.04 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन में से 13.04 करोड़ रुपए उन तीन कंपनियों से संबंधित थे जिनकी संचित हानि प्रदत्त पूँजी से अधिक हो चुकी थी।

#### **कार्यशील सांविधिक निगम**

#### **लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश**

**1.10** लाभ अर्जित करने वाले किसी भी सांविधिक निगम ने 2003-04 के अपने लेखाओं को वर्ष के दौरान अंतिम रूप नहीं दिया। मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन जिसने विगत वर्ष के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया ने 9.46 करोड़ रुपए को लाभ अर्जित किया तथा 2002-03 के लिए 1.36 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया।

#### **हानि उठाने वाले सांविधिक निगम**

**1.11** शेष तीन हानि उठाने वाले निगमों (मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश वित्त निगम) की कुल संचित हानि 3146.99 करोड़ रुपये थी जो उनकी 399.51 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से सात गुना से भी अधिक थी।

उनके खराब कार्य निष्पादन के बावजूद, वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश वित्त निगम को अंशपूर्जी के रूप में 1.34 करोड़ रुपए की राशि का वित्तीय सहायोग प्रदान किया।

### **कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन**

**1.12** कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन **परिशिष्ट 6** में दिया गया है। कार्यचालन निष्पादन के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

#### **मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल**

**1.12.1** 2001-02 में 42.62 प्रतिशत की पारेषण एवं वितरण हानियाँ बढ़कर 2002-03 में 43.59 प्रतिशत हो गई।

**1.12.2** कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिशतता 2001-02 में 12.47 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 14.50 प्रतिशत हो गई।

#### **मध्यप्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम**

**1.12.3** मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या 2001-02 में 1,876 से घटकर 2003-04 में 1,093 रह गई तथा इसी अवधि के दौरान कर्मचारी एवं वाहन के अनुपात 6:1 वृद्धि होकर यह 10:1 हो गया।

#### **मध्यप्रदेश वित्त निगम**

**1.12.4** 2001-02 में कुल कर्जों की तुलना में चूक की प्रतिशतता 24.47 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 27.79 प्रतिशत हो गई। संवितरित कर्जे 2001-02 में 66.05 करोड़ रुपये से घटकर 2003-04 में 41.83 करोड़ रुपये रह गया।

### **नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ**

**1.13** अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं (सितंबर 2004 तक) के अनुसार 25 कार्यशील कंपनियों में नियोजित पूंजी<sup>7</sup> 972.62 करोड़ रुपए संगणित की गई तथा उस पर कुल प्रतिफल<sup>8</sup> (-)213.84 करोड़ रुपये था जबकि विगत वर्ष (सितम्बर 2003 तक के तैयार लेखाओं) में यह प्रतिफल 54.48 करोड़ रुपये (6.20 प्रतिशत) था। इसी प्रकार कार्यशील सांविधिक निगमों के प्रकरण में उनके अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं (सितंबर 2004 तक) के अनुसार नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिफल क्रमशः

<sup>7</sup> नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियों (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है। यह वित्त कंपनियों एवं निगमों को छोड़कर है जिनमें यह प्रदत्त पूंजी, निर्वाध आरक्षित निधियों, (बाण्ड्स) जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के आरंभिक तथा अंतिम शेषों के योग का औसत दर्शाती है।

<sup>8</sup> नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज को लाभ-हानि लेखे में दर्शाए गए शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है/हानि में से घटाया गया है।

स्थापना व्यय में वर्ष 2002-03 में असमान्य वृद्धि का कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लागू होना था। इस योजना पर हुये अत्यधिक खर्च को राज्य सरकार से प्राप्त ऋण से किया गया।

समापनाधीन नौ कंपनियों के स्थापना व्यय पर सरकार ने 2001-04 के दौरान 25.48 करोड़ रुपए का व्यय किया है। इन कंपनियों पर और अधिक अनुत्पादक व्यय को टालने के लिए इनको बंद करने हेतु त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.19 एक अकार्यशील सरकारी कंपनी ने अपने 2003-04 के लेखाओं को अंतिम रूप दिया तथा आठ अकार्यशील कंपनियों के लेखे 30 सितंबर 2004 तक अंतिम रूप हेतु एक वर्ष से 14 वर्ष तक की अवधि के लिये बकाया थे जैसा कि परिशिष्ट-2 में दिखाया गया है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.20 अंतिम अद्यतन लेखाओं के अनुसार अकार्यशील सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति का परिणाम परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

नौ अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में अंशपूंजी के रूप में कुल निवेश 59.05<sup>11</sup> करोड़ रुपये का था। ये कम्पनियाँ हानि वहन कर रही थीं, जिसमें 56.37 करोड़ रुपये की नकद हानि तथा 134.17 करोड़ रुपये का ऋणात्मक निवल मूल्य था इन कम्पनियों की 237.63 करोड़ रुपये की संचित हानि उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार उनकी प्रदत्त पूंजी से चार गुना अधिक थी।

1.21 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (1999-2000), मध्यप्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम (2001-02), मध्यप्रदेश वित्त निगम (2001-02) तथा मध्यप्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अब मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के रूप में पुनर्गठित (2001-02) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर पहले ही रखे जा चुके हैं।

1.22 2003-04 के दौरान राज्य सरकार ने अपने किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन नहीं किया है।

11 मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम की 1.04 करोड़ रुपये की अंशपूंजी समाविष्ट।

6,269.95 करोड़ रुपये और 299.91 करोड़ रुपये (4.78 प्रतिशत) था जबकि विगत वर्ष (सितंबर 2003 तक के तैयार लेखाओं) में यह प्रतिफल (-)548.19 करोड़ रुपये था। कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के संबंध में नियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिफल का विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

### राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सहमति पत्र के क्रियान्वयन की स्थिति

**1.14** ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधारों हेतु संयुक्त प्रतिबद्धता के बतौर मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर (मई 2000) हस्ताक्षर हुए। सहमति पत्र में की गई संबंधित वचनबद्धता की तुलना में सुधार-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

1	2	3	4
	राज्य सरकार की वचनबद्धताएं	—	—
1	पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी	नहीं दी गई	33 के वी. एवं 11 के वी. नेटवर्क की ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु साफ्टवेयर विकास कार्य आरंभ किए गए। हानि में कमी की योजना का कार्यक्रम वित्तीय सहायता हेतु एशियन डिलपमेन्ट बैंक एवं नाबार्ड की ओर भेजा गया।
2	सभी 11 के वी वितरण फीडरों का शत प्रतिशत मीटरीकरण	दिसम्बर 2003	पूर्ण किया गया।
3	समस्त उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत मीटरीकरण	दिसम्बर 2004	63.96 लाख उपभोक्ताओं में से मार्च 2003 तक 45.85 लाख (71.7 प्रतिशत) का मीटरीकरण किया गया।
4	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों के बकाया प्राप्तव्यों का सुरक्षण (सिक्यूरिटीकरण)	अनुपलब्ध	सुरक्षण किया गया
5	मप्डल का पुनर्गठन	अनुपलब्ध	फरवरी 2001 में गजट सूचना जारी की गई।
6	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2003 से आरंभ कर 2007 तक	51,806 ग्रामों में से 50,474 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया।
7	ऊर्जा लेखापरीक्षा	जून 2001	33 के वी: 89.05 प्रतिशत 11 के वी: 88 प्रतिशत
8	राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष के दौरान जारी किए गए टेरिफ आदेशों का क्रियान्वयन	प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को टेरिफ की स्थिति प्रस्तुत करना	क्रियान्वित किया जा चुका है।
9	ग्रिड/उत्पादन स्टेशनों पर ऊर्जा मीटर संस्थापित करना	उपलब्ध नहीं	पूर्ण किया गया।

10	इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों के बदले इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाना	उपलब्ध नहीं	26.62 लाख सिंगल फेज एवं 4.60 लाख थ्री फेज इलेक्ट्रोनिक मीटर मार्च 2004 तक संस्थापित किए गए।
11	अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति	उपलब्ध नहीं	भारत सरकार ने अपने अधीन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत स्टेशनों के अनावंटित कोटे से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को 100 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया।
12	जल विद्युत ऊर्जा विकास	उपलब्ध नहीं	मध्यप्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम नामक एक स्वतंत्र ज्वाइंट वैचर यूटीलिटी पहले ही जनवरी 2004 से आरंभ की जा चुकी है।

### मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

1.15 राज्य में विद्युत शुल्क के निर्धारण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण आदि से संबंधित मामलों में परामर्श देने के उद्देश्य से विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (अधिनियम) की धारा 17 के अधीन अगस्त 1998 में किया गया था। इसने फरवरी 1999 से कार्य करना शुरू किया। आयोग एक कार्पोरेट निकाय है जिसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। आयोग ने अभी तक (सितम्बर 2004) अपने प्रथम लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.16 मार्च 2003 तथा 2004 के अंत में नौ अकार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कंपनी	निवेश (करोड़ रुपए)	निवेश (लाख रुपए)	निवेश (करोड़ रुपए)	निवेश (लाख रुपए)
2002-03	9	59.68	0.20	147.13	207.01
2003-04	9	59.69	0.19	139.11	198.99

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

(i)	परिसमापनाधीन	5	12.39	--	
(ii).	बंद होने वाले	4	47.49	139.11	
	योग	9	59.88	139.11	

सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्युक्त नौ अकार्यशील उपक्रमों में से समस्त सरकारी कंपनियां एक से 21 वर्षों से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन परिसमापन अथवा बंद होने के कागार पर थीं और इन कंपनियों में 198.99 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश लगा हुआ था। इन कंपनियों के शीघ्र परिसमापन अथवा उन्हें पुनः चालू करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

**बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोड़ना तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन**

**1.17 राज्य संरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों को बजट के अंतर्गत प्रदत्त राशियों, अनुदानों/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियों, बकाया दायित्वों को छोड़ना तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन करने संबंधी विवरण परिशिष्ट 1 व 3 में दिए गए हैं।**

**1.18 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय**

2003-04 तक के अंतिम तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों) पर कुल स्थापना व्यय एवं उनकी वित्त व्यवस्था के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि: लाख रुपए में)

वर्ष	वर्षों की संख्या	व्यय (लाख रुपए में)	वित्त व्यवस्था के स्रोतों का वर्षवार विवरण (लाख रुपए में)	वित्त व्यवस्था के अन्य स्रोत बैंकों से प्राप्त ब्याज, अनुदानों के व्यपर्तन (डायर्जन) तथा भण्डार के विक्रय से आय हैं।	वित्त व्यवस्था के अन्य स्रोत बैंकों से प्राप्त ब्याज, अनुदानों के व्यपर्तन (डायर्जन) तथा भण्डार के विक्रय से आय हैं।
2001-02	6	36.26	--	--	10.00 26.26
2002-03	9	2,332.48	77.81	2195.66	-- 59.01
2003-04	9	178.93	2.27	168.38	-- 8.28

<sup>9</sup> अंशपूँजी में दो कम्पनियों के अंश आवेदन राशि का 0.19 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

<sup>10</sup> वित्त व्यवस्था के अन्य स्रोत बैंकों से प्राप्त ब्याज, अनुदानों के व्यपर्तन (डायर्जन) तथा भण्डार के विक्रय से आय हैं।

			(3) हिन्दुस्तान कॉंपर लिमिटेड का सरकार को भुगतान न किये जाने योग्य विद्युत शुल्कों पर विलम्ब से किये जाने वाले भुगतान प्रभारों का समावेशन।	6.49
2.	मध्यप्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम	2002-03 (31.12.2002 तक)	(1) पास के दावों को आय के रूप में मान्यता देना जिसे सरकार नहीं किया था।  (2) जीवन बीमा निगम द्वारा दावा किये गये दार्ढिक ब्याज का प्रावधान न करना जिसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि आय का अतिकथन	8.94 4.29

### मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन

1.26 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 2001-02 तक के तीन वर्षों के लिए कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन पर आधारित तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई प्रमुख अनियमितताओं एवं चूकों को ध्यान में रखते हुये और राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता/आर्थिक सहयोग को लेखाकरण में सम्मिलित न करते हुए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की नियोजित पूँजी पर शुद्ध आधिक्य/कमी तथा प्रतिफल की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

1.	लेखापुस्तकों के अनुसार शुद्ध आधिक्य/(-) कमी	(-)1,371.29	(-)1,473.81	(-)1,160.50
2.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	313.12	279.46	542.96
3.	राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के पूर्व शुद्ध आधिक्य/(-) कमी (1-2)	(-)1,684.41	(-)1,753.27	(-)1,703.46
4.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों के कारण शुद्ध आधिक्य/ (-) कमी में शुद्ध वृद्धि/कमी	(-)71.49	(-)554.13	टिप्पणियों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
5.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परंतु राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता से पूर्व शुद्ध आधिक्य/(-) कमी (3-4)	(-)1755.90	(-)2,307.4	--

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएं एवं प्रणालीगत कमियां

1.27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान उनके वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताओं एवं प्रणालीगत कमियों के संबंध में बार-बार इंगित किया गया परंतु इन उपक्रमों ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है।

12 मण्डल ने लेखापरीक्षा की प्रारंभिक टिप्पणियों के अनुसार अपने लेखाओं को संशोधित किया तथा इसके प्रभाव से इसकी हानि में 356.55 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

**अध्याय-1 सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन**

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा में समीक्षा के अध्ययन-1						
सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा के परिणाम						

1.23 अक्टूबर 2003 से सितंबर 2004 के दौरान 27 सरकारी कंपनियों (21 कार्यशील एवं छः अकार्यशील) तथा तीन सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिये चुना गया था। सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अंतिम प्रभाव निम्नानुसार रहा:

संख्या	कंपनी	दोष	चूकें	समीक्षा के परिणाम		कार्यशील
				लेखापरीक्षा में समीक्षा के परिणाम	लेखापरीक्षा के परिणाम	
1	लाभ में कमी	2	-	-	71.73	--
2	लाभ में वृद्धि	2	-	-	152.46	--
3	हानि में वृद्धि	2	-	2	95.30	60041.01
4	हानि में कमी	2	-	1	23.22	2015.55
5	महत्वपूर्ण तत्त्वों को प्रकट न करना	7	2	2	546.11	3569.59
6	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	6	1	2	558.87	11.75
						16852.15
						25906.52

**सरकारी कंपनियों के संबंध में पाए गये दोष एवं चूकें**

1.24 सरकारी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये कुछ दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

संख्या	कंपनी	दोष	चूकें	समीक्षा के परिणाम	कार्यशील
1	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	2001-02	भवन जो अप्रैल 1992 में पूर्ण हो गया था तथा उसमें कार्यारंभ किया जा चुका है उसे समाविष्ट नहीं किये जाने के कारण परिसम्पत्तियों तथा मूल्यहास को कम दिखाया जाना।	0.99	
2	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित	2002-03	चालू वर्ष के लेखाओं में पूर्ण अवधि के व्यय प्रभारित करने के कारण लाभ का न्यून कथन बढ़ाया देयताओं का प्रकटन/प्रावधान न करना जिनके संबंध में ऋण वसूली पंचाट में कार्यवाही चल रही है।	23.46	
3	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम मर्यादित	2002-03		93.97	

**सांविधिक निगमों के संबंध में पाए गये दोष एवं चूकें**

1.25 सांविधिक निगमों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये कुछ महत्वपूर्ण दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

संख्या	कंपनी	दोष	चूकें	समीक्षा के परिणाम	कार्यशील
1	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	2000-01 (1 अप्रैल 2000 से 14 अप्रैल 2001 )	(1) स्थाई रूप से असंबंध उपभोक्ताओं जिनकी अनुबंध अवधि समाप्त हो गई थी, के विरुद्ध मांग का करना। (2) जल प्रभारों की दर में अंतरों का लेखांकन न करना(कोरबा-पूर्व-पश्चिम)	7.50 37.33	

## सांविधिक निगम

### 1.28 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

- मण्डल ने स्थाई परिसंपत्तियों (मण्डल के अस्पताल को छोड़कर) के विवरण यथा लोकेशन, मात्रा, मूल्य, अधिप्राप्ति/अधिष्ठापन तिथि, मूल्यहास प्रमार आदि दर्शाते हुए निर्धारित पंजियों को तैयार नहीं किया है। परिणामस्वरूप लेखाओं में प्रदर्शित मूल्य का लेखापरीक्षा में प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका। परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया।
- दोषपूर्ण सामग्री, मरम्मत न की जा सकने योग्य सामग्री तथा अपरम्परागत शेष<sup>13</sup> को स्टॉक के अंतर्शेष में सम्मिलित करना जारी रखा गया जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक का अधिक मूल्यांकन किया गया।

### 1.29 मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

- परिसंपत्तियों (बड़े के अतिरिक्त) का भौतिक सत्यापन 1975-76 से नहीं किया गया है।
- परिसंपत्तियों का विवरण तथा अधिग्रहण की तिथि, स्थान, स्थिति, आदि दर्शाते हुए परिसंपत्ति-पंजी का संधारण नहीं किया गया।
- प्रगति पर निर्माण कार्यों के विवरण अर्थात् प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान वृद्धि स्थाई परिसंपत्तियों में अंतरित राशि तथा प्रतिवर्ष के अंत में अंतशेष, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यथाअपेक्षित लेखाओं में नहीं दर्शाए गए हैं।
- अग्रिमों एवं जमाओं (डिपॉजिट) के वर्ष-वार तथा पार्टी-वार विवरण तैयार नहीं किए गए हैं।
- अन्य राज्य सड़क परिवहन निगमों के विरुद्ध दस वर्षों के अधिक समय से 66.14 लाख रुपए बकाया है।
- देनदारों से अधिशेषों की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई तथा अवधि-वार एवं पार्टी-वार विवरण उपलब्ध नहीं था।

**1.30** कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टड एकाउन्टेन्ट्स) को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई कंपनियों के बारे में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं तथा ऐसे क्षेत्रों, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, की पहचान करने पर उन्हें विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2004 के मध्य 25 कार्यशील सरकारी कंपनियों के संबंध में निर्देश/उप निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रकार

<sup>13</sup> अपरम्परागत शेष स्टॉक लेखे में डेबिट शेष के स्थान पर क्रेडिट शेष प्रदर्शित करते हैं।

से जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में 17 सरकारी कंपनियों के 26 लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए (सितम्बर 2004)।

राज्य सरकार की कंपनियों की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की संभावना पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाओं/अभ्युक्तियों की प्रकृति के संबंध में विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई अनुशंसाओं की प्रकृति	उन कंपनियों की संख्या जिनके संबंध में अभ्युक्तियां हैं	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार एवं क्रियाकलापों के अनुरूप नहीं थी।	10	2,3,5,6,9,10,11,15, 18,19
2	भण्डार की कमियों तथा हानि के दावों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था।	1	16
3	संपत्ति एवं परिसंपत्ति-पंजियां संधारित नहीं की गई हैं।	3	5,10,15
4	भण्डार का अधिकतम, न्यूनतम तथा पुनरादेश-स्तर और मितव्ययी आदेश मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।	1	10
5	बकाया प्राप्तव्यों की समय से वसूली पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं।	6	5,6,9,10,15,19
6	मासिक बैंक समाधान कार्य नहीं किया गया।	2	15,16
7	लेखाओं के मानकों का अनुपालन न करना।	4	4, 9, 10, 15
8	लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण न करना।	4	2,9,10,11
9	शक्तियों के प्रत्यायोजन में दोष	3	2,9,19

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुसंशाहं

1.31 सात सरकारी कंपनियों (कार्यशील)<sup>14</sup> के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी उनका टर्नओवर अंतिम रूप से संवरित लेखाओं के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रुपए से कम था। कम टर्नओवर एवं निरंतर हानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार या तो इन सात सरकारी कंपनियों के निष्पादन में सुधार के उपाय करे अथवा इनको बंद करने पर विचार करे।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

1.32 सितंबर 2004 के अंत में कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा तथा कोपू में चर्चा हेतु लंबित समीक्षाओं/कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

<sup>14</sup> मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(भोपाल), (जबलपुर), (रीवा), औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (गwaliyar) मर्यादित, द प्रावीडेन्ट इन्वेस्टमेण्ट कंपनी लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई समीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या		चर्चा हेतु बकाया समीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षाएं	कंडिकाएं	समीक्षाएं	कंडिकाएं
1999-2000	04	20	03	--
2000-01	02	15	02	15
2001-02	03	23	03	23
2002-03	03	20	03	20

### 619-बी कंपनियां

1.33 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अधीन आने वाली मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र मर्यादित नाम की एक कंपनी है जो अकार्यशील है। इसके 1989-90 तक उपलब्ध अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य सरकार की कंपनियों (1.26 करोड़ रुपए) तथा केन्द्र सरकार और इसकी कंपनियों (24 लाख रुपए) का अंशदान प्राप्त कर 1.50 करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त पूँजी वाली इस कंपनी को वर्ष के दौरान 63 लाख रुपए की हानि हुई थी। वर्ष 1989-90 तक इसकी संचित हानि 3.78 करोड़ रुपए थी।



## सरकारी कंपनी से संबंधित समीक्षा

**मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित की कार्यप्रणाली**

### मुख्यांश

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित नवम्बर 1981 में, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित की गई थी और इसका नाम मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित के रूप में परिवर्तित किया गया (अक्टूबर 1999)।

मार्च 2003 के अंत में, कम्पनी की 2.92 करोड़ रुपये की संवित हानि ने इसकी 1.26 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी को खत्म कर दिया।

(कंडिका 2.5)

योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त अनुदानों का उपयोग करने के लिये कम्पनी ने योजना तैयार नहीं की। 1998–2003 के दौरान प्राप्त 42.97 करोड़ रुपये के अनुदानों में से अवधारित प्रयोजनों हेतु केवल 30.16 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया तथा शेष 12.81 करोड़ रुपये को कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति में उपयोग किया गया।

(कंडिका 2.6)

4.35 करोड़ के अनुदानों का आय के रूप में लेखांकन करने के उपरान्त भी 1998–2003 के दौरान एम्पोरियमों के कार्यचालन में 1.15 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 2.10)

बोर्ड के निर्णयानुसार प्रदर्शनियों में भागीदारी पर व्यय को विक्रय राशि के 15 प्रतिशत तक सीमित रखने में विफलता के परिणामस्वरूप 2000–03 के दौरान 48.61 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 2.11)

विक्रय कर संग्रहण और सरकार को उसके प्रेषण में विफलता के परिणामस्वरूप 95.16 लाख रुपये की परिहार्य देयता प्रकट हुई।

(कंडिका 2.13.1)

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

मानव विकास के क्षेत्र में आपूर्ति हेतु सुपुर्दिगी सम्पर्कों का पायाम नहीं हुआ।  
सांख्यिकीय रूपये के हजारों का परिवाय भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.13.3)

सांख्यिक उपकरणों से संबंधित समिति की अनुशासनों के नियमों के बाबजूद कंपनी के काफ़िर देशदाओं में विकाय से 96.4 से 194.5 प्रतिशत तक बढ़ दुई।

(कंडिका 2.15)

2.1 मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित नवम्बर 1981 में, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल की सहायक कंपनी के रूप में निर्मित किया गया था और इसका नाम मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (मर्यादित) के रूप में परिवर्तित किया गया (अक्टूबर 1999)।

कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में समाविष्ट हैं:

- हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादनों का विकास करने हेतु व्यापार संबंध, विक्रय डिपो एवं विक्रय अभिकरणों की स्थापना करना;
- सीधे रूप में अथवा विशेषीकृत अभिकरणों के सहयोग से बाजार सर्वेक्षण कर भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादनों की विदेशी बाजारों में संभावनायें तलाशना;
- सहकारी संस्थाओं, दस्तकारों अथवा अपने स्वयं के उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से उत्पादों का उत्पादन करना;
- विदेशी मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये प्रचार-सह सूचना केन्द्र, शो-रूम, विक्रय डिपो तथा भंडार गृह खोलना; तथा
- कच्चे माल, औजार एवं उपकरणों की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण देने तथा सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित कर सहकारी संस्थाओं, उत्पादनकर्ताओं, छोटे व्यापारियों और उनके सहयोगियों को तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराना।

2.2 कंपनी का प्रबंधन एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में संचालक मण्डल में निहित रहता है। 31 मार्च 2004 को मण्डल में आठ संचालक थे जिनमें से अध्यक्ष तथा एक

प्रबंध संचालक जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है सहित छः संचालक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हैं तथा अन्य दो संचालक धारक कम्पनी द्वारा मनोनीत किये गये हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहायता वित्त एवं लेखा, विपणन तथा विकास संबंधी प्रभार के तीन महाप्रबंधक करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कम्पनी की 15 इकाईयाँ (छः एम्पोरियम, दो सामान्य सुविधा केन्द्र, छः विकास-सह अधिप्राप्ति केन्द्र तथा एक विपणन केन्द्र) छत्तीसगढ़ सरकार को स्थानान्तरित की गई थीं (जनवरी 2001)। तथापि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विभाजन का निर्णय नहीं हुआ है (सितम्बर 2004)। 31 मार्च 2004 को कम्पनी के पास 19 एम्पोरियम (राज्य के बाहर 10 तथा ठेका प्रबंधन के अंतर्गत ग्वालियर में एक सहित), 10 सामान्य सुविधा केन्द्र, पांच विकास-सह अधिप्राप्ति केन्द्र, तीन विपणन-सह विस्तार केन्द्र, तीन हथकरघा इकाईयाँ, एक जूट केन्द्र तथा एक केन्द्रीय भंडार था।

**2.3** कम्पनी के कार्यचालन की विगत समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1994-95 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समाविष्ट की गई थी। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपु) ने समीक्षा का विवेचन (अगस्त 1997) किया था। समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाही प्रतिवेदन अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)। सार्वजनिक उपक्रम समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित उपचारी उपायों की अनुशंसा की थी (मार्च 2000) जो क्रियान्वित नहीं की गई हैं।

- लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिये बकाया रहे लंबित लेखे की समाप्ति हेतु तथा इस दिशा में कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये।
- वर्षों से अनुदानों के अव्ययित शेषों की बड़ी राशि में वृद्धि होने से रोकने हेतु अप्रयुक्त अनुदानों को आगे न ले जाने के उपाय किये जाने चाहिये।
- शिल्पकारों को लघु अवधि का प्रशिक्षण उन्हें अपने स्व-व्यवसाय करने के लिये फलदायी नहीं था।
- उत्तरदायित्व निर्धारित करने की अपेक्षा, कम्पनी समस्त क्षतिग्रस्त भंडार को प्रक्रियागत अनियमितता के रूप में लेखांकित कर रही थी जो औचित्यपूर्ण नहीं था।
- लंबित बकाया राशियां कम करने हेतु कम्पनी को कार्रवाई करनी चाहिये।

दिसम्बर 2003 से जून 2004 के दौरान की गई वर्तमान समीक्षा में मार्च 2003 को समाप्त विगत पांच वर्षों में कंपनी का कार्यचालन आबद्ध किया गया है। 42 में से 14<sup>15</sup> इकाईयों के तथा कम्पनी के मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवेचन आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगस्त 2004 में सरकार/प्रबंधन को इस अनुरोध के साथ संसूचित किये गये कि वे राज्य की सार्वजनिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित रहें जिससे समीक्षा को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व सरकार/प्रबंधन के दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाये। बैठक का आयोजन 6 अक्टूबर 2004 को किया गया जिसमें सरकार की ओर से प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग ने प्रतिनिधित्व किया तथा कम्पनी का प्रतिनिधित्व प्रबंध संचालक ने किया। सरकार/प्रबंधन के मत पर विचार कर समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया।



**2.4** 31 मार्च 2003 को कंपनी की दो करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी की तुलना में प्रदत्त पूँजी 1.26 करोड़ रुपये थी जो धारक कम्पनी (72.46 लाख रुपये), केन्द्र सरकार (52 लाख रुपये) तथा राज्य सरकार (1.70 लाख रुपये) से अशंवानित थी। बुनकर्तों एवं शिल्पकारों के लाभार्थ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 1998-2003 अवधि में कम्पनी ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से 32.62 करोड़ रुपये के अनुदान प्राप्त किये।

कंपनी ने राज्य सरकार के संवाहक अभिकरण के रूप में 1998-2003 के दौरान राष्ट्रीय पिछळा वर्ग वित्त एवं विकास निगम मर्यादित (3.55 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित (2.04 करोड़ रुपये) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित (50 लाख रुपये) से कुल 6.09 करोड़ रुपये के ऋण भी प्राप्त किये जो हितग्राहियों में आवंटित किये गये। इसमें से 31 मार्च 2003 को 4.61 करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे।



**2.5** सार्वजनिक उपक्रम समिति की इस संदर्भ में अनुशंसा के बावजूद भी चार्टर्ड लेखापालों को नियुक्त कर कम्पनी ने केवल 1999-2000 तक के लेखाओं को ही अंतिम रूप दिया है(सितम्बर 2004)। कंपनी की 2002-03 को समाप्त पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों के विवरण क्रमशः परिशिष्ट-7 और 8 में दिये गये हैं।

<sup>15</sup>

भोपाल, ब्यावरा, छिंदवाड़ा, देवास, गोविन्दपुरा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, निवाड़ी, रायसेन, सागर, सौसर, सिवनी एवं उज्जैन।

परिशिस्तियों से यह देखा जा सकता है कि उधारियां 1998-99 में 63.61 लाख रुपये से बढ़कर 2002-03 में 4.61 करोड़ रुपये हो गई। ऐसा हितग्राहियों को आवंटित करने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋणों का आहरण करने के कारण हुआ। इसी अवधि में उपयोग न किये गये अनुदान भी 8.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 17.46 करोड़ रुपये हो गये। ऐसी अनुदानों को कार्यशील पूँजी की पूर्ती हेतु व्यपवर्तित किये जाने के कारण हुआ जैसा कि कंडिका 2.6 में विवेचन किया गया है। 31 मार्च 2003 को 2.92 करोड़ रुपये की संचित हानि ने 1.26 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी को भी खत्म कर दिया।

निम्नांकित तालिका 1998-2003 के दौरान कम्पनी का अर्जित लाभ/हुई हानि को दर्शाती है:

(लाख रुपए में)

(अनंतिम)					
कर पूर्व लाभ(+)/हानि(-)कर हेतु प्रावधान	(-)15.59	(-)18.81	(-)56.29	(+)12.75	(+)48.79
कर उपसन्त लाभ(+)/हानि(-)	(-)15.59	(-)18.81	(-)56.29	(+)12.75	(+)48.79
विगत के समायोजन	(-)13.68	(-)4.10	-	-	-
शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	(-)29.27	(-)22.91	(-)56.29	(+)12.75	(+)48.79

1998-99 से 2000-01 तक कम्पनी को हानियाँ होती रही है। 2001-02 और 2002-03 में हुये लाभ केवल समायोजन के पूर्व अनंतिम आंकड़ों के अनुसार हैं। हानि को इस परिस्थिति में देखा जाना है कि कम्पनी के विकास केन्द्रों की स्थापना व्यय तथा मुख्यालय के कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों से की जा रही थीं।

यह हानियाँ एम्पोरियम, प्रदर्शनी और विकास केन्द्रों के खराब कार्यचालन के कारण थीं। कम्पनी में न तो कभी हानियों के कारणों का विश्लेषण किया और न ही व्यय पर नियंत्रण हेतु कोई उपचारी उपाय ही किये।

**2.6** विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कम्पनी केन्द्र/राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती रही है। 1998-2003 अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान, प्रयुक्त एवं वापस किये गये अनुदान, वर्ष के अंत में शेष, बैंकों में सावधि/स्थाई जमा के अंतर्गत रखे गये अव्ययित अनुदानों के विवरण निम्नानुसार हैं-

(लाख रुपए में)

अनुदान का अन्य प्रयोजनों के लिये व्यापक रूप से उपयोग किया गया।

(अनन्तिम)							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विगत वर्ष का अव्ययित शेष	1141.81	841.74	1222.05	1064.83	1327.08	—
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	582.03	552.31	319.29	816.60	991.45	3261.68
3	वर्ष के दौरान वापस	94.47	0.24	9.25	—	2.52	106.48
4	योग (1+2-3)	1629.37	1393.81	1532.09	1881.43	2316.01	—
5	वर्ष के दौरान अप्रयुक्त	787.63 (48.3)	636.55 (45.7)	467.26 (30.5)	554.35 (29.5)	570.00 (24.6)	3015.79
6	सावधि/स्थाई जमा में रखी राशि	252.34	171.75	192.57	335.72	447.04	—
7	कार्यशील पूँजी के रूप में प्रयुक्त	589.40	585.51	872.26	991.36	1298.97	—
8	संचित अप्रयुक्त शेष (4-5)	841.74	757.26	1064.83	1327.08	1746.01	—

- टिप्पणियां 1. 2000-01 के प्रारंभिक शेष में अंतर 1999-2000 हेतु अनन्तिम आंकड़े लिये जाने के कारण था।
- स्तम्भ क्रमांक 5 में कोष्ठकों में दर्शित आंकड़े वर्ष में उपलब्ध कुल अनुदानों के परिषेक्ष्य में प्रयुक्त अनुदानों का प्रतिशत बताते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- कम्पनी के पास आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदानों के वर्ष-वार योजना एवं उपयोजनावार विवरण उपलब्ध नहीं थे।
- 31 मार्च 2003 की तिथि पर 1998-99 की पूर्व अवधि से संबंधित 13 योजनाओं के 6.18 करोड़ रुपये 17.46 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त अनुदानों में सम्मिलित थे।
- उपयोग हुये दर्शाये गये 30.16 करोड़ रुपये में से 6.38 करोड़ रुपये का वास्तव में उपयोग नहीं किया गया था अपितु आरक्षित निधि लेखे में पृथक रखा गया था। 6.38 करोड़ रुपयों में से 4.66 करोड़ रुपये 1998-99 अवधि से पूर्व से ही अप्रयुक्त पड़े हैं।

- नौ स्थानों पर केन्द्रों के निर्माण हेतु 1992-93 से 1998-99 के मध्य कम्पनी ने 1.66 करोड़ रुपये के अनुदान प्राप्त किये और इन निर्माण कार्यों हेतु 1.40 करोड़ रुपये अग्रिम/निक्षेप जमा के रूप में धारक कम्पनी को भुगतान कर दिया। तथापि 26.94 लाख रुपये की शेष राशि का अन्य प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तन किया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों हेतु निधियों का अंशतः उपयोग हुआ।
- इसके अतिरिक्त प्राप्त अनुदानों का या तो अवधारित प्रयोजनों हेतु अंशतः उपयोग हुआ अथवा कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति में उपयोग हुआ या सावधि जमाओं में निवेश किया गया जिससे अनुदानों का उद्देश्य विफल हो गया।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि उसने कोई योजनेत्तर अनुदान प्राप्त नहीं किये हैं तथा इस संबंध में उपयुक्त पंजियाँ संधारित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त 26.94 लाख रुपये की शेष राशि अपने पास रखी थी किन्तु उसका किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया गया।

**2.7** कम्पनी ने राज्य के विभिन्न जिलों में विकास केन्द्र स्थापित किये थे जो मुख्यतः शित्यकारों को प्रशिक्षण देने, उन्हें केन्द्रों में अथवा उनके निवास स्थान पर काम देने, औजार एवं उपकरण के लिये आर्थिक सहायक उपलब्ध कराने तथा कच्चे माल की आपूर्ति करने और उनके उत्पादों का क्रय करने के लिये स्थापित किये गये थे।

31 मार्च 2003 को कम्पनी 34 विकास केन्द्रों/उपकेन्द्रों का परिचालन कर रही थी। निम्नांकित तालिका 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पाँच वर्षों में इन केन्द्रों को हुये लाभ/हानि दर्शाती है।

(लाख रुपए में)

वर्ष	केन्द्रों की संख्या	वित्तीय वर्ष				
1998-99	44	60.30	23	46.36	21	106.66
1999-2000	44	98.77	12	16.33	32	115.10
2000-01	44	116.39	26	94.56	18	210.95
2001-02	40	(-)168.00	35	386.73	5	218.73
2002-03	34	(-)129.43	29	298.78	5	169.35
योग		(-)21.97		842.76		820.79

यह देखा जा सकता है कि लाभ अर्जित करने वाले केन्द्र 32 (1999-2000) से घटकर पाँच (2002-03) रह गये और इसी अवधि के दौरान हानि उठाने वाले केन्द्रों की संख्या 12 से बढ़कर 29 हो गई। 2001-02 से आगे इन केन्द्रों का निष्पादन किफायतपूर्ण नहीं

रहा। किन्तु कम्पनी ने या तो आर्थिक हानि के कारणों का पता नहीं लगाया अथवा सुधारात्मक कार्रवाही करने के उपाय नहीं किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान को दृष्टिगत रखने के बाद भी केन्द्रों को हानि हो रही थी।

प्रबंधन ने हानियों के लिये उत्पाद की लागत पर अन्तरण की पूर्ववर्ती पद्धति की तुलना में उत्पादों की निम्नस्तरीय गुणवक्ता के कारण इन केन्द्रों पर प्राप्त किये गये उत्पादों का लागत मूल्य से भी कम पर एम्पोरियम को अन्तरण होना बताया (अक्टूबर 2004)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्रों को बहुत लम्बे समय हानियाँ होती रहीं हैं जबकि उन्हें लागत मूल्य पर सामान दिया गया था तथा वे एम्पोरियम जिन्हें उत्पाद भेजे गये थे भी हानि उठा रहे थे जैसा कि कंडिका 2.10 में विवेचना की गई है।

निधियों के आहरण के बाद भी प्रशिक्षण में कमी रही।

**2.8** राज्य में पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक हस्तशिल्प के विकास हेतु तथा रोजगार के अवसर सृजित कर जॉब कार्य उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनार्थ आयुक्त, हथकरघा, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा कम्पनी को अनुदान दिये जाते हैं। प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य, प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या तथा 31 मार्च 2003 को समाप्त विगत पांच ब्रूषों के दौरान उन पर किये गये व्यय के विवरण परिशिष्ट 9 में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि:

- कम्पनी 1998-2003 के दौरान 6,918 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में केवल 4,100 व्यक्तियों (लक्ष्य का 59 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया जिस पर 6,918 व्यक्तियों के लिये प्राप्त 4.55 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण अनुदान राशि का उपयोग किया गया।
- कम्पनी के पास राज्य में शिल्पकारों की संख्या संबंधी आंकड़े नहीं थे।
- इसके अतिरिक्त शिल्पकार जिन्हें जॉब कार्य उपलब्ध कराये गये, जॉब कार्य का मूल्य, शिल्पकारों को किया गया भुगतान तथा प्रति शिल्पकार द्वारा उपार्जित औसत आय आदि संबंधी विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। इसलिये यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि शिल्पकारों को उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण एवं जॉब कार्यों का उद्देश्य प्राप्त हुआ अथवा नहीं। देवास, छिंदवाड़ा एवं उज्जैन जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ कि उपरोक्त अवधि के दौरान 320, 334 और 190 शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने के लिये क्रमशः 27.30 लाख रुपये, 16.65 लाख रुपये और 8.49 लाख रुपये का व्यय किया गया था तथापि प्रशिक्षित हुये शिल्पकारों को जॉब कार्य नहीं दिये गये थे।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि बुनकरों को काम बुनकर समितियों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था। आगे उल्लेख किया गया कि इन विवरणों का अभिलेख संधारित करना संभव नहीं था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण केवल हस्तशिल्प के लिये ही दिया गया था, बुनकारी के लिये नहीं।

**2.9 कम्पनी शिल्पकारों और सहकारी समितियों द्वारा तैयार किये गये हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादनों का सरकारी विभाग तथा अन्य को विक्रय करने के लिये अधिप्राप्त और विक्रय कर रही थी। कम्पनी का निष्पादन कार्य था (क) एम्पोरियमों के माध्यम से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादनों का विक्रय (ख) सरकारी प्रदाय (ग) प्रदर्शनियों में भाग लेना (घ) निर्यात (ङ) स्कंधों का सामयिक प्रत्यक्ष सत्यापन तथा कम विक रहे पुराने एवं खराब माल का निष्पादन करना तथा (च) एम्पोरियमों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना।**

कम्पनी ने प्रेषण के आधार पर भी माल का विक्रय किया। कम्पनी की नीति के अनुसार माल उत्सने पर आई लागत में लागत मूल्य का 10 से 15 प्रतिशत जोड़ना था, तदुपरान्त उम्मी व्यय एवं लाभ प्राप्त के रूप में 60 प्रतिशत जोड़कर विक्रय मूल्य निर्धारित करना था। प्रेषण विक्रय के मामले में कम्पनी शुद्ध विक्रय मूल्य का 10 से 15 प्रतिशत के बीच सेवा प्रभार प्राप्त करती है।

निम्नांकित तालिका में 2002-03 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी का स्वयं का विक्रय तथा प्रेषण विक्रय दर्शाया गया है:

(लाख रुपए में)

1	2	3	4	5	6	7
1998-99	9.00	262.89	39.44	97.85	285.74	694.92
1999-2000	303.55	276.72	16.31	149.28	270.65	1016.51
2000-01	548.78	257.03	101.79	517.42	230.32	1655.34
2001-02	569.62	246.40	337.06	1021.74	242.45	2417.27
2002-03	456.89	265.71	19.76	428.11	282.04	1452.51

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- कम्पनी ने विभिन्न श्रेणियों के लिये कोई विक्रय लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं।
- दो दशकों से भी अधिक के अपने अस्तित्व के बाबजूद भी कम्पनी ने किसी विक्रय नीति की संरचना नहीं की और न ही बाजार में टिकने के लिये हस्तशिल्प उत्पादों में अपने प्रतिस्पर्धियों का कोई आंकड़ा बद्ध आधार ही तैयार किया।

**31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)**

- 2000-01 तक निरन्तर हानि और तत्पश्चात् सीमित लाभ अर्जन निम्नांकित कारणों से थे- (क) सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर हथकरघा वस्त्रों का मूल्य पुनरीक्षित न करना, चिह्नित मूल्यों का पुनरांकन न करना, अनुमत्य सीमा से अधिक छूट, ऊपरी व्ययों का अधिक बढ़ना, अनुदान प्राप्तियों से अधिक व्यय होना आदि, जैसा अनुवर्ती कंडिकाओं में विवेचन किया गया है।
- 2001-02 की तुलना में 2002-03 में विक्रय में कमी का कारण निर्यात का कम होना, सरकारी विभागों को हथकरघा वस्त्रों की विक्री में कमी होना, तथा सरकारी विभागों के हथकरघा माल के प्रदाय आदेश मूल्य में कमी होना भी था।

प्रबंधन ने हानि के लिये पुराने स्टॉक को लागत मूल्य से भी कम पर बेचने तथा अत्यधिक स्थापना व्यय का होना बताया (अक्टूबर 2004)। आगे यह भी बताया गया कि 2002-03 अवधि में विक्रय में गिरावट के कारणों में एक कारण 2001-02 में ग्वालियर एम्पोरियम का दोहरा लेखाकरण करना था, इसके साथ ही विक्रय में कमी होने की जाँच की जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने अधिक स्थापना व्यय को कम करने के लिये आर्थिक रूप से कम फायदे वाले केन्द्रों एवं एम्पोरियम के कार्य निष्पादन में सुधार करने अथवा उन्हें बंद करने के लिये कोई उपाय नहीं किये।

**2.10 31 मार्च 2003 को ठेका प्रबंधन आधार पर एक एम्पोरियम तथा राज्य के बाहर स्थित 10 एम्पोरियमों सहित कम्पनी कुल 19 एम्पोरियम चला रही थी। 1998-2003 के दौरान उनका कार्य निष्पादन परिशिष्ट 10 में दिया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त अवधि में 4.35 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदानों का लाभ लेने के बाद भी इन एम्पोरियमों के कार्यचालन परिणाम में 1.15 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई।**

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि प्राप्त हुये अनुदान एम्पोरियमों के लिये नहीं अपितु प्रदर्शनियों/मेला स्टालों के लिये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये सभी लेनदेन (अनुदानों सहित) केवल एम्पोरियमों के लेखाओं में ही लेखांकित किये थे।

निम्नांकित तालिका में 31 मार्च 2003 को समाप्त गत पाँच वर्षों में इन एम्पोरियमों के लाभ/हानि का उल्लेख किया गया है।

(लाख रुपए में)

वर्ष	लाभ/हानि	लाभ/हानि	लाभ/हानि	लाभ/हानि	लाभ/हानि	लाभ/हानि
1998-99	21	58.35	5	31.11	26	(-)27.24
1999-2000	19	52.50	7	17.56	26	(-)34.94
2000-01	18	31.74	7	20.10	25	(-)11.64
2001-02	14	46.42	10	53.96	24	(+)7.54
2002-03	14	65.50	4	16.72	18	(-)48.78
योग		254.51		139.45		(-)115.06

वर्ष 2002-03 के दौरान 18 में से 14 एम्पोरियमों को 48.78 रुपये की हानि हुई।

यह दृष्टव्य है कि उक्त अवधि के दौरान हानि उठाने वाले एम्पोरियमों की संख्या 14 एवं 21 के मध्य थी तथा लाभ अर्जित करने वाले एम्पोरियम 2001-02 में 10 से घटकर 2002-03 में 4 रह गई। राज्य के बाहर स्थित 10 में से 9 एम्पोरियमों को उक्त अवधि के दौरान 95.55 लाख रुपये की हानि हुई। 19 में से केवल एक ही एम्पोरियम(जयपुर) 1998-99 से 2002-03 तक निरंतर लाभ अर्जित कर रहा है।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि हानियां अत्यधिक अप्रत्यक्ष व्ययों (उपरी व्यय) के कारण थीं जो कि 1998-2003 के दौरान कम्पनी के अपने विक्रयों के 62.2 से 84.7 प्रतिशत के मध्य रहीं। लेखापरीक्षा विश्लेषण में परिलक्षित हुआ कि:

- कम्पनी ने प्रत्येक एम्पोरियम में विक्रय के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे।
- तथापि हथकरघा और हस्तशिल्प माल के विक्रय की संभावना के संबंध में बिना किसी आकड़ों/निर्देशों के आधार पर एम्पोरियम चलाये जा रहे थे।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि राज्य के बाहर प्रदर्शनियों में अपनी भागीदारी करने के लिये उसने इन स्थानों पर एम्पोरियम खोले थे। इसके अतिरिक्त हानि उठाने वाले एम्पोरियमों की समीक्षा की गई थी और अक्षम इकाईयों को बंद कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि कम्पनी को एम्पोरियम खोलने थे तो बाजार संभावनाओं और उनकी आर्थिक सक्षमता पर विचार किया जाना चाहिये था। उक्त वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले एम्पोरियमों के कार्य सुधार हेतु कोई उपचारी उपाय भी नहीं किये गये।

### विक्रय पर अधिक छूट देना

**2.10.1** महत्वपूर्ण त्यौहारों एवं राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर राज्य सरकार हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्त्रों के विक्रय पर 10 प्रतिशत की छूट(जिसकी कम्पनी को प्रतिपूर्ति की जाती है) प्रदान करती है। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान विक्रय में वृद्धि करने के लिये कम्पनी ने और 10 प्रतिशत की छूट भी अनुमत्य की।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2004) कि 1998-2003 अवधि के दौरान अपने ही विक्रय पर एम्पोरियमों ने 26.5 से 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जो त्यौहारों की अवधि के बाद भी दी गई। इस प्रकार निर्धारित सीमाओं एवं निश्चित अवधि के उपरान्त भी छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान 1.07 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (जून 2004) कि निर्धारित सीमा से अधिक अवहार/छूट न दिये जाने के लिये एम्पोरियमों को अनुदेश जारी किये जा रहे हैं।

एम्पोरियमों के अधिक छूट प्रदान करने के कारण 1.07 करोड़ रुपये की हानि हुई।

### एम्पोरियमों में रखे माल का अवरुद्ध रहना

**2.10.2** 31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान रखे माल की स्थिति परिशिष्ट 10 में दी गई है। परिशिष्ट से यह दृष्टिगत होगा कि वर्ष के अंत में एम्पोरियम में रखे माल का अंतशेष आठ माह के विक्रय से भी अधिक (अर्थात् 8.4 एवं 10.5 माह के विक्रय के मध्य) था, परिणामस्वरूप 2.25 करोड़ रुपये मूल्य के भंडार की निधियों का अवरोधन हुआ।

कम्पनी के नाम पर ठेकेदारों द्वारा सरकारी विभागों को अप्राधिकृत माल का विक्रय

**2.10.3** कम्पनी ने बिना किसी विज्ञापन और चयन आधार के ही ग्वालियर एम्पोरियम का प्रबंधन ठेका आधार पर धारक कम्पनी के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को केवल उसके आवेदन पर ही सौंप दिया (मई 2000)। सम्पादित अनुबंध (अपंजीकृत) की निर्धारित शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख था कि:

- ठेकेदार हथकरघा, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों का केवल वही माल विक्रय करेगा जो कम्पनी के माल से भिन्न प्रकार का हो। समस्त विक्रय एम्पोरियम के बीजक/रोकड़ पर्ची पर होना चाहिये।
- ठेकेदार कम्पनी को उसके खुदरा विक्रय पर पाँच प्रतिशत कमीशन तथा थोक माल के विक्रय पर तीन प्रतिशत का भुगतान करेगा।
- कम्पनी के माल का ठेकेदार द्वारा किये गये शुद्ध विक्रय पर कम्पनी उसे 10 प्रतिशत की दर से कमीशन देगी।
- ठेकेदार प्रत्येक वित्त वर्ष के एम्पोरियम के लेखापरीक्षित लेखे वर्ष समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- प्रथम दो वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त अनुबंध की समीक्षा की जायेगी तथा दोनों में से कोई पक्षकार दूसरे पक्ष को तीन माह का नोटिस देकर संविदा भंग कर सकेगा। पाँच वर्षों के उपरान्त संविदा का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- संविदा में ठेकेदार द्वारा कम्पनी का माल बेचने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि अनुबंध सम्पादन के उपरान्त कम्पनी के माल के विक्रय में 15.94 लाख रुपये (1998-99) से 6.61 लाख रुपये (1999-2000) तक की गिरावट हुई अर्थात् संविदा अवधि के पूर्व 3.31 लाख रुपये (2000-01) तथा संविदा अवधि के बाद 1.79 लाख रुपये (2001-02)। 2002-03 एवं 2003-04 से संबंधित विक्रय के विवरण लेखापरीक्षा में मांगे गये थे किन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये।

- कम्पनी के नाम पर ठेकेदार ने माल का अप्राधिकृत विक्रय किया।
- संविदा में ठेकेदार का माल सरकारी विभागों को विक्रय करने का कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी ठेकेदार ने 2000-02 के दौरान अपने एम्पोरियम से कम्पनी के नाम पर समूचे राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों/कार्यालयों को अपना माल (हथकरघा/हस्तशिल्प वस्तुओं को छोड़कर) यथा लेखन सामग्री, सिले-सिलाये वस्त्र, फर्नीचर एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं (मूल्य: 7.20 करोड़ रुपये) का विक्रय किया।
- ठेकेदार द्वारा इस प्रकार अप्राधिकृत रूप से विक्रय किये जाने की जानकारी होने (मार्च 2001) के बाद भी प्रबंधन ने कोई कार्रवाही नहीं की और संविदा भंग करने की अपेक्षा ठेकेदार को कम्पनी के नाम पर अपना माल सरकारी विभागों/कार्यालयों को आपूर्ति जारी रखने को बढ़ावा दिया।

लेखापरीक्षा में इस तथ्य की ओर इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि अनियमितताओं को देखते हुये संविदा का अनुबंध समाप्ति अवधि के पूर्व जारी किया जा रहा है।

#### ग्राहकों से विक्रय कर की पूर्ण वसूली में विफलता

**2.10.4 हस्तशिल्प उत्पादनों के विक्रय मूल्य को स्थिर बनाये रखने की दृष्टि से कम्पनी ने अपने विक्रय पर ग्राहकों से विक्रय कर प्रभारित न करने का निर्णय किया (1982-83)। तथापि कम्पनी वस्तुतः ग्राहकों से वसूली किये बिना ही राज्य सरकार को विक्रय कर का भुगतान करती रही और कम्पनी द्वारा अदा किया गया कर बाद में सरकार ने निधियों की उपलब्धता के अनुसार अंशतः प्रतिपूरित किया। इस प्रकार कम्पनी ने 1995-2000 के दौरान 25.95 लाख रुपये का भुगतान किया और केवल 11.80 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति हुई जिसके परिणामस्वरूप कर वसूली न होने के कारण कम्पनी की हानि 14.15 लाख रुपये से बढ़ गई।**

तत्पश्चात् कम्पनी ने अपने निर्णय में संशोधन किया और अप्रैल 2000 से ग्राहकों से विक्रय कर प्रभारित करने का तदनुसार निर्णय लिया (मार्च 2000)।

कम्पनी 15.49 लाख रुपये का विक्रय कर वसूल करने में विफल रही।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (जनवरी 2004) कि उक्त निर्णय के बाद भी 2000-03 के दौरान कम्पनी ने ग्राहकों से कर के रूप में 27.03 लाख रुपये के बजाय केवल 16.87 लाख रुपये ही संग्रहीत किये किन्तु राज्य सरकार को 27.03 लाख रुपये का प्रेषण किया गया जिसमें से 8.82 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार देयकर का पूर्ण संग्रहण करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप उसकी हानि 1.34 लाख रुपये तक और बढ़ गई।

प्रबंधन ने विक्रय कर के कम संग्रहण हेतु कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये (अक्टूबर 2004)।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

### दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

**2.10.5** हथकरघा क्षेत्र का सुनियोजित ढंग से समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा बुनकरों का कौशल एवं उत्पादन स्तर को उठाकर लाभ पहुंचाने हेतु भारत सरकार ने दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (पूर्व में बाजार विकास सहायता योजना के रूप में प्रचलित) आरम्भ की (अप्रैल 2000) जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान अंश में वित्त पोषित की जानी थी।

योजना के अंतर्गत कम्पनी 1995-96 तक नियमित रूप से दावा कर सहायता प्राप्त करती रही। तथापि 1996-2002 के दौरान 1.91 करोड़ रुपये के दावे में से कम्पनी को केवल 1.43 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ (दिसम्बर-2003) कि कम्पनी 1996-97 के 24.53 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत करने में विफल रही जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे तथा 0.16 लाख रुपये (1997-98), 9.18 लाख रुपये (1998-99) और 14.90 लाख रुपये (1999-2000) से संबंधित दावे के पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण भारत सरकार ने अमान्य कर दिये। जिसके परिणामस्वरूप 48.77 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अप्राप्य रही। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्वीकारोक्ति के समय (अक्टूबर 2004) प्रबंधन ने बृताया कि इस संबंध में उनके पास कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं है।

**2.11** केन्द्र तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से हस्तशिल्प उत्पादनों का विक्रय बढ़ाने तथा शिल्पकारों को बाजार में अभिदर्शित करने हेतु कम्पनी ने घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया। 1998-2003 के दौरान उसने 13 विदेशी प्रदर्शनियों में भी भागीदारी की और 55.25 लाख रुपये का व्यय किया जिसके लिये उसे राज्य सरकार से 26.44 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ।

31 मार्च 2003 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान लगाई गई प्रदर्शनियों की संख्या, विक्रय, व्यय तथा प्राप्त अनुदान राशि के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं-

(लाख रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7	8
1998-99	75	262.54	90.32(34.4)	39.38	50.94	27.80	29.25
1999-2000	62	246.65	58.65(23.8)	37.00	21.65	27.80	18.24
2000-01	42	169.15	36.73(21.7)	25.37	11.36	27.80	16.99
2001-02	57	229.92	52.67(22.9)	34.49	18.18	36.80	09.91
2002-03	52	228.94	53.41(23.3)	34.34	19.07	36.50	08.40
सामग्री	288	1137.20	291.78(25.7)	170.58	121.20	156.70	82.79

बोर्ड के निर्णयानुसार व्यय को सीमित रखने में विफलता के कारण 48.61 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

कम्पनी ने निर्णय लिया (जुलाई 2000) कि प्रदर्शनियों में भागीदारी पर व्यय कुल विक्रय राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2003) कि उसका व्यय अधिक होता रहा जो 2000-03 के दौरान 48.61 लाख रुपये संगणित किया गया। इसके अतिरिक्त व्यय को नियंत्रित करने में उसकी असमर्थता के कारण इन प्रदर्शनियों पर व्यय की पूर्ति हेतु कम्पनी ने 52.29<sup>16</sup> लाख रुपये की अपनी निधियों का भी उपयोग किया।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि व्यय को सीमित करना व्यवहार्य नहीं था कुछ व्यय बैंट-उपहारों आदि पर भी करना पड़ा, यद्यपि विक्रय नगण्य था तथा विक्रय में वृद्धि नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त ही कम्पनी ने सीमा बंधन निर्धारित किये थे।

### लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

**2.12** निम्नांकित तालिका निर्यात हेतु लक्ष्य (कम्पनी के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित) तथा उनकी तुलना में 1998-2003 के दौरान उपलब्धियाँ दर्शाती है।

(लाख रुपयों में)

1998-99	50	39.44	78.9
1999-2000	50	16.31	32.6
2000-01	50	101.79	203.6
2001-02	200	337.06	168.5
2002-03	100	19.76	19.8

जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2002-03 में निर्यात में कमी का कारण आई.के.ई.ए.ट्रेडिंग इण्डिया लिमिटेड (एक घरेलू कंपनी जिसके माध्यम से वर्ष 2000-02 के दौरान 3.39 करोड़ रुपये के हथकरघा सामग्री का निर्यात किया गया था) एवं अन्य किसी के द्वारा आदेश नहीं देना था।

लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि:

- 1999-2000 से हथकरघा कार्य हाथ में लेने उपरान्त भी लक्ष्यों में सारभूत वृद्धि नहीं हुई अपितु 2002-03 में कमी देखी गई।

<sup>16</sup> 291.78 लाख रुपये (-) 239.49 लाख रुपये (156.70 लाख रुपये + 82.79 लाख रुपये)

### 31 मार्च 2004 को समान्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

- 2000-01 और 2001-02 को छोड़कर कम्पनी ने अपने कम लक्षणों को भी प्राप्त नहीं किया, तथा
- कम्पनी ने माल निर्यात का विक्रय मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई नीतिगत रचना नहीं की। निर्यात विक्री पर पृथक से लाभ/हानि की गणना भी नहीं की गई है।



2.13 कम्पनी ने 1999-2000 से आठ केन्द्रों<sup>17</sup> पर हथकरघा क्रियाकलाप आरंभ किये थे। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी विभागों/उपक्रमों को सभी प्रकार के कपड़े का क्रय केवल मध्यप्रदेश राज्य बुनकर सहकारी समिति, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद तथा कम्पनी से ही करना आवश्यक था।

आयुक्त हथकरघा ने कम्पनी को आपूर्ति आदेश दिये तथा कम्पनी के केन्द्रों को सूत प्रदाय करने की व्यवस्था की और आपूरित किये जाने वाले कपड़े की दरें निर्दिष्ट कीं। केन्द्रों ने बुनकर समितियों को राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई दरों पर सूत का विक्रय किया। कम्पनी ने समितियों से ग्रे कपड़ा अधिप्राप्त किया और उसकी रंगाई एवं प्रक्रिया कर पूर्ण तैयार कपड़े के रूप में परिवर्तित कराया।

लेखापरीक्षा में पाया कि यद्यपि कम्पनी का हथकरघा माल विक्रय 1999-2000 में 3.03 करोड़ रुपये की तुलना में 2002-03 में 4.57 करोड़ रुपये तक बढ़ा तथापि उससे केवल 12.75 लाख रुपये (2001-02) एवं 48.79 लाख रुपये (2002-03) का ही सीमान्त लाभ अर्जित हो सका। 1999-2003 के दौरान 21.44 करोड़ रुपये के आदेश प्रस्ताव के विरुद्ध कम्पनी केवल 17.83 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश की ही आपूर्ति कर सकी जिसका कोई कारण अभिलेख में अंकित नहीं है।

इसके अतिरिक्त लाभ उपार्जन रहित कार्यचालन के निम्नांकित कारण थे:

- सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर मूल्यों का पुनर्निर्धारण न करना, जबकि मार्च 2000 में निर्धारित की गई दरें केवल अगस्त 2004 में पुनरीक्षित की गई थीं तथा
- मूल्य निर्धारित करने में कम्पनी की भूमिका का अभाव तथा इसे आपूर्ति आदेश प्रस्तावों का आबंटन आयुक्त हथकरघा द्वारा किया जाना।

उक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम्पनी की सीमित भूमिका की दृष्टि से वह अपनी निष्पादन स्थिति में सुधार नहीं कर सकी और उसे सरकार पर निर्भर होना पड़ा।

तथापि लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार करते हुये प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि दरें निर्धारित करने पर नियंत्रण सरकार का ही होना चाहिये।

हथकरघा वस्त्र के विक्रय हेतु कम्पनी पूर्ति: सरकार पर निर्भर है।

<sup>17</sup>

ग्वालियर, व्यावरा, सौंसर, निवाड़ी, इंदौर, मंदसौर, वारासिवनी एवं भोपाल

### विक्रय कर राशि संग्रहित न करने के कारण परिहार्य देयता

**2.13.1** गॉज और बैण्डेज पट्टी को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 के अंतर्गत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कम्पनी राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से सूत अधिप्राप्त कर बुनकर समितियों को विक्रय कर रही थी जो गॉज और बैण्डेज पट्टी का निर्माण करती हैं। कम्पनी ने समितियों से उक्त सामग्री मर्दें क्रय कीं और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को विक्रय किया।

लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ (दिसम्बर 2003) कि

- बुनकर समितियों के पास गॉज और बैण्डेज निर्माण का कोई अनुज्ञापत्र नहीं था।
- कम्पनी के पास भी उक्त वस्तुओं के विक्रय हेतु कोई अनुज्ञापत्र नहीं था।
- कम्पनी ने 1998 से 2003 (दिसम्बर 2002 तक) के दौरान 10.34 करोड़ रुपये मूल्य (कर रहित) की गॉज और बैण्डेज पट्टी बिना विक्रय कर प्रभारित किये स्वास्थ्य विभाग को आपूर्ति की। कम्पनी ने जनवरी 2003 से 9.2 प्रतिशत की दर से कर प्रभारित करना आरंभ किया।

कर संग्रहण में कम्पनी की विफलता के कारण उसे 95.16 लाख रुपये की परिहार्य देयता वहन करनी पड़ी। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर कम्पनी ने मामला विभाग के साथ उठाया (मार्च 2004)।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि फार्म “घ” प्रस्तुत करने पर सरकारी विभाग को की गई आपूर्ति मार्च 2002 तक विक्रय कर से मुक्त थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी अधिसूचना (27 मार्च 2002) के अनुसार भी ऐसे विक्रय पर चार प्रतिशत की दर से कर देय था।

### सूत की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफलता

**2.13.2** पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने 90 रुपये प्रतिमीटर की दर से 1,10,344 भीटर वर्दी के कपड़े का आपूर्ति आदेश प्रस्ताव (नवम्बर 2000) किया था, जिसकी आपूर्ति मई 2001 तक पूर्ण करनी थी।

कम्पनी ने बिना कोई औपचारिक अनुबंध सम्पादित किये राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से 34.64 लाख रुपये का 31,575 किलोग्राम सूत अधिप्राप्त किया (दिसम्बर 2000)। कम्पनी के पास तकनीकी रूप से दक्षता प्राप्त 16 व्यक्ति होने के बाद भी कम्पनी ने सूत अथवा ग्रे कपड़े की प्राप्ति के समय उसकी गुणवत्ता का सत्यापन करने के लिये कोई गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया नहीं अपनाई। उसने बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से सूत को ग्रे कपड़े में परिवर्तित कराया और तैयार कपड़े के रूप में प्रक्रिया

### 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

कराने हेतु उसे प्रक्रिया केन्द्रों को भेजा। पुलिस मुख्यालय को मई 2001 तक निर्धारित सुपुर्दगी के विरुद्ध तैयार कपड़ा अप्रैल से नवम्बर 2001 के दौरान आपूरित किया गया।

सूत की गुणवत्ता  
निर्धारित करने में  
विफलता के कारण  
6.86 लाख रुपये की  
हानि के साथ ही  
16.79 लाख रुपये  
कम का अवरोधन  
हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,13,579<sup>18</sup> मीटर कपड़े में से 68,796 मीटर कपड़ा (27,560 मीटर ग्रे कपड़ा और 41,236 मीटर परिमार्जित कपड़ा) दोषपूर्ण पाया गया। 41,236 मीटर प्रसंस्कृत कपड़े में से 19,602 मीटर कपड़े का 55 रुपये प्रतिमीटर की दर से विक्रय निपटान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 6.86 लाख रुपये की हानि हुई। इसके अतिरिक्त 16.79 लाख रुपये मूल्य का दोषपूर्ण परिमार्जित कपड़ा (21,634 मीटर) तथा ग्रे कपड़ा (27,560 मीटर) दोनों ही अप्रैल 2001 से स्टॉक में पड़े हुये हैं।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि आपूर्तिकर्ताओं ने अपेक्षित किस्म का सूत आपूरित नहीं किया और लॉट संख्या भी बंडलों पर अंकित नहीं की गई थीं। हथकरघों पर भिन्न प्रकार के सूत की किस्में उपयोग किये जाने के कारण दोषपूर्ण कपड़ा उत्पादित हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी सूत की गुणवत्ता निर्धारित करने में विफल रही और इसके विपरीत बंडलों पर काउन्ट अथवा लॉट संख्या अंकित न होने पर भी प्रसंस्करण हेतु सूत का उपयोग किया।

#### हर्जाने का परिहार्य भुगतान

**2.13.3 कम्पनी नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय भोपाल को कपड़े की आपूर्ति करती रही है।** क्रेता की शर्तों एवं निबंधनों की जानकारी होने के बाबजूद भी कम्पनी ने कपड़े की अपनी अधिप्राप्ति, प्रक्रिया एवं आपूर्ति की निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के साथ समन्वित कर योजना नहीं बनाई।

पुलिस मुख्यालय ने कपड़े की आपूर्ति हेतु कम्पनी को 2.41 करोड़ रुपये के तीन आदेश प्रस्ताव (दिसम्बर 1998, नवम्बर 2000 एवं नवम्बर 2001) दिये जो छःमाह के भीतर पूर्ण किये जाने थे। विलम्ब की स्थिति में हर्जाने का भुगतान किया जाना था। उक्त निर्धारित समयावधि के विरुद्ध आपूर्ति चार, 20 एवं तीन माह के विलम्ब उपरान्त क्रमशः सितम्बर 1999, जनवरी 2003 एवं अगस्त 2002 में ही पूर्ण की गई। परिणामस्वरूप पुलिस मुख्यालय ने हर्जाने के रूप में 30.39 लाख रुपये वसूल किये।

प्रबंधन ने बताया (जून 2004) कि हथकरघा कपड़ा के उत्पादन के प्रारंभिक वर्षों में खराब सूत और कम उत्पादन क्षमता के कारण सुपुर्दगी हेतु निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन सूत की गुणवत्ता निर्धारण में विफल रहा जिसके कारण दोषपूर्ण कपड़े का उत्पादन हुआ जिससे सुपुर्दगी में भी विलम्ब हुआ।

<sup>18</sup>

एक मीटर कपड़ा तैयार करने के लिये 0.278 किलोग्राम सूत की दर से (31,575 किलोग्राम भागित 0.278)

### सरकारी कंपनी की समीक्षा एवं उल्लेखनीय घटनाएँ

**2.14** निम्नांकित तालिका में वर्ष 2002-03 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान धारित स्टॉक, टर्नओवर तथा विक्रय माहों के संदर्भ में स्टॉक का उल्लेख किया गया है।

(लाख रुपयों में)

1	2	3	4
1998-99	366.22	409.18	10.7
1999-2000	363.28	745.86	5.8
2000-01	537.60	1452.01	4.4
2001-02	601.93	2174.82	3.3
2002-03	614.70	1170.47	6.3

उपरोक्त विवरण से यह दृष्टव्य है कि स्टॉक धारिता 3.3 से 10.7 माहों के विक्रय के बराबर है।

लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि:

- कम्पनी ने अधिकतम स्टॉक संग्रह हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये।
  - स्टॉक में 47.78 लाख रुपये मूल्य का क्षतिग्रस्त माल सम्मिलित है।
  - स्टॉक में, 1981 में तत्कालीन राज्य हस्तशिल्प मण्डल से लिया गया 5.25 लाख रुपये का माल तथा 1997-98 से पूर्व प्राप्त 6.13 लाख रुपये मूल्य के नमूने भी सम्मिलित हैं, जो केन्द्रीय भण्डार में पड़े हुये हैं।
  - इसमें मांग की अपेक्षा अधिकता में अधिप्राप्त 11.42 लाख रुपये मूल्य की विस्तर चादर भी सम्मिलित हैं और 2001-02 से स्टॉक में पड़े हुये हैं। कम्पनी ने इसके निपटान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की है (सितम्बर 2004)।
  - स्टॉक का वस्तु वार एवं अवधि वार विवरण संधारित नहीं किया गया है।
  - किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा भौतिक सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं थी। गवालियर इकाई की नमूना जाँच में परिलक्षित हुआ कि 2000-01 से 2002-03 से संबंधित भौतिक सत्यापन स्टॉक प्रभारी द्वारा किया गया था।
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ को स्वीकारते समय प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि वस्तुओं की बहुसंख्य मर्दे थीं, इसलिये अवधि वार एवं वस्तु वार विवरण संधारित नहीं किये जा सके।

**31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)**

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के निर्देशों के बाद भी कम्पनी ने अपने लंबित बकाया का संचय होने दिया।

**2.15** कम्पनी ने कोई साख उधार नीति नहीं अपनाई थी, यद्यपि उसने सरकारी विभागों को उधार पर माल प्रदाय किया था। यद्यपि इसका अधिकांश विक्रय नगद आधार पर था फिर भी क्रेताओं से वसूली योग्य कम्पनी के उधार ऋण 14.58 करोड़ रुपये के थे। सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति (समिति) की वांछना थी (मार्च 2000) कि लंबित बकाया को कम करने के लिये कम्पनी को कार्रवाई करनी चाहिये। किन्तु कम्पनी ने समिति की अनुशंसाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा 1998-2003 के दौरान अपने ही विक्रय में बकाया की 96.4 से 194.5 प्रतिशत तक की वृद्धि होने दी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(लाख रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7
1998-99	409.18	147.85	22.97	170.82	223.67	394.49(96.4)
1999-2000	745.86	132.97	156.39	289.36	177.43	466.79(62.6)
2000-01	1452.02	239.31	860.08	1093.39	368.20	1461.59(100.7)
2001-02	2174.82	433.25	1099.87	1533.12	649.75	2182.87(100.4)
2002-03	1570.47	400.43	1057.23	1457.70	818.58	2276.28(194.5)

यह देखा जा सकता है कि लंबित बकाया 3.94 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2003 को 22.76 करोड़ रुपये हो गये। यह कम्पनी द्वारा वसूली की अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई दर्शाता है। वसूली न होने की प्रवृत्ति को इस संदर्भ में लिया जाना था कि 31 मार्च 2003 को सरकारी विभागों को छोड़कर अन्य ग्राहकों से 10.57 करोड़ रुपये (कुल उधार ऋणों का 72.5 प्रतिशत) बकाया थे जिन्हें कम्पनी ने किसी तरह का उधार नहीं दिया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कम्पनी के पास ऋणों के इकाई-वार, पक्षकार-वार तथ अवधि-वार विवरण नहीं थे, उसने संदिग्ध प्राप्ति के निर्धारण हेतु राशि की वसूली की न तो समीक्षा ही की और/अथवा वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई के अतिरिक्त तत्संबंधी कोई प्रावधान ही किया।

प्रबंधन ने बताया (जून 2004) कि जैसा कि उनकी लेखाओं का तैयार होना अभी बाकी है, देनदारियों में वृद्धि के कारणों का, इकाईयों के आंकड़ों का समाधान मुख्यालय के आंकड़ों से कर निर्धारित किया जायेगा।

**2.16** यद्यपि कम्पनी दो दशकों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, उसने अपनी स्वयं की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित नहीं की है। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य उन्हीं चार्टर्ड लेखापालों को सौंपा गया था जिन्हें वार्षिक लेखे तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रणालीगत विसंगतियां प्रकाश में आईः

- आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/संहितायें निर्धारित नहीं की गई है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष/अवधि-वार) तैयार नहीं किये और बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये गये।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों ने सहायक अभिलेखों की जाँच हेतु कम्पनी की किसी भी इकाई का निरीक्षण नहीं किया।
- लेखाओं के संधारण हेतु कोई लेखाकरण संहिता अथवा लिखित अनुदेश अस्तित्व में नहीं है।
- सहायक खातों में अंकित शेषों का मिलान नियमित रूप से नहीं किया गया।
- भण्डार की अधिप्राप्ति एवं निपटान सबंधी अभिलेख का यथोपयुक्त संधारण नहीं किया गया।
- अग्रिम भुगतानों का नियमित समायोजन नहीं किया गया।
- प्रबंधन ने जनशक्ति हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये हैं।
- भण्डार के समयबद्ध निरीक्षण तथा यथोचित सुरक्षा प्रणाली विकसित नहीं की गई।
- देयकों पर प्रमाणक संख्या अंकित करने आदेश पास करने एवं देयकों के भुगतान उपरान्त उनके निरस्त करने में प्रणालीगत प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया जैसाकि एक्सपो 1999 भोपाल के 47.75 लाख रुपये के अभिलेख की नमूना जाँच में परिलक्षित हुआ था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2004) कि आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य लेखा तैयार करते समय लेखाओं में हुई त्रुटि का पता लगाना और उसका सुधार करना था, इसलिये उसने कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये। लेखे तैयार करने तथा 2002-03 की लेखाओं का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य चार्टर्ड लेखापालों को अभी तक नहीं सौंपा गया है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि त्रुटियों का पता लगाना और उनमें सुधार करना लेखाओं की तैयारी का केवल एक भाग है इसलिये इसे आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में आशयित नहीं किया जा सकता। इसलिये कम्पनी को चाहिये कि विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/प्रक्रिया निर्धारित करते हुये अपनी स्वयं की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना हेतु कार्रवाई करें।

### निष्कर्ष

कम्पनी की स्थापना राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी उत्पादनों का विकास करने तथा हस्तशिल्पकारों एवं हथकरघा क्षेत्र का संवर्द्धन और हितरक्षण करने के भी उद्देश्य से किया गया था। योजना के अभाव, अनुदानों के अविवेकपूर्ण उपयोग और उनके वृहद रूप से अन्य उद्देश्यों में उपयोग से अनुदानों के आहरण का उद्देश्य विफल हो गया। अधिकांश विकास केन्द्र तथा एम्पोरियम आय के रूप में अनुदानों का लेखांकन करने के उपरान्त भी घाटे में चल रहे थे और उनके कार्य निष्पादन में सुधार के लिये कोई उपचारी उपाय नहीं किये गये। प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में जहाँ कमी देखी गई वहीं प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पकारों को कोई कार्य-रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया।

सम्मिलित प्रयासों में, अनुदानों की सहायता से निष्पादित योजनाओं की क्रियान्वयन प्रणाली को गतिशील बनाना, घाटे में चल रहे केन्द्रों/एम्पोरियमों का कार्य निष्पादन सुधारना अथवा अनार्थिक इकाईयों को बंद करना, कम्पनी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित शिल्पकारों को कार्य-रोजगार उपलब्ध कराने के लिये आधारभूत संरचना का अधिक प्रभावी एवं कार्यक्षमता से सृजन करना आवश्यक है।

मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2004), उनका उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2004)।

### अध्याय-3

#### सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षाएं

##### मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में ईंधन प्रबंधन

###### मुख्यांश

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के पास तीन ताप विद्युत केन्द्र यथा अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र, चचाई, सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र सारणी एवं संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र बीरसिंहपुर हैं। विद्युत केन्द्रों की संयुक्त अधिष्ठापन क्षमता 2,272.5 मेगावाट हैं।

2003-04 तक के पाँच वर्षों में इन तीन ताप विद्युत केन्द्रों ने अपनी आवश्यकता से 73.30 लाख टन कम कोयला प्राप्त किया जिसके परिणामस्वरूप 570 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि और 114 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

( कंडिका 3.4.1)

मण्डल ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अपेक्षाकृत अधिक दर पर भुगतान करने के कारण कोयले की अधिप्राप्ति पर 24.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

( कंडिका 3.4.4)

मण्डल ने संयुक्त नमूना प्रणाली लागू न करने और प्राप्त निम्न श्रेणी के कोयले के विरुद्ध घोषित श्रेणी के अनुसार कोयले का भुगतान करने के कारण 16.45 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

( कंडिका 3.4.5)

निम्न ताप क्षमता के कारण कुल 2.74 मिलियन किलो कैलोरी ताप की अधिक खपत हुई परिणामस्वरूप 491.54 करोड़ रुपये मूल्य के कोयले की अधिक खपत हुई।

( कंडिका 3.5)

मण्डल ने पत्थर/ सेलखड़ी के मूल्य और उस पर आनुपातिक परिवहन लागत (1.06 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति के लिये दावा नहीं किया।

( कंडिका 3.7.2)

मण्डल ने 50.46 करोड़ रुपये मूल्य के गुमशुदा/व्यपवर्तित कोयला वैगनों के प्रकरणों के विषय में रेलवे से पत्राचार नहीं किया।

( कंडिका 3.7.3)

1999-2004 में अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र एवं सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र ने निर्धारित मानदण्डों से 39,740.66 किलोलीटर तेल की अधिक खपत की परिणामस्वरूप 59.62 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

( कंडिका 3.8.1)

( कंडिका 3.8.3)

**3.1** मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) के पास तीन ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र यथा अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चवाई (290 मैगावाट), सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र सारणी (1142.50 मैगावाट) तथा संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र वीरसिंहपुर (840 मैगावाट) हैं। इन विद्युत केन्द्रों में टरबाइनों तथा जनरेटरों को चलाने के लिये भाप बनाने हेतु वॉयलरों के लिये कोयले, लाइट डीजल औयल तथा हाईस्पीड डीजल औयल की आवश्यकता होती है।

अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र की कुल उत्पादन लागत का 48 प्रतिशत, सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र की कुल उत्पादन लागत का 67 प्रतिशत तथा संयज गांधी ताप विद्युत केन्द्र की कुल उत्पादन लागत का 46 प्रतिशत तेल एवं कोयले पर व्यय होता है। मण्डल वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एवं साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से कोयला प्राप्त करता है और लाइट डीजल ॲंडल एवं हार्डस्पीड डीजल ॲंडल सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से प्राप्त करता है।

**3.2** मण्डल के मुख्यालय पर स्थित एक ईंधन अनुभाग जिसके प्रमुख कार्यपालन संचालक (प्रचालन एवं संधारण) उत्पादन होते हैं, संयोजन, अधिप्राप्ति तथा कोयले के संचालन, अभिकरण अनुबंध प्रदान करना, कोयले की गुणवत्ता का परिवेशक्षण तथा संबंधित प्रकरणों की देखभाल करते हैं। अनुपूरक ईंधन की अधिप्राप्ति यथा भट्टी के लिये तेल, लाइट डीजल औयल तथा हाईस्पीड डीजल औयल की व्यवस्था मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) उत्पादन करते हैं।

**3.3** सतपुङ्गा ताप विद्युत केन्द्र के संबंध में 1992-97 का समावेशन करते हुये मण्डल के ईंधन प्रबंधन की एक समीक्षा भारत के नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) के 1996-97 के प्रतिवेदन में समाविष्ट की गई थीं। समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा चर्चा की गई थी (जून 1999)। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (जून 2004)।

दिसम्बर 2003 से जून 2004 के मध्य की गई इस समीक्षा में सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र तथा संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र की आवश्यकता, संयोजन, परिवहन, कोयले एवं तेल की प्राप्ति एवं खपत और अन्य प्रकरणों से संबंधित पक्षों को समाविष्ट किया गया है। समीक्षा, मार्च 2004 को समाप्त पाँच वर्षों में इन तीन विद्युत केन्द्रों तथा जबलपुर स्थित मण्डल के मुख्यालय के अभिलेखों के नमूना जाँच का निष्कर्ष हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की सूचना सरकार/मण्डल को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित होने के अनुरोध के साथ अगस्त 2004 में दी गई थी, जिससे कि समीक्षा को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार/प्रबंधन के दृष्टिकोण का ध्यान रखा जा सके। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति की बैठक 4 अक्टूबर 2004 में आयोजित की गई थी। सरकार का प्रतिनिधित्व अपर सचिव, ऊर्जा विभाग और मण्डल का प्रतिनिधित्व सदस्य (विद्युत उत्पादन) एवं मुख्य अभियंता (विद्युत उत्पादन) ने किया। सरकार/मण्डल के विचार बिन्दुओं को सम्मिलित करने के उपरान्त समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया।

**3.4 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, संयन्त्र की क्षमता, औसत संयन्त्र भार घटक तथा विगत उत्पादन का ध्यान रखते हुये ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करता है। मण्डल निर्धारित लक्ष्यों तथा अपने ताप विद्युत केन्द्रों की विगत कोयला खपत प्रवृत्ति के आधार पर कोयले की आवश्यकता का आकलन करता है। इस प्रकार निर्धारित कोयले की आवश्यकता की सूचना स्थाई संयोजन समिति को दी जाती है जो त्रैमासिक आधार पर ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला आपूर्ति की मात्रा का निर्णय करती हैं।**

सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र और अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले की आवश्यकता की पूर्ति के लिये मण्डल ने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से मई 1985 (1 जुलाई 1985 से प्रभावी) में एक अनुबंध किया। यह एक वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ प्रारंभिक रूप से बैध था कि यह दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के समय तक प्रभावी रहेगा। तदानुसार उक्त अनुबंध अभी तक प्रभावी है। 1986 में वेस्टर्न कोलफील्ड के विभाजन द्वारा अपने अस्तित्व में आने के समय से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अनुबंध का पालन कर रहा था। संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र जिसका अधिष्ठापन 1993 में किया गया था, के लिये कोई पृथक से विशेष अनुबंध नहीं किया गया था परन्तु मण्डल एवं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मध्य आगामी चर्चाओं द्वारा 1985 के अनुबंध के प्रावधान लागू किये गये थे।

### कोयला संयोजन

**3.4.1 1999-2004 के दौरान वर्षावार कोयले की आवश्यकता, स्थाई संयोजन समिति द्वारा किये गये आवंटन और प्राप्त मात्रा परिशिष्ट-11 में दिये गये हैं। परिशिष्ट से यह दृष्टिगत होगा कि प्राप्त कोयले की मात्रा सदैव संयोजन तथा आवश्यकता से कम रही। 1999-2004 की अवधि के दौरान आवश्यकता से, 73.30 लाख टन कम कोयला प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 570 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि और 114 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।**

प्रबंधन ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि स्थाई संयोजन समिति द्वारा आवंटित संयोजन पर मण्डल का सीधा नियंत्रण नहीं था। यह भी जोड़ा गया कि कम विद्युत उत्पादन का आरोप एक मात्र कोयले की कम प्राप्ति पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अन्य घटक जैसे परिवहन संबंधी रुकावटें, फीडर प्रबंधन के ब्रेकडाउन आदि भी कोयले की कमी के लिये उत्तरदायी थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ब्रेक डाउन एवं परिवहन संबंधी रुकावटों का उचित रख-रखाव एवं नियोजन द्वारा परिहार किया जा सकता था।

### अधिप्राप्त कोयले का मूल्य निर्धारण

**3.4.2** विभिन्न श्रेणी तथा विशिष्टियों के कोयले के मूल्य का नियमन भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किया जाता है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1996 से कोयला खदान नियंत्रण आदेश 1945 में संशोधन किया और तदुनसार क, ख, ग की एवं धुलाई योग्य श्रेणी के कोयले और घ से छ श्रेणी के कोयले को क्रमशः अप्रैल 1996 एवं जनवरी 2000 से नियंत्रण रहित कर दिया। कोल इण्डिया लिमिटेड अपनी सहायक कम्पनियों की ओर से दर निर्धारित करने के लिये प्राधिकृत था। तथापि मण्डल और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मध्य अनुबंध में प्रत्येक श्रेणी के कोयले के लिये निर्धारित दर की व्यवस्था की गई थी और स्लाईडिंग स्केल पर प्रत्येक श्रेणी के ऊष्मा मूल्य में वृद्धि या कमी के लिये बोनस या अर्थदण्डनीय भी लगाना था।

### अधिक मूल्य का भुगतान

**3.4.3** कोयले के मूल्य को नियंत्रण रहित करने के उपरान्त कोल इण्डिया लिमिटेड ने कुछ खदानों को साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में सूचीबद्ध खदानों के रूप में घोषित किया और इन सूचीबद्ध खदानों से उत्पादित कोयले के लिये पृथक मूल्य अधिसूचित किया जो लॉग फ्लेम कोयले के मूल्य से अधिक था।

पेरामीटर सुनिश्चित किये बिना प्राप्त कोयले के भुगतान के परिणामस्वरूप 64.29 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि मण्डल ने मूल्य अधिसूचना के अनुसार ही मूल्य का भुगतान किया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने कोयले का विश्लेषण कर यह सुनिश्चित नहीं किया कि मूल्य अधिसूचना में निर्दिष्ट कोयले के पैरामीटरों का पालन किया गया है।

### अधिक मूल्य पर कोयले के क्रय के कारण अतिरिक्त व्यय

**3.4.4** मण्डल ने भारत सरकार/कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के प्रतिकूल वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा रविवार/अवकाश के दिन उत्पादित कोयले के लिये 179 रुपये प्रति टन अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने हेतु नवम्बर 1994 में सहमति दी। इसके परिणामस्वरूप 1998-2001 के दौरान प्राप्त 7.04 लाख टन कोयले के लिये 12.61 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया तथापि मण्डल ने अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करना बंद कर दिया (अक्टूबर 2000) यद्यपि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड इसे

नियमित रूप से बिल में दर्शा रहा था। मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र पर कोयले की अत्यधिक कमी थी और आगे की खदानों से कोयले की ढुलाई महंगी थी इसलिये वह रविवार एवं अवकाश के दिन भेजे गये और आपूरित कोयले के लिये अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने हेतु सहमत हुआ। उसने प्रकरण को न्यायालय में चुनौती दी और वह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

इसके अतिरिक्त मण्डल ने तवा एवं छतरपुर खदानों से सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र पर वेस्टर्न कोलफील्ड द्वारा आपूरित किये जाने वाले 25000 मीट्रिक टन कोयले के लिये भारत सरकार कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित मूल्य से 65 रुपये प्रति टन ज्यादा का भुगतान करने हेतु सहमति दी (फरवरी 1995)।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक दर पर भुगतान के कारण 11.43 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

परिणामस्वरूप उसने 1998-2001 के दौरान प्राप्त 17.58 लाख टन कोयले पर 11.43 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया। चूंकि कोयले का मूल्य भारत सरकार ने निर्धारित किया था इसलिये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को किया गया अतिरिक्त व्यय अवांछित था। पूर्ववर्ती अवधि के लिये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा मांगे गये अतिरिक्त मूल्य का मण्डल ने भुगतान नहीं किया तथापि मण्डल ने एक याचिका (2000 की संख्या 3238) दायर की और उच्च न्यायालय ने परस्पर परामर्श द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की।

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र में कोयले का संकट था और परिवहन लागत न्यूनतम करने के लिये कॉस्ट प्लस आधार पर भुगतान की सहमति हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भुगतान केवल निर्देशित मूल्य पर ही किया जाना था। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की समिति का भी उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठन नहीं किया गया था (अक्टूबर 2004)।

### संयुक्त सेम्पलिंग हेतु प्रावधान प्रयुक्त करने में विफलता

**3.4.5 समायोजन की शर्त पर कोयले की घोषित श्रेणी के आधार पर आपूर्तिकर्ता के बिल बनाने के लिये संभरित ईंधन आपूर्ति अनुबंध संयुक्त सेम्पलिंग पर आधारित था।**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तवा, छतरपुर 1 एवं 2 खदानों के प्रकरण में आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित श्रेणी घ की दर पर बनाये गये बिलों का भुगतान सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र द्वारा किया गया। सेम्पलिंग में विश्लेषित श्रेणी सदैव ड श्रेणी की पाई गई परिणामस्वरूप 1999-2004 के दौरान 9.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ। समानरूपेण पाठाखेड़ा 1 एवं 2 खदानों के संबंध में 2002-04 के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा घोषित श्रेणी घ के सृजित बिलों का भुगतान मण्डल द्वारा किया गया जबकि प्राप्त कोयला अधिकांशतः श्रेणी ड का था। इसके परिणामस्वरूप 7.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इस प्रकार संयुक्त सेम्पलिंग लागू करने और घोषित श्रेणी के भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप 16.45 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

1985 में ईंधन आपूर्ति अनुबंध में दिये गये कोयले के संयुक्त सेम्पलिंग प्रावधान लागू न करने के कारण 16.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मण्डल ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2004) कि संयुक्त प्रतिचयन के पूर्व लेख को अंतिम रूप देने के लिये अनेक बैठकें आयोजित की गई थीं। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयुक्त सम्पर्लिंग का प्रावधान पहले से ही 1985 के इंधन आपूर्ति अनुबंध में उपलब्ध था।

### कोयले बिल के विलम्बित भुगतान के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान

**3.4.6** इंधन आपूर्ति अनुबंध में क्रेता द्वारा कोयले की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर कोयले के बिलों का भुगतान करने की व्यवस्था है। भुगतान में विलम्ब की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को सात दिनों से अधिक अवधि की बकाया राशि पर भारतीय स्टेट बैंक से नकद साख पर भुगतान योग्य दर से ब्याज प्रभारित करने की पात्रता थी।

समय पर कोयले के बिलों का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल सात दिनों के भीतर भुगतान नहीं कर रहा था और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 81.80 करोड़ रुपये (फरवरी 2001 तक) ब्याज के मांगे जिसका मण्डल ने भुगतान नहीं किया। निर्णायक के निर्णय (सितम्बर 2003) के अनुसार मण्डल को पूर्ववर्ती अवधि के लिये 12.63 करोड़ रुपये ब्याज की देयता का वहन करना था। आगामी अवधि के लिये अर्थदण्ड ब्याज एवं वस्तुतः किये गये भुगतान के आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

**3.5** एक विद्युत केन्द्र की ताप क्षमता एक अभिसूचक है जिससे ताप ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता नापी जाती है। यह विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त इंधन में निहित ताप ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में निर्दिष्ट विद्युत ऊर्जा का निर्गत है। 2003-04 तक के पाँच वर्षों के दौरान अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र एवं सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र की ताप क्षमता परिशिष्ट-12 में दी गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र (यूनिट I: 35.57, यूनिट II: 41.09) और सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र (यूनिट I: 38.14, यूनिट II: 32.95, यूनिट III: 35.51) की परियोजित क्षमता के विरुद्ध प्राप्त क्षमता 17.57 (अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र यूनिट I:) से 32.49 प्रतिशत (सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र यूनिट III:) थी।

उपरोक्त ताप क्षमता के अनुसार विद्युत गृहों द्वारा एक यूनिट विद्युत उत्पादन के लिये 2,418 किलो केलोरीज, 2,093 किलो केलोरीज (अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I एवं II) तथा 2,255 किलो केलोरीज 26,110 किलो केलोरीज एवं 2,422 किलो केलोरीज (सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I, II एवं II) की खपत होनी चाहिये तथापि विद्युत गृहों ने निम्न (सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I, II एवं II) की खपत होनी चाहिये तथापि विद्युत गृहों ने निम्न ताप क्षमता के कारण 2,647.16 किलो केलोरीज (सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III) से 4,895 किलो केलोरीज (अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I) तक भिन्न ताप की खपत की। कुल 2.74 मिलियन किलो केलोरीज ताप की अधिक खपत के परिणामस्वरूप 491.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने सूचित किया कि निम्न ताप क्षमता का मुख्य कारण, विद्युत गृहों के पुराने होने, बास-बार ब्रेकडाउन, निरूपित गारण्टीकृत पैरामीटरों पर यूनिटों को न चलाना, सतपुड़ा ताप

विद्युत उत्पादन में निम्न ताप क्षमता के कारण 491.54 करोड़ रुपये के कोयले की अधिक खपत हुई।

विद्युत केन्द्र-II की निम्न ताप क्षमता, निम्न केलोरिफिक मूल्य के कोयले की प्राप्ति और आंशिक लोड शैडिंग था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विद्युत गृहों का वार्षिक रख-रखाव नियमित रूप से किया जा रहा था और उपरोक्त घटकों को ध्यान में रखकर ही मानदण्ड निर्धारित किये गये थे।

**3.6 विद्युत गृह तक कोयले का परिवहन रेल, सड़क एवं अपने स्वयं के कन्वेयर वेल्ट से किया जाता था। 31 मार्च 2004 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान तीन विद्युत केन्द्रों द्वारा परिवहनित कोयले की मात्रा परिशिष्ट-13 में दी गई है। अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र और संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र में प्राप्त कोयले की सम्पूर्ण मात्रा का परिवहन केवल रेल से किया गया, जबकि सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र ने कोयले का परिवहन रेल, सड़क तथा कन्वेयर वेल्ट से कराया।**

### किराये का अधिक भुगतान

**3.6.1 विद्युत गृहों तक कोयले की आपूर्ति का संचालन वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एवं मण्डल के स्थिय अनुबंध द्वारा किया जाता है जिसके अंतर्गत कोयला कम्पनियों को रेलवे द्वारा निर्दिष्ट समस्त प्रलेखन औपचारिकताओं का पालन यह सुनिश्चित करने के लिये करना होता है कि किराया ट्रेन भार दरों के आधार पर ही प्रभारित किया गया था और इस संबंध में विफलता के कारण अधिक किराये प्रभार का भुगतान विक्रेता के खाते से किया जायेगा।**

1999-2002 के दौरान सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र में प्राप्त कोयले के बिल रेलवे ने ट्रेन भार दर के स्थान पर वैगन भार दर पर बनाये जिसके परिणामस्वरूप 51 लाख रुपये अधिक किराये का भुगतान करना पड़ा।  
मण्डल ने एक पक्षीय रूप से लंबित कोयले के बिलों से राशि काट ली परन्तु वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने यह कहते हुये इसे स्वीकार नहीं किया (जुलाई 2002) कि उसकी ओर से प्रलेखन औपचारिकतायें पूरी करने में कोई विफलता नहीं हुई है और उसने मण्डल से रेलवे जो मण्डल का भारिक था, के साथ प्रकरण पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

### विलंब शुल्क का परिहार्य भुगतान

**3.6.2 सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र 3.5 रेक प्रतिदिन उतारने की कुल क्षमता के साथ उलटाऊ वैगन से सज्जित था। रेलवे ने उतारने के लिये प्रति रेक 11.3 घण्टों के निःशुल्क समय की अनुमति दी थी और रेक यदि इस अवधि से अधिक समय तक रोके गये तो रेलवे को विलंब शुल्क का भुगतान किया जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1999-2004 के दौरान मण्डल ने रेकों को खाली करने में विलंब किया जिसके कारण रेलवे को 2.88 करोड़ रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ा।**

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि कोयला कम्पनियों द्वारा आपूरित आकार से बड़े पिण्डीय तथा गीले कोयले रेकों के एकत्रीकरण के कारण भी विलम्ब शुल्क का प्रसंग घटित हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता था यदि उसने प्रकरण कोयला कम्पनी तथा रेलवे के साथ विचार विमर्श किया होता।

संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र में कोयला उतारने का ठेका ठेकेदार द्वारा विलम्ब शुल्क वहन करने के दायित्व के साथ दिया गया था तथापि मण्डल ने उपरोक्त अवधि के दौरान ठेकेदार से 27.24 लाख रुपये विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया और ठेका भी समाप्त हो गया।

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि तीन ठेकेदारों के विरुद्ध सिविल मुकदमा दायर कर दिया गया है और एक ठेकेदार के संबंध में उसके द्वारा रोकी गई राशि से उक्त राशि समायोजित की जायेगी।

**3.7 कोयले की मार्गस्थ हानि का अर्थ है-** बिल में दी गई मात्रा तथा विद्युत केन्द्र पर प्राप्त कोयले की वास्तविक मात्रा के मध्य अन्तर। कोयला कम्पनियों द्वारा आपूरित कोयले की तुलाई विद्युत केन्द्र में तौल सेतु पर की जाती है। अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र में रेल तौल सेतु 1998-99 से कार्य करने की स्थिति में नहीं था और संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र में इकाई के प्रारम्भ होने से ही रेल तौल सेतु नहीं था। चूंकि संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र में अधिष्ठापित (जून 2003) रेल तौल सेतु सम्यक रूप से कार्य नहीं कर रहा था इसलिये दोषों को दूर करने के उपरान्त इसे फरवरी 2004 में पुनः अधिष्ठापित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त स्थिति के पश्चात भी मण्डल ने मार्च 2004 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान 59.60 करोड़ रुपये (संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र: 57.29 करोड़ रुपये, तथा अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र: 2.31 करोड़ रुपये) की मार्गस्थ हानियाँ दर्ज की। मार्गस्थ हानि का आधार तथा संगणना विशेष रूप से उस समय जब विद्युत गृह में कोई तौल प्रणाली नहीं थी, के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

साथ ही, सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र पर तुलाई प्रबंध की उपलब्धता के उपरान्त भी बिना तुले वेगन के माध्यम से 1999-2004 के दौरान 1.30 करोड़ रुपये मूल्य का कोयला कम प्राप्त हुआ। यद्यपि मण्डल द्वारा मांगे गये दावे को वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने स्वीकार नहीं किया तथापि उसने एक पक्षीय रूप से कोयले के बिलों से कटौती करना जारी रखा।

### कोयले का भौतिक सत्यापन

**3.7.1 मण्डल के पास विद्युत केन्द्रों में कोयले के स्टॉक के वार्षिक भौतिक सत्यापन करने की एक प्रणाली थी।**

1999-2004 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में किये गये भौतिक सत्यापन में तीन विद्युत केन्द्रों में 82.42 करोड़ रुपये मूल्य के 11.77 लाख टन (सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र: 5.90

लाख टन, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्रः 0.24 लाख टन एवं संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्रः 5.63 लाख टन) कोयले की कमी पाई गई जिसे मण्डल ने बिना कोई जाँच किये अथवा उसके लिये कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किये बिना अपलेखित कर दिया।

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि 2002-03 तक भौतिक सत्यापन वार्षिक रूप से किया गया, तथापि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथानिर्देशित 2003-04 से त्रैमासिक भौतिक सत्यापन आरम्भ किया गया। प्रतिवेदन में दर्शाई गई कमी मार्गस्थ एवं स्टैर्किंग हानियों के कारण हुई। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2001 से तीन प्रतिशत मार्गस्थ हानि की अनुमति दी। इससे पूर्व कमी का आकलन भौतिक सत्यापन कोयले की खपत के आधार तथा पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि का उचित रूपेण हिसाब रखकर किया गया।

**14.37 करोड रुपये मूल्य के 1.72 लाख टन कोयले की कमी का अपलेखन जाँच के बिना मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानदण्डों से अधिक था।**

उत्तर मान्य नहीं क्योंकि संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र के प्रकरण में मण्डल ने 2001-02 में चार प्रतिशत, 2002-03 में पाँच प्रतिशत और 2003-04 में चार प्रतिशत की दर से कमी का अपलेखन किया था। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के मापदण्ड से तुलना करने पर मण्डल द्वारा अपलेखित कमी की अधिकता 14.37 करोड मूल्य के 1.72 लाख टन की आंकी गई।

### कोयले के साथ पत्थर/स्लेटी पत्थर की प्राप्ति

**3.7.2 वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड** के साथ अनुबंध और भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्राप्त कोयले में सम्मिलित पत्थर एवं स्लेटी पत्थर के भार के बराबर कोयले का मूल्य और उस पर समानुपातिक परिवहन प्रभार की प्रतिपूर्ति वेस्टर्न कोलफील्ड द्वारा मण्डल को करनी थी। ऊर्जा मंत्रालय ने कोल इण्डिया लिमिटेड को (जनवरी 1987)। यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि सभी विद्युत केन्द्रों को पत्थर रहित कोयला प्रदाय किया जाये (जनवरी 1987)।

अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र एवं संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्रों के प्रबंधन ने सूचित किया कि 1999-2004 के दौरान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से प्राप्त कोयले में 1.17 लाख टन पत्थर/स्लेटी पत्थर (अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्रः 17,931 टन एवं संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्रः 99,189 टन) पाया गया, जिसके लिये मण्डल ने कोई दावा नहीं किया।

इसके अतिरिक्त मण्डल, पत्थर एवं स्लेटी पत्थर पर समानुपातिक परिवहन प्रभार के रूप में 1.06 करोड रुपये (अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्रः 61 लाख रुपये एवं संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्रः 45 लाख रुपये) के दावे प्रस्तुत करने में भी विफल रहा।

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र ने पत्थर/स्लेटी पत्थर के भार संबंधी कोई दावे प्रस्तुत नहीं किये परन्तु वापसी के मासिक विवरणों की सूचना साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को दी गई थी, जिसके लिये उन्होंने इंकार कर दिया। संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र के संबंध में दावा नहीं किया गया था, क्योंकि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने ईंधन आपूर्ति अनुबंध के अस्तित्व से इंकार कर दिया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने नवम्बर 1986 में आयोजित बैठक में पत्थर/स्लेटी पत्थर के मूल्य और उसके समानुपातिक परिवहन प्रभारों की आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया था।

### गुमशुदा/व्यपवर्तित वेगनों के दावों का निराकरण न होना।

**3.7.3** कभी-कभी रेलवे द्वारा अपनी सुविधा के लिये कोयले के रेक्स अन्य परेषिती को भेज दिये जाते थे। ऐसे प्रकरणों में मण्डल को वास्तविक परेषिती होने के कारण रेलवे से कोयले के मूल्य की मांग करना था।

गुमशुदा/व्यपवर्तित कोल वेगनों के विलम्ब 50.46 करोड़ रुपये के दावे निराकरण हेतु लंबित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र के मामले में मण्डल के (226 प्रकरण), 50.46 करोड़ रुपये (8.07 करोड़ रुपये मूल्य के मार्च 1999 से पूर्व की अवधि से संबंधित प्रकरणों सहित) के दावे पत्राचार की कमी के कारण निराकरण हेतु लंबित थे।

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि (क) ऐसे दावे जिनका निराकरण तीन वर्षों के भीतर नहीं किया गया हो, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, भोपाल, को संदर्भित किये जा सकते हैं, (ख) साउथ इस्टर्न रेलवे द्वारा आरम्भ की गई (अगस्त 2004) योजना के अनुसार कोयले की सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति 50 प्रतिशत न्यायालय शुल्क के साथ साउथ इस्टर्न रेलवे द्वारा की जायेगी।

चूंकि योजना के अंतर्गत मण्डल ने कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की इसलिये साउथ इस्टर्न रेलवे के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

### उच्च आद्रता युक्त कोयले की प्राप्ति

**3.7.4** कोल कम्पनी के साथ अनुबंध के अनुसार अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र को आपूरित कोयले के 3 से 5 प्रतिशत से अधिक आद्रता नहीं होना चाहिये। 1999-2004 के दौरान साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा आपूरित कोयले में संयंत्र प्रबंधन ने अधिक आद्रता पाई।

आद्रतायुक्त कोयले की प्राप्ति के कारण 25.80 करोड़ रुपये मूल्य के 129 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में पाया कि आद्रता युक्त कोयले की प्राप्ति के कारण अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र में 1998-2002 के दौरान 25.80 करोड़ रुपये मूल्य के 129 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

**3.8** तेल, इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अधिप्राप्त किया जाता है। तथापि आपूर्तिकर्ताओं तथा मण्डल के मध्य कोई स्थाई अनुबंध नहीं है। ताप विद्युत केन्द्र मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) विद्युत उत्पादन को तेल की नियतकालिक आवश्यकता सूचित करते हैं जो निविदा औपचारिकताओं का पालन करने के उपरान्त दर संविदा आदेश जारी करते हैं।

तेल की अधिप्राप्ति एवं खपत से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नांकित तथ्य पाये गये।

### तेल की अधिक खपत

3.8.1 ताप विद्युत केन्द्रों में इगनीशन और भट्टी के स्थायित्व में सहायता देने के लिये तेल की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत केन्द्रों द्वारा विद्युत की एक इकाई (किलोवॉट घण्टे) के उत्पादन के लिये 3.5 मिलीलिटर (एमएल.) ईंधन तेल का मानदण्ड निर्धारित किया था। अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र एवं सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र की वो इकाईयां जो 1999-2004 के दौरान उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त नहीं कर सके, द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा उपयोग किया गया ईंधन तथा उपयोग किये गये ईंधन की आधिक्यगत मात्रा परिशिष्ट 14 में ही गई हैं।

ताप विद्युत केन्द्र ने मानदण्ड से 59.62 करोड़ रुपये मूल्य के तेल का अधिक उपयोग किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तेल की खपत 1999-2003 के दौरान सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र (2002-03) में 4.58 प्रतिशत से अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र (2001-02) में 769.99 प्रतिशत के मध्य मानदण्ड की तुलना में अधिक थी परिणामस्वरूप 59.62 करोड़ रुपये मूल्य के 39,740.66 किलो लिटर तेल की अधिक खपत हुई।

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि उपरोक्त मानदण्ड राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत केन्द्रों के लिये प्रयोज्य है और अधिक खपत का कारण पुराने संयंत्र, गीला कोयला, सहायक पुर्जों आदि का खराब होना है, तथापि उसने 3.3 मिलीलिटर/किलोवॉट घण्टा का औसत प्राप्त किया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिक खपत का परिहार उपचारी उपाय से प्राप्त किया जा सकता था और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्ड मण्डल के लिये भी प्रयोज्य है।

### वाणिज्यिक कर की रियायती दर का लाभ न उठाना

3.8.2 राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन में कच्चे माल के रूप में हाईस्पीड डीजल ऑयल, लाईट डीजल ऑयल आदि के उपयोग पर 6 प्रतिशत वाणिज्यिक कर की रियायती दर 2001-02 तक बढ़ाई (मई 2001)। इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इटारसी ने भी मध्यप्रदेश राज्य के भीतर कर की रियायती दर की पुष्टि की।

मण्डल ने डीजल पर वाणिज्यिक कर की रियायती दर का लाभ न उठाने के कारण 1.66 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

यद्यपि संयंत्र प्रबंधन ने मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) विद्युत उत्पादन जबलपुर, जो तेल क्रय करने हेतु प्राधिकृत किये गये थे के समक्ष प्रकरण रखा तथापि कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप 2001-02 के दौरान मण्डल ने अपेक्षाकृत उच्च दर (25 प्रतिशत) पर वाणिज्यिक कर का भुगतान किया। इसके कारण 1.66 करोड़ रुपये (सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र: 1.30 करोड़ रुपये, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र: 10 लाख रुपये तथा संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र: 26 लाख रुपये) का अधिक व्यय हुआ।

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि पेट्रोल, डीजल तथा लुब्रिकेन्टों पर प्रदत्त विक्रय कर के छूट की अनुमति विक्रय कर अधिकारियों ने नहीं दी फिर भी प्रकरण पर पत्राचार किया जा रहा है।

उत्तर संबंधित नहीं है क्योंकि मण्डल ने 2001-02 के दौरान रियायती दर का लाभ नहीं उठाया, जब यह लागू था।

मण्डल ने अपेक्षाकृत मंहगें ईंधन के उपयोग के कारण 18.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

मण्डल ने अधिक तेल की अनुसूची के कारण 6.12 करोड़ रुपये व्याज की हानि उठाई।

**3.8.3** मण्डल अपने विद्युत केन्द्रों में फरनेस ऑयल, लाईट डीजल ऑयल तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल का उपयोग अनुपूरक ईंधन के रूप में करता है और मूल्य क्रय एवं उपयोग की कसौटी थी। तथापि 1998-2003 के दौरान सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट-1 एवं III ने 18,557 किलोलिटर हाईस्पीड डीजल ऑयल का उपयोग किया जो अन्य ईंधन तेलों की अपेक्षा अधिक मंहगें थे। इसके परिणामस्वरूप 18.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। प्रबंधन का उत्तर कि हाईस्पीड डीजल, संयंत्र की स्थापना के समय से ही प्रयुक्त किया जाता था, मान्य नहीं हैं क्योंकि वॉयलरों की बनावट केवल फरनेस ऑयल/लाईट डीजल ऑयल के उपयोग के लिये ही थी।

### अधिक तेल की अनुसूची के कारण हानि

**3.8.4** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 60 दिनों के उपयोग के बराबर की अनुसूची रखने का मानदण्ड निर्धारित किया है। मानदण्ड की तुलना में तीन विद्युत केन्द्रों में 1999-2004 के दौरान अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र (2003-04) में 1.06 माहों के उपयोग से लेकर संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र (2003-04) में 3.93 माहों के उपयोग के मध्य अधिक अनुसूची तैयार की गई थी के परिणामस्वरूप 40.77 करोड़ रुपये का अवरोध हुआ और व्याज के 6.12 करोड़ रुपये की तत्संबंधी हानि हुई।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की गुणवत्ता नियंत्रण नियम पुस्तक के अनुसार भण्डारण टंकी पॉच वर्षों में कम से कम एक बार साफ करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र में पॉच फरनेस ऑयल भण्डारण टंकियों में एक भी अपनी संबंधित स्थापना (1977 एवं 1984) के समय से ही साफ नहीं कराई गई। इसके परिणामस्वरूप 500 किलोलिटर अवमल संचित हो गया जिसे बेचा नहीं गया। इसके कारण 50 लाख रुपये (लगभग) के राजस्व ही हानि हुई।

मण्डल ने सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि तेल की टंकियां साफ कराने के लिये अनुदेश जारी किये जा रहे हैं और कि प्रकरण की जाँच और अवमल निपटान के प्रबंध किये जा रहे हैं। पट्टे पर मण्डल की तेल टंकियां किराये पर लेने के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है जिससे शून्य अनुसूची के आधार पर परिचालन करना सम्भव होगा।

कोयले के नमूने एकत्रित करने और जाँच करने की पक्षी प्रक्रिया के अन्वय में मण्डल ने 43.62 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

**3.9** 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्य) के प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश सरकार की कंडिका 3 क, 4.1, 4.3 एवं 4.5 में मण्डल द्वारा 37.45 करोड़ रुपये वसूल न करने के संबंध में उल्लेख किया गया था। उपरोक्त प्रकरण एक निर्णायक को संदर्भित किया गया था और उसके अंतिम निर्णय के अनुसार (सितम्बर 2003) मण्डल को व्याज सहित 2.84 करोड़ रुपये (37.45 करोड़ रुपये की वसूली के स्थान पर) का भुगतान करना पड़ा था जिसके कारण 43.62 करोड़ रुपये की

हानि हुई तथापि मण्डल ने विपरीत निर्णय के कारणों का विश्लेषण (अक्टूबर 2004) नहीं किया।

इसके अतिरिक्त निर्णायक के निर्णय (सितम्बर 2003) के अनुसार मार्च 1996 तक के लेनदेन के लिये मण्डल को एक पक्षीय वसूलियों के कारण 46.03 करोड़ रुपये (ब्याज के 34.00 करोड़ रुपये सहित) का दायित्व वहन करना पड़ा था। तथापि मण्डल ने निर्णायक द्वारा दावे प्रस्तुत करने की अवधि जिसके बाद दावे कालातीत हो जाने थे हेतु की गई अनुशंसाओं पर और विवादों के शीघ्र निराकरण के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। परिणामात्मक मण्डल द्वारा मार्च 2004 तक की अवधि के लिये कोयला कम्पनियों के कोयला बिलों से की गई श्रेणी तथा दर अंतर स्लेटी पत्थर/पत्थर, दण्डात्मक किराये आदि के कारण 460.33 करोड़ रुपये (सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र: 266.87 करोड़ रुपये, संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र: 193.46 करोड़ रुपये) की एक पक्षीय कुल वसूलियों का निराकरण नहीं हुआ (सितम्बर 2004)।

**ताप विद्युत केन्द्रों ने आवश्यकता के विरुद्ध कोयले की कम प्राप्ति, घटिया गुणवत्ता तथा लो क्लोरिफिक कीमत के कोयले की अधिक खपत, दरों के आधार पर भुगतान के कारण कोयला कम्पनियों को अधिक भुगतान, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों से भिन्न शर्तें, निम्न श्रेणी के कोयले के लिये उच्च दरों के भुगतान, विलम्ब शुल्क के भुगतान, तेल की अधिक खपत तथा अधिक तेल की अनुसूची आदि के कारण विद्युत उत्पादन तथा राजस्व की हानि उठाई।**

मण्डल को गुणवत्तायुक्त कोयले की पर्याप्त तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हुये अपने विद्युत उत्पादन तथा राजस्व हानि कम करने, ताप विद्युत केन्द्रों की गुणवत्ता तथा निरीक्षण शाखा की कार्यप्रणाली में सुदृढिकरण, भारत सरकार/कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित दरों तथा शर्तों के अनुसार कड़ाई से कोयला आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, कोयला आपूर्तिकर्ताओं के साथ लंबित विभिन्न दावों का त्वरित भिलान/समायोजन करने और रेलवे को विलम्ब शुल्क के भुगतान में कमी करने के उपाय करने की आवश्यकता है।

प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई है (अगस्त 2004)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 2004)।



राज्य सरकार की कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों द्वारा किये गये लेनदेनों की नमूना जाँच के परिणाम के रूप में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस अध्याय में समाविष्ट किये गये हैं।

### परिहार्य ब्याज दायित्व

**निधियों की उपलब्धता के उपरान्त भी ऋणों का पुनर्भुगतान न करने के परिणामस्वरूप 1.50 करोड़ रुपये के परिहार्य ब्याज दायित्व का बहन करना पड़ा**

4.1 मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित (कम्पनी) पुलिस कर्मियों के लिये क्वाटर निर्माण हेतु गृह निर्माण तथा नगरीय विकास निगम (हुड़को) से 12 से 13 प्रतिशत के मध्य ब्याज दरों पर इस शर्त पर ऋण प्राप्त करती रही कि विलम्बित पुनर्भुगतानों के लिये दो प्रतिशत दाप्तिक ब्याज देना पड़ेगा। कम्पनी के ऋणों के लिये राज्य सरकार ने गारंटी दी थी।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के परिणामस्वरूप कम्पनी ने अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विभाजन किया और तदनुसार हुड़को के प्रति छत्तीसगढ़ सरकार की देयतायें निर्धारित कीं। तथापि छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया (मई 2001) कि चूंकि राज्य में उक्त कम्पनी के समान कोई कम्पनी नहीं होगी इसलिये वह 1 जून 2001 के पश्चात किसी भी निर्माण गतिविधि के लिये उत्तरदायी नहीं होगी। उसने कम्पनी के पास उपलब्ध निधियों से देयताओं को चुकाने का अनुरोध भी किया।

छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध के उपरान्त भी कम्पनी छत्तीसगढ़ से संबंधित ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर रही थी और उसने केवल मध्यप्रदेश के ऋण किश्तों का भुगतान करना जारी रखा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, कम्पनी ने बची हुई ऋण निधियों का निवेश सावधि जमा में किया परिणामस्वरूप 31 दिसम्बर 2002 को हुड़को (छत्तीसगढ़ का भाग) को पुनर्भुगतान किया जाने वाला ऋण संचित होकर 9.08 करोड़

**31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)**

रुपये<sup>19</sup> (ब्याज, दण्डात्मक ब्याज तथा छूट की हानि) हो गया। हुड़को ने कम्पनी को सूचित किया (मई 2001) कि जब तक छत्तीसगढ़ सरकार दायित्वों का उत्तरदायित्व नहीं लेती तब तक उक्त ऋणों का भी उत्तरदायित्व कम्पनी पर ही रहेगा। जब प्रकरण पर छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया (जुलाई 2002) तब उसने इस आधार पर उत्तरदायित्व लेने से इंकार कर दिया (मार्च 2003) कि परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के बंटवारे का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

निधियों की उपलब्धता के बाबजूद दायित्वों का पुनर्भुगतान न करने के कारण 1.50 करोड़ रुपये का परिहार्य ब्याज दायित्व वहन करना पड़ा।

चूंकि पुनर्भुगतान का दायित्व कम्पनी का था इसलिये उसे सम्पूर्ण देयताओं का पुनर्भुगतान अवशिष्ट निधियों से करना चाहिये था ताकि अतिरिक्त ब्याज/दण्डात्मक ब्याज दायित्वों से बचा जा सके। इस प्रकार अपने देयताओं के पुनर्भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 31 दिसम्बर 2002 तक 1.50 करोड़ रुपये<sup>20</sup>(सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखने के उपरान्त भी) का परिहार्य ब्याज दायित्व वहन करना पड़ा।

कम्पनी ने सूचित किया (सितम्बर 2003) कि राज्य के विभाजन के कारण ऋण छत्तीसगढ़ सरकार का दायित्व हो गया था इसलिये उसने ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया। सरकान ने सूचित किया (अगस्त 2004) कि अल्प स्रोतों के कारण कम्पनी के लिये ऋण दायित्वों को छुकाना असम्भव हो गया था। इसके अतिरिक्त यह धारणा कि ऋण के पुनर्भुगतान का दायित्व कम्पनी का है, सत्य नहीं थी।

कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विभाजन पूर्ण नहीं हुआ था और छत्तीसगढ़ सरकार ने कम्पनी से उपलब्ध निधियों से ही दायित्व छुकाने का अनुरोध किया था, इसलिये कम्पनी को ऋण किस्तों का पुनर्भुगतान करना चाहिये था और बाद में दायित्वों का समायोजन/स्थानान्तरण करना चाहिये था।

सरकार का उत्तर भी मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के पास सावधि जमाओं में बचत निधियां थीं जिन पर कम दर से ब्याज मिल रहा था और जिसे उच्च ब्याज भार वाले ऋण के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त हुड़को ने यह पूर्व में स्पष्ट कर दिया था (मई 2001) कि जब तक छत्तीसगढ़ सरकार सम्पूर्ण देयताओं का उत्तरदायित्व नहीं लेती और भविष्य में देयताओं के भुगतान की सूचना नहीं देती तब तक सम्पूर्ण दायित्व कम्पनी की ही रहेगी।

<sup>19</sup> बकाया मूलधन: 6.37 करोड़ रुपये एवं संचित ब्याज 2.71 करोड़ रुपये।

<sup>20</sup> 1.21 रुपये (नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2002 तक 8.75 प्रतिशत की दर से 6.38 करोड़ रुपये पर अर्जित ब्याज) घटा कर 2.71 करोड़ रुपये (ऋण पर संचित ब्याज)

**विशिष्ट उद्देश्य के लिये आहरित निधियों का अविवेकपूर्ण उपयोग**

उद्देश्य के लिये आहरित निधियों के, विवेकपूर्ण उपयोग में विफलता के परिणामस्वरूप आज के 13.80 लाख रुपये की हानि

**4.2** मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित (कम्पनी) ने दसवें वित्त आयोग की एक योजना के अधीन आवासीय भवनों तथा दो अग्निशमन केन्द्रों, एक देवास एवं एक उरला में, के निर्माण के लिये भारत सरकार से अनुदान के रूप में 1.20 करोड़ रुपये का आहरण किया (मार्च 2000)। राशि का उपयोग 31 मार्च 2000 तक करना था जिसमें विफल रहने पर उसे भारत सरकार को वापस करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2003) कि कम्पनी ने देवास में निर्माण कार्य पूरा कर लिया था परन्तु वह उरला में कार्य आरम्भ नहीं कर सकी क्योंकि अक्टूबर 2000 तक उपयुक्त भूमि चिह्नित नहीं की जा सकी। इसी बीच राज्य का विभाजन हो गया और नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया। चूंकि स्थान (उरला) छत्तीसगढ़ में स्थित था इसलिये कम्पनी ने अग्निशमन केन्द्र की स्थापना नहीं की। राशि वापस/अन्तरित करने के स्थान पर कम्पनी ने 8.75 प्रतिशत ब्याज की दर से उक्त राशि सावधि जमाओं में निवेशित कर दी। कम्पनी हुड्को से 12.5 प्रतिशत (दो प्रतिशत के दण्डात्मक ब्याज रहित) की दर से ब्याज पर ऋण सहायता प्राप्त कर रही थी। यदि कम्पनी ने हुड्को से प्राप्त ऋण के पुनर्मुग्यतान के लिये निवेशित निधियों का उपयोग किया होता तो वह 13.80 लाख रुपये<sup>1</sup> की ब्याज हानि का परिहार कर सकती थी।

कम्पनी ने सूचित किया (सितम्बर 2003) कि निधियां दो राज्यों के मध्य परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के बंटवारे पर एकमत होने के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दी जायेगी।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य के पूर्ण होने में अनिश्चितता का ध्यान रखते हुये ऋण का पुनर्भूगतान अपेक्षाकृत अच्छा विकल्प होता।

सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2004) कि बचत निधियों को निष्क्रिय रखने के स्थान पर अल्पकालिक जमाओं में निवेशित करना भी एक स्वरूप वित्तीय निर्णय था। इसके अतिरिक्त निधियाँ अग्निशमन केन्द्रों के लिये थी, इनको पुनर्भुगतान के लिये प्रयुक्त करना अनियमित होता।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक ओर कम ब्याज दर पर सावधि जमा में निवेश करना और दूसरी ओर उच्च ब्याज दर के साथ ऋण दायित्वों की पूर्ति करना बद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय निर्णय नहीं है।

चार वर्षों के लिये 60 लाख रुपये पर 5.75 प्रतिशत (14.50-8.75) ब्याज पर

### भवन के विक्रय पर परिहार्य हानि

**बाजार मूल्य से कम पर भवन के अनियमित विक्रय के परिणामस्वरूप 53.09 लाख रुपये की हानि।**

4.3 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित (कम्पनी) ने औद्योगिक क्षेत्र मकरी, उज्जैन स्थित पावरलूम काम्पलेक्स (1974 में राज्य सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवन) व्यापक प्रचार करके, उच्चतम प्रस्ताव पर और आनन्द पैकेजिंग इंडस्ट्री (किरायेदार) जो भवन के एक भाग पर आधिपत्य रखती थी, को प्राथमिकता देते हुये बेचने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2000)।

कम्पनी ने भवन का मूल्यांकन 19.51 लाख रुपये (जनवरी 2002) में चार्टर्ड इंजनियर से कराया तथापि नगरपालिका के मूल्यांकन के अनुसार भवन का मूल्य 60.70 लाख रुपये (भूमि: 41.81 लाख रुपये एवं भवन 18.89 लाख रुपये) था।

कम्पनी ने भवन के विक्रय के लिये निविदायें आमंत्रित की (जुलाई 2002) परन्तु अपने किरायेदार से ही 6 लाख रुपये का एक ही प्रस्ताव प्राप्त किया। कम्पनी ने पुनः निविदायें आमंत्रित कीं (अगस्त 2002) जिसके लिये किरायेदार से 6.50 लाख रुपये की एक निविदा सहित केवल तीन प्रस्ताव प्राप्त किये। पुनः समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के स्थान पर कम्पनी ने पूर्वांक तीन पक्षकारों सहित सम्भाव्य पक्षकारों से कोटेशन आमंत्रित किये (अक्टूबर 2002)। पुनः 6.50 लाख रुपये की उच्चतम दर का प्रस्ताव किरायेदार ने किया। बातचीत के बाद कम्पनी ने पट्टेवाली भूमि सहित भवन को 7.61 लाख रुपये में किरायेदार को बेच दिया (जनवरी 2003)।

लेखापरीक्षा में पाया (अक्टूबर 2003) गया कि

- चूंकि भूमि सरकार की संपत्ति थी इसलिये सरकार के अनुमोदन के बिना इसका विक्रय और उसके बाजार मूल्य की उपेक्षा अनियमित थी।
- अपेक्षाकृत अच्छा मूल्य प्राप्त करने की सम्भावना की पूर्णतया छानबीन के बिना मात्र 7.61 लाख रुपये (बाजार मूल्य: 60.70 लाख रुपये) में भवन का विक्रय कम्पनी के हित में नहीं था और यह अपने किरायेदार के प्रति अनुचित पक्षपात के तुल्य था।
- यह भी रुचिकर है कि कम्पनी ने अपने आवासीय भवन अपने कर्मचारियों को केवल बाजार मूल्य पर ही बेचे।

बाजार मूल्य से कम पर अपने किशोरोदार को भवन के विक्रय के कारण 53.09 लाख रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार बाजार मूल्य की उपेक्षा करते हुये भवन के अनियमित विक्रय के परिणामस्वरूप 53.09 लाख रुपये की हानि हुई।

कम्पनी ने सूचित किया (अक्टूबर 2003) कि असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण रोकने के लिये तथा निविदाओं के अनपेक्षित प्रत्युत्तर के कारण सम्पत्ति के विक्रय का निर्णय लिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (क) कम्पनी अपेक्षाकृत अच्छा मूल्य प्राप्त करने के मार्ग का अन्वेषण करने में विफल रही तथा (ख) उसने अपने आवासीय भवनों को अपने कर्मचारियों को बाजार मूल्य पर ही बेचा।

प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई (मई 2004); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2004)।

#### **परिहार्य अर्थदण्ड तथा अतिरिक्त मांग प्रभारों का भुगतान**

**विद्युत घटक के संघारण और उच्चतर संविदागत मांग कम करने में विफलता के परिणामस्वरूप 17.64 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।**

**4.4 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (कम्पनी)** अपने होटलों तथा ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन इकाईयों के लिये मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करती रही है।

मण्डल की शुल्क अनुसूची के अनुसार (क) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक विद्युत घटक 90 प्रतिशत से नीचे गिरता है तो वह प्रत्येक एक प्रतिशत के लिये अर्थदण्ड के रूप में बिल की कुल राशि पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान करेगा (ख) यदि विद्युत घटक 85 प्रतिशत से नीचे गिरता है तो वह प्रत्येक एक प्रतिशत के लिये अर्थदण्ड के रूप में दो प्रतिशत का भुगतान करेगा।

इसी प्रकार एक उपभोक्ता की बिल संबंधी मांग, माह के दौरान अंकित वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग के 75 प्रतिशत एवं 60 केवीए में उच्चतम होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2003 से फरवरी 2004) कि कम्पनी ने (अप्रैल 1999-जुलाई 2003) भोपाल, जबलपुर एवं उज्जैन स्थित अपने होटलों में और ग्वालियर तथा खजुराहो स्थित अपनी ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन इकाईयों में विद्युत घटक 55 से 90 प्रतिशत के मध्य बनाये रखा। फलस्वरूप उसने कम विद्युत घटक के लिये 9.33 लाख रुपये के अर्थदण्ड का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त उज्जैन स्थित उसके होटल और ग्वालियर तथा खजुराहो स्थित ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन इकाईयों के पास क्रमशः 75, 117 एवं 123 केवीए संविदा मांग की सुविधा थी। उपरोक्त अवधि के दौरान वस्तुतः मांग सात से 11 केवीए (ग्वालियर), 25 से 78 केवीए (खजुराहो) तथा 36 से

विद्युत घटक बनाये रखने में विफलता के कारण 9.33 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

89 केवीए (उज्जैन) के मध्य का लाभ उठाया गया। परिणामस्वरूप इकाईयों ने न्यूनतम मांग प्रभारों (वास्तविक की तुलना में उच्चतर) का भुगतान किया जिसके कारण 8.31 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

इस प्रकार (1) 90 प्रतिशत विद्युत घटक बनाये रखने (2) विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के पूर्व विद्युत आवश्यकता के निर्धारण तथा/अथवा (3) अतिरिक्त व्यय करने के उपरान्त भी संविदा मांग कम करने में विफलता के परिणामस्वरूप 17.64 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

जबलपुर स्थित इकाई ने सूचित किया (दिसम्बर 2003) कि विद्युत भार घटाने का मामला पूर्व में ही मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के साथ उठाया गया था जबकि ग्वालियर तथा खजुराहो स्थित इकाई ने सूचित किया (जनवरी 2004) कि कम विद्युत घटक का प्रकरण सुधार हेतु विचाराधीन है।

प्राप्त उत्तर के अनुसार अतिरिक्त मासिक व्यय करने के उपरान्त भी विद्युत की मांग का सही रूप से निर्धारण न करना और अपेक्षित स्तर पर विद्युत घटक बना रख पाना कम्पनी की निष्क्रियता का संसूचक है।

सरकार को प्रकरण की सूचना दी गई (जुलाई 2004), अब तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2004)।

#### ऋणपत्रों का अनियमित निर्गमन

**4.5.1** कम्पनी ने अपने मण्डल/राज्य सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के बिना एक लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ, 14.4 प्रतिशत व्याज वाले, अशासकीय स्थापन के माध्यम से कुल 100 करोड़ रुपये सांकेतिक मूल्य के अपरिवर्तनीय विमोच्य ऋण पत्र जारी किये (अक्टूबर 1999 से जनवरी 2000)। व्याज का भुगतान अर्द्धवार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष एक मई तथा एक नवम्बर को करना था और मूलधन की भुगतान तिथि 31 जनवरी 2005 थी।

अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी द्वारा विवरणिका के स्थान पर जारी विवरण पत्र में यह व्यवस्था थी कि ऋणपत्र, उस पर व्याज और उससे संबंधित समस्त अन्य धन इस प्रकार सुरक्षित किये जायेंगे (क) प्रथम बंधक, कम्पनी की परिसम्पत्तियों के नाम उधार और (ख) नामित लेखे<sup>22</sup> में समस्त धन तथा ऋण पत्र के निर्गमन से सृजित स्रोतों की वित्तीय गतिविधियों से कम्पनी द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त राशियों के नाम उधारी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ऋणपत्रों के आबंटन से तीन माह के भीतर ऋणपत्र धारकों के पक्ष में उपरोक्त प्रतिभूति भी सृजित करेगी।

<sup>22</sup>

एक निलम्ब लेख और गृहणाधिकार लेखा नहीं, जिनमें इन निधियों के उपयोग से अर्जित समस्त प्राप्तियां विभिन्न संग्रहण लेखाओं से अंतरित की जायेगी।

निर्गम से 81.61 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई और कम्पनी ने मुद्रांक शुल्क के रूप में 61.21 लाख रुपये और परामर्श प्रभार के रूप में 3.59 लाख रुपये का व्यय किया। ऋणपत्रों से धन प्राप्त करने के पश्चात कम्पनी ने मण्डल के सामने अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये (अगस्त 2001)। मण्डल ने, अस्थाई ऋणपत्र विवरणिका के निर्गमन का आधार, परामर्शदाताओं की नियुक्ति/निधियों के प्रमुख व्यवस्थापक/ऋणपत्र पंजीयक के साथ मामले की पुनर्प्रस्तुति की शर्त पर कार्योत्तर अनुमोदन दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2003) कि:

सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना ऋण पत्र जारी किये गये।

- 14.4 प्रतिशत की उच्च दर पर ऋणपत्रों के माध्यम से निधियों का सृजन बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था जब खुले बाजार में व्याज दर में कम होने की प्रवृत्ति (1998 में 15.5 प्रतिशत, अप्रैल 2000 में तथा ऋण पत्रों की परिपक्वता अवधि के समय 12 प्रतिशत) थी। इसके अतिरिक्त यद्यपि ऋणपत्रों का निस्तारण पूर्व में ही किया जा सकता था, परन्तु कम्पनी ने अन्य स्रोतों से सर्ते ऋण के माध्यम से इसको चुकाने की सम्भावना की छानबीन नहीं की।
- इस आशय पर मण्डल के निर्देश के उपरान्त भी प्रबंधन ने उक्त प्रकरण मण्डल के समक्ष पुनः प्रस्तुत नहीं किया। कम्पनी ने न तो नामित खाता खोला और न ऋणपत्र धारकों के पक्ष में कोई प्रतिभूति ही सृजित की।
- ~~चूंकि~~ मई 2002 से देय 27.12 करोड़ रुपये का व्याज भुगतान विमोचित नहीं किया गया था (सितम्बर 2004) इसलिये तीन<sup>23</sup> ऋणपत्र धारकों ने व्याज भुगतान के लिये राज्य सरकार से सम्पर्क किया। तथापि कम्पनी ने राज्य सरकार को सूचित किया (अगस्त 2003) कि निधियों की कमी के कारण व्याज का भुगतान नहीं किया जा सका।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा उच्च व्याज दर पर ऋणपत्रों का निर्गमन वह भी मण्डल/राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना नियम एवं शर्तों का पालन न करना, संवितरण के बाद निधि के परिवीक्षण में अपनी विफलता के परिणामस्वरूप व्याज के 27.12 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हुआ। इन ऋणपत्रों के निस्तारण के परिणामस्वरूप 8.32 करोड़ रुपये<sup>24</sup> का अतिरिक्त व्याज भुगतान होगा।

कम्पनी ने सूचित किया (सितम्बर 2003) कि उसके मण्डल ने पहले से ही (अप्रैल 1995) उपयुक्त शर्तों पर राज्य/केन्द्र सरकार तथा अन्य कम्पनियों से जमा प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक को अधिकृत कर दिया था और कि ऋणपत्र निर्गमन के पश्चात प्रकरण मण्डल के सामने रखा गया था। साथ ही तीव्र वित्तीय संकट के कारण कम्पनी के लिये अपने प्रतिदिन के खर्च की पूर्ति तक कठिन हो रही थी इसलिये पदनामित खाता नहीं खोला गया क्योंकि उससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता।

<sup>23</sup> यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोठारी भविष्य निधि, कोलकाता।

<sup>24</sup> 81.61 करोड़ रुपये गुणित 2.4 प्रतिशत (14.4-12.0 प्रतिशत) (जनवरी 2000 से मार्च 2004 तक 51 माहों के लिये)

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (i) मण्डल ने प्रबंध संचालक को केवल अन्तर्निगम जमाओं तथा सावधि जमाएँ स्वीकार करने के लिये अधिकृत किया था (अप्रैल 1995) न कि ऋणपत्रों के माध्यम से ऋण सूजित करने के लिये और (ii) कम्पनी यह भी अनुमान नहीं लगा सकी कि कैसे इतनी उच्च लागत वाले ऋण 14.4 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज अर्जित कर सकते थे और कैसे देय ब्याज का भुगतान करने तथा/अथवा पूर्व में ही ऋणपत्र की राशि चुकाने के लिये कोई वित्तीय रणनीति तैयार की जा सकती थी।

### पुनर्भुगतान में विफलता के कारण परिहार्य अतिरिक्त ब्याज देयता

**4.5.2** कम्पनी ने चार सहकारी बैंकों<sup>25</sup> तथा मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम से मार्च 1998 से मई 2000 के दौरान गारण्टी के रूप में पोस्ट डेटेड चैक जारी करके 12 से 16.5 प्रतिशत ब्याज के साथ 181 करोड़ रुपये के जमा स्वीकार किये।

लेखपरीक्षा में पाया गया(मार्च 2003) कि:

- कम्पनी ने निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की यद्यपि उसने पोस्ट डेटेड चैक जारी किये थे, परिणामस्वरूप मूलधन एवं उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिये जारी किये गये चैकों का भुगतान नहीं किया गया(अनादृत) और समस्त बैंकों ने विनियम संलेख अधिनियम (नीगोसियेबल इनस्ट्रुमेन्ट एक्ट) की धारा 138 के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर दी। मुकदमों पर निर्णय नहीं दिया गया (सितम्बर 2004)। इसके कारण कम्पनी द्वारा अब तक व्यय किये गये न्यायालयीन प्रभारों के रूप में 4.51 लाख रुपये की हानि हुई।
- ब्याज की दर में 1999-2000 से कमी हो रही है। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी प्राथमिक उधारी दर 12 प्रतिशत थी। इसके परिपेक्ष्य में कम्पनी को कम से कम परिपक्वता तिथि के पश्चात अतिरिक्त ब्याज भार के परिहार के लिये परिपक्वता पर इन उच्च लागत वाले जमाओं का पुनर्भुगतान करना चाहिये था। उसके ऐसा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 14.54 करोड़ रुपये<sup>26</sup> के परिहार्य अतिरिक्त देयता को वहन करना पड़ा (परिशिष्ट 15)।

कम्पनी ने सूचित किया (अगस्त 2003) कि निधियों की कमी के कारण जमाओं का पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका और कि सभी ऋणदाताओं से भविष्य में ब्याज की दर कम करके 10-11 प्रतिशत करने और अपने जमाओं को पुनर्सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जुलाई 1999 से मई 2003, के दौरान कम्पनी ने इण्टर कॉर्पोरेट लोन जिन्हें इन जमाओं के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त किया जा सकता था, के रूप

<sup>25</sup> 1. मुम्बई डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुम्बई 2. बांबे मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुम्बई 3. एपेक्स को-आपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र एण्ड गोआ लिमिटेड, मुम्बई 4. उ.प्र.राज्य कृषि एवं ग्राम विकास निगम, ईपीएफ ट्रस्ट, लखनऊ

<sup>26</sup> परिपक्वता तिथि से 31 मार्च 2004 तक 12 प्रतिशत से अधिक दर पर इन इण्टर कॉर्पोरेट लोन्स पर ब्याज

में 24 कम्पनियों के पास 221.53 करोड़ रुपये रखे। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ कम्पनियों ने जमाओं के पुनर्भुगतान में चूक की जो आगामी कण्डिकाओं में उल्लेखित हैं।

### इंटर कॉरपोरेट लोन के अविवेकपूर्ण नियोजन के कारण हानि

4.5.3 कम्पनीज मैमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स आफ एसोसियेशन के वाक्यांश 110 (ii) के अनुसार किसी भी एक विशेष उपक्रम को तीन करोड़ से अधिक ऋण प्रदान करने अथवा गारण्टी देने अथवा किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। वाक्यांश में संशोधन (अगस्त 1998) कर सीमा को 15 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। इसी बीच कम्पनी ने राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना स्टील ट्यूब इण्डिया लिमिटेड (ऋणगृहीता) को गुना में उसके प्रस्तावित विद्युत यंत्र के लिये निधियां सृजित करने हेतु 15 करोड़ रुपये की वित्त गारण्टी देने के निर्णय लिया (मार्च 1998)। गारण्टी के नियम एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ तीन प्रतिशत गारण्टी कमीशन तथा वचनवद्धता प्रभार के भुगतान का भी प्रावधान था।

कम्पनी द्वारा दी गई (सितम्बर 1998) 15 करोड़ रुपये की गारण्टी में से ऋणगृहीता ने सितम्बर 1998 में पाँच वर्षों के लिये एचडीएफसी बैंक (पूर्व में टाइम्स बैंक) के पक्ष में केवल पाँच करोड़ रुपये का लाभ उठाया और ऋण लिया।

बैंकों द्वारा चैक अनादृत किये जाने के बाबजूद ऋणगृहीता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

चूंकि ऋणगृहीता ने बैंक के ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया इसलिये उसने कम्पनी से 3.83 करोड़ रुपये के और भुगतान की मांग की (जुलाई 2000)। ऋणगृहीता ने उसे अल्पकालिक इंटर कॉरपोरेट लोन, जिसे 50 लाख रुपये की मासिक किस्तों में आठ माहों की अवधि में वापस किया जायेगा, के रूप में मानने का अनुरोध किया। कम्पनी ने पोस्ट डेटेड चैकों के सिवाय अन्य कोई प्रतिभूति प्राप्त किये बिना अनुरोध स्वीकार कर लिया और ऋणगृहीता के दायित्वों का भुगतान कर दिया (जुलाई एवं अक्टूबर 2000)। 25.17 करोड़ रुपये में से ऋणगृहीता ने केवल एक करोड़ रुपये का भुगतान किया और तत्पश्चात कोई भुगतान नहीं किया उसके पोस्ट डेटेड चैकों को बैंक ने अनादृत कर दिया।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने बिना कोई प्रतिभूति तथा सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये और केवल कॉरपोरेट एवं वैयक्तिक गारण्टियों के बल पर ऋणगृहीता को उसकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किये बिना अल्पकालिक इंटर कॉरपोरेट लोन के रूप में 22.95 करोड़ रुपयों का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2003) कि:

- जब कम्पनी ने ऋणगृहीता द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के संबंध में ऋणगृहीता के लिये बैंक गारण्टी जारी की तब उसने दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन इंटर कॉरपोरेट लोन देते समय ऋणगृहीता से न तो बैंक गारण्टी के लिये और न प्रतिभूति के लिये ही जोर डाला।

- यद्यपि ऋणगृहीता का पोस्ट डेटेड चैक बैंक से भुनाया नहीं (अनादृत) जा सका तथापि कम्पनी ने विनियम संलेख अधिनियम की धारा 138 के अधीन वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।
- कम्पनी ने 1998 से 2000 तक की अवधि के लिये गारण्टी कमीशन (15 लाख रुपये) और वचनबद्धता प्रभार (7.50 लाख रुपये) हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया।
- गारण्टी और साथ ही इण्टर कॉर्पोरेट लोन देने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया (मार्च 2004) गया।

झात चूककर्ता के पास जमाओं के नियोजन एवं उसकी वसूली के लिये कार्यवाही में विफलता के कारण 25.78 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुये और 32 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार गारण्टी देने और ऋणगृहीता के निरंतर चूककर्ता बने रहने के उपरान्त भी इण्टर कॉर्पोरेट लोन के अनियमित नियोजन तथा वसूली हेतु कम्पनी द्वारा कार्यवाही करने में विफल रहने के कारण 25.78 करोड़ रुपये की राशि अवरुद्ध हुई और फलस्वरूप 32 करोड़ रुपये ब्याज हानि भी हुई।

#### अनुचित पक्षपात को बढ़ावा

4.5.4 कम्पनी ने भानु आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड इंदौर (ऋणगृहीता) में 18.5 प्रतिशत ब्याज की दर से प्रतिभूति/बैंक गारण्टी प्राप्त किये बिना अथवा उसकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किये बिना इण्टर कॉर्पोरेट लोन के रूप में चार करोड़ रुपये का नियोजन किया (20 अक्टूबर 1999)। राशि का पुनर्भुगतान अक्टूबर 2000 में 20 जनवरी 2000 से ब्याज के त्रैमासिक भुगतान के साथ किया जाना था। इस दिनांक से पूर्व कम्पनी ने उन्हीं शर्तों पर 18.5 एवं 17.5 प्रतिशत की दर से ऋणगृहीता कम्पनी में 6 करोड़ रुपये का पुनः नियोजन किया (दिसम्बर 1999)। ऋणगृहीता ने जनवरी 2000 को समाप्त प्रथम तिमाही तक के ब्याज का भी भुगतान नहीं किया और साथ ही अप्रैल 2000 तक इन समस्त इण्टर कॉर्पोरेट लोन की समस्त अनुवर्ती अवधियों के लिये भी ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके उपरान्त भी कम्पनी ने ऋणगृहीता कम्पनी में तीन करोड़ रुपये (मई 2000 में 2 करोड़, जून 2000 में 1 करोड़ रुपये) 15.5 प्रतिशत ब्याज की दर से नियोजित किये, दोनों का पुनर्भुगतान मई 2001 में किया जाना था।

ऋणगृहीता ने ब्याज एवं मूलधन के भुगतान में निरंतर चूक करना जारी रखा। अभी भी कम्पनी ने सितम्बर 2001 एवं मार्च 2002 में भुगतान किये जाने वाले 1.40 करोड़ रुपये के और इण्टर कॉर्पोरेट लोन (18.5 प्रतिशत की दर से सितम्बर 2000 में 50 लाख रुपये, 17 प्रतिशत की दर से जून 2001 में 90 लाख रुपये) का नियोजन किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2003) कि:

- चूंकि ऋणगृहीता ने 16.36 करोड़ रुपये (मूलधन: 13 करोड़ रुपये तथा ब्याज 3.36 करोड़ रुपये) का पुनर्भुगतान मई 2001 तक नहीं किया था इसलिये कम्पनी द्वारा जून 2001 में 90 लाख रुपये के और इण्टर कॉर्पोरेट लोन के

नियोजन के कारण अतिरिक्त निधियों का निरोध हुआ और उसके फलस्वरूप 34.05 लाख रुपये ब्याज हानि हुई।

- 15.5 प्रतिशत की निम्न दर पर चूककर्ता ऋणगृहीता को मई एवं जून 2000 में 3 करोड़ रुपये इण्टर कॉरपोरेट लोन प्रदान करना अनुचित पक्षपात के बराबर था।

यद्यपि जिलाध्यक्ष, इंदौर, ने राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के अधीन नोटिस जारी किया था (अप्रैल 2002); ऋणगृहीता ने मात्र 1.50 लाख रुपये का ही पुनर्भुगतान किया (जुलाई 2002) और इण्टर कॉरपोरेट लोन के भुगतान को पुनः समय सारणी बनाने की इच्छा प्रकट की फिर भी चूंकि ऋणगृहीता 50 लाख रुपये का भुगतान करने में विफल रहा इसलिये भुगतान समय सारणी नहीं बनाई गई।

ऋणगृहीता के झात चूककर्ता होने पर भी उसे इण्टर कॉरपोरेट लोन के नियोजन के परिणामस्वरूप 14.54 करोड़ रुपये की ब्याज हानि सहित 14.40 करोड़ रुपये का निरोध हुआ।

इस प्रकार फर्म के चूककर्ता होने और वसूली में कम्पनी के विफल रहने पर भी फर्म में बारम्बार इण्टर कॉरपोरेट लोन के नियोजन के परिणामस्वरूप 14.40 करोड़ रुपये का निरोध हुआ और 14.54 करोड़ रुपये ब्याज हानि हुई।

कम्पनी ने सूचित किया (सितम्बर 2003) कि 90 लाख रुपये के नवीन इण्टर कॉरपोरेट लोन का नियोजन ऋणगृहीता को उसके बैंक से ऋण की संस्कीर्ति की प्रत्याशा में किया गया था। उसने यह भी सूचित किया कि राशि इसलिये वसूल नहीं हो सकी क्योंकि इस्पात उद्योग में मंदी थी और ऋणगृहीता कम्पनी को बंद करने का नोटिस जारी किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि कम्पनी निरंतर ऋणगृहीता के पक्ष में पक्षपात करती रही और उसने मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान में हुई चूक की उपेक्षा की।

उपरोक्त प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई (जुलाई 2004); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2004)।

#### लेखाओं को अंतिम रूप देने हेतु सांविधिक प्रावधान

4.6.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210(3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 166 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लेखापरीक्षा किये गये लेखे अपने वित्त विष की समाप्ति के छः माहों के भीतर शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 619 क (3) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की प्रत्येक कम्पनी की कार्यप्रणाली और कार्य पर एक वार्षिक प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन और उस पर टिप्पणियों के साथ ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति के तीन माहों के भीतर विधानसभा के समाने प्रस्तुत की जानी चाहिये।

### लेखाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

**4.6.2** कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं और अनुमोदित लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ ऐसे लेखे अंगीकरण हेतु कम्पनी के एजीएम के सामने रखे जाते हैं। तत्पश्चात् उपरोक्त अधिनियम की धारा 619क(3) के अनुसार वार्षिक लेखे राज्य विधानसभा के सामने रखे जाते हैं।

### लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण निहित जोखिम

**4.6.3** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतिम रूप दिये गये लेखे उनके सम्पूर्ण वित्तीय स्वास्थ्य एवं उनके व्यवसाय करने की दक्षता प्रदर्शित करते हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथासमय लेखाओं को अंतिम रूप देने में विफल रहते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं कर सकते हैं और तब सरकारी निवेश राज्य विधानसभा की संवीक्षा से बाहर रह जाता है। इसके अतिरिक्त विलम्ब से धोखाधड़ी का मार्ग प्रशस्त होता है और सार्वजनिक धन की हानि होती है।

### बकाया की मात्रा

**4.6.4** 30 सितम्बर 2004 को राज्य की 35 सरकारी कम्पनियों (कार्यशील-25, अकार्यशील-9 तथा एक धारा 619(ख) कम्पनी) तथा चार सांविधिक निगमों में से केवल पाँच कम्पनियों ने वर्ष 2003-04 अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया। 30 कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों के लेखे एक से 14 वर्षों तक की अवधि के मध्य बकाया थे जिनका विवरण परिशिष्ट 16 में दिया गया है। आठ (पाँच कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन अकार्यशील कम्पनियों) में छः<sup>27</sup> कम्पनियों का चयन अध्ययन हेतु किया गया, उनके लेखे लग्बे समय से बकाया थे और उन्होंने अपने लेखे तीन या अधिक वर्षों से तैयार नहीं किये जिसका विवरण परिशिष्ट 17 में दिया गया है। इन कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं को तैयार करने की पद्धति की समीक्षा पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख आगामी कण्डिकाओं में किया गया है।

### लेखे तैयार करने में विलम्ब

**4.6.5** लेखा विभाग में सक्षम प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण लेखाओं की तैयारी तथा उनकी लेखापरीक्षा में विलम्ब हुआ।

<sup>27</sup>

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश पिछ्छा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश राज्य चर्म विकास निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश उत्संचन निगम मर्यादित

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामाजिक सेवा क्षेत्र की कम्पनियाँ यथा मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित आदि राज्य सरकार के विभागों के माध्यम से हितग्राहियों को/से ऋण के संवितरण/वसूली कर रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा इन अभिकरणों के मध्य समन्वय के अभाव और कम्पनियों द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण बनाये रखने में विफलता के कारण आंकड़ों के संकलन और परिणामस्वरूप लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित ने सूचित किया कि चूंकि उसका कार्य राज्य के 45 जिलों में तथा नौ उत्पादन इकाईयां विभिन्न स्थानों पर फैली हुई हैं इसलिये उसे मुख्यालय स्तर पर लेखाओं के संकलन अंतिम रूप देने में अत्यधिक समय लगा। कम्पनी का दावा स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उसे अपने कार्यक्रम तथा विगत अनुभव का ध्यान रख कर लेखाओं के संकलन तथा अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की योजना बनानी थी।

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित ने लेखे बकाया रहने का कारण व्यवसायिक रूप से योग्य एवं/अथवा प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी और मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बताया। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य तथा ऋणों के संवितरण/वसूली राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र से कराई जाती थी जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं था इसलिये लेखे यथासमय तैयार नहीं किये जा सके। कम्पनी का यह दावा मानने योग्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा लेखे व्यावसायिक रूप से योग्य व्यक्तियों के माध्यम से तैयार/अंतिम रूप दिया जाना चाहिये था। चूंकि कंपनी को अपनी गतिविधियों की प्रकृति का ज्ञान है, इसलिये प्रबंधकों द्वारा इन प्रकरणों का निराकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के माध्यम से कराया जाना चाहिये था और उसके लिये सबसे उपयुक्त कार्यप्रणाली के आधार पर लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना चाहिये था।

#### **सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलम्ब**

**4.6.6** सांविधिक लेखापरीक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि कम्पनी द्वारा लेखाबंदी के दो माह के भीतर अपना लेखापरीक्षा कार्य पूर्ण कर लें ताकि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन पूरक लेखापरीक्षा; नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्ण की जा सके तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षित लेखे छ: माह की निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किये जा सकें। छ: कम्पनियों के लेखाओं के प्रमाणीकरण में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अनुमोदन की तिथियों से अधिक लिये गये समय का विवरण परिशिष्ट-18 में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह दृष्टव्य है कि संचालक मण्डल की तिथि से लेकर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाओं के प्रमाणीकरण में लिया गया समय दो से 24 माह के मध्य था। ऐसे विलम्ब का कारण वार्षिक आम सभा की बैठक में विगत वर्षों के लेखे स्वीकृत करने में विलम्ब तथा चालू वर्ष के लेखाप्रमाणीकरण में तदपरिणामी विलम्ब का होना था।

### मण्डल द्वारा लेखाओं के अनुमोदन में विलम्ब

4.6.7 मण्डल द्वारा लेखाओं का अनुमोदन वित्त वर्ष की समाप्ति के उपरान्त तुरंत अथवा जहाँ लेखे बकाया हों वहाँ गत वर्ष के लेखा अनुमोदन उपरान्त शीघ्र कर लिया जाना चाहिये। नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि लगातार दो वर्षों के लेखा अनुमोदन में 6 से 52 माह के मध्य विलम्ब था जैसा कि परिशिष्ट-19 में विवरण दिया गया है।

### वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित करने में विलम्ब

4.6.8 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 171 के अधीन कम्पनी की वार्षिक आमसभा कम से कम 21 दिन पूर्व अथवा मत देने की पात्रता वाले सभी सदस्यों की सहमति से इससे भी कम समयावधि का लिखित नोटिस देकर बुलाई जा सकती है। इस प्रकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियाँ प्राप्ति से अधिकतम 30 दिन की अवधि के भीतर कोई सरकारी कम्पनी अपनी वार्षिक आम सभा आयोजित कर सकती है।

अभ्युक्तियाँ जारी होने की तिथियाँ/समीक्षा न होने का प्रमाण पत्र तथा विगत पाँच वर्षों में लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने हेतु आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठकों के विवरण परिशिष्ट-20 दिये गये हैं। परिशिष्ट से यह दृष्टव्य है कि सभी कम्पनियाँ अपनी वार्षिक आम सभा 30 दिन के भीतर आयोजित करने में विफल रहीं। बैठकें आयोजित करने में विलम्ब 32 से 505 दिनों में मध्य थे। इससे बकाया लेखों का निपटान बुरी तरह प्रभावित हुआ।

4.6.9 राज्य सरकार संबंधित प्रशासनिक विभागों तथा वित्त विभाग के माध्यम से कम्पनियों पर नियंत्रण रखती है।

इन कम्पनियों से संबंधित विधान एवं नियमावली के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार कम्पनी के हित में दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं। उक्त बाध्यकारी अनिवार्यता को पूर्ण करने हेतु ठोस उपाय सुनिश्चित करने में लिये राज्य सरकार की अपेक्षा रहती है कि कम्पनियाँ अपने लेखे समयबद्ध रूप से संवरित करें। इसी प्रकार प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कम्पनियों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देकर कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक आम सभा में लेखे अंगीकृत किये जायें, किन्तु बकाया लेखाओं के समाप्त हेतु राज्य सरकार ने कोई समयबद्ध कार्य/कार्य योजना नहीं बनाई है।

4.6.10 लेखाओं के बकाया रहने की स्थिति मध्यप्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अध्याय-1 में निरंतर रूप से दर्शाई जाती रही है। प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) द्वारा मुख्य सचिव को त्रैमासिक रूप में प्रेषित चूककर्ता कम्पनियों की सूची के आधार पर सरकार ने लेखाओं के त्वरित संवरण हेतु निर्देश जारी किये थे किन्तु कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही न किये जाने के कारण बकाया लेखाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

लेखाओं की बकाया का समापन करने में कम्पनियों की सहायता के लिये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिये परामर्श पर विशेष प्रकरण के रूप में दो वर्षों अथवा उससे अधिक के ये सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किये गये थे। ऐसी उच्च कार्रवाही से भी बकाया की स्थिति पर कोई सापेक्ष प्रभाव नहीं हुआ और कोई भी कम्पनी बकाया लेखाओं का समापन करने में समर्थ नहीं हो सकी।

इसके अतिरिक्त लंबित लेखाओं के शीघ्र निपटान के लिये लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार को उक्त कार्य में पेशेवर संस्थाओं की सहायता लेने का सुझाव दिया (जुलाई 2004) तथा अन्य अपेक्षित सहायता के साथ ही अनन्तिम लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने का प्रस्ताव भी किया। कम्पनियों ने अभी तक ऐसी कोई सहायता प्राप्त करने की मांग नहीं की है।

प्रकरण की सूचना सरकार/प्रबंधन को भेजी गयी थी (मई 2004) उनकी ओर से उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2004)।

#### विद्युत प्रदाय विच्छेद में विलम्ब के कारण हानि

**विद्युत प्रदाय विच्छेद के लिये समयानुसार कार्रवाई करने से विफलता के परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

4.7 मण्डल ने सेन्ट्रल इंडिया स्टील्स (प्राइवेट) लिमिटेड, भोपाल, के साथ उनकी दमोह जिले के जबेरा स्थित इकाई को उच्च दाब विद्युत आपूर्ति के लिये एक अनुबंध किया (अगस्त 1997)। अनुबंध के उपबंध 32 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अवधारित था कि विद्युत बिलों का भुगतान न करने की दशा में, उपभोक्ता को सात दिन का नोटिस दिये जाने के उपरान्त मण्डल विद्युत प्रदाय विच्छेद के लिये अधिकृत होगा।

लेखापरीक्षा में पाया कि चूंकि उपभोक्ता ने जनवरी 1998 और उसके आगे के बिलों का भुगतान नहीं किया इसलिये मण्डल ने विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर दिया और परिणामतः सितम्बर 1999 के अंत में 1.44 करोड़ रुपये के ऊर्जा प्रभार (अर्थदण्ड सहित) वसूली के लिये देय हो गये।

दो वर्षों के विलम्ब के उपरान्त जब मण्डल ने देयताओं की वसूली हेतु राजस्व वसूली अधिनियम के अधीन कार्रवाई की (जून 2001) तब तक मध्यप्रदेश वित्त निगम ने उपभोक्ता की सम्पत्ति अधिग्रहीत कर ली थी क्योंकि फर्म, निगम से लिये गये ऋण का प्रतिभुगतान करने में विफल रही थी।

विद्युत आपूर्ति के समय विच्छेदन में विफलता के कारण बकाया राशि का संचय हुआ तथा 1.44 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मण्डल ने यदि जनवरी 1998 में ही अनुबंध के संबंधित उपबन्ध की पैरवी कर ली होती तो बकाया राशि के रूप में 1.44 करोड़ रुपये की हानि को टाला जा सकता था।

प्रकरण, सरकार/मण्डल को भेजा गया था (जुलाई 2004), उनकी ओर से उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2004)।

### अग्निरक्षक प्रणाली का अधिष्ठापन न होना

**अग्निरक्षक प्रणाली के अधिष्ठापन में विफलता के परिणामस्वरूप 36.11 लाख रुपये का व्यय निर्व्वहन हो गया।**

4.8 मण्डल ने तोतलादोह में अपने जल विद्युतगृह में अग्निरक्षक प्रणाली की आपूर्ति के लिये (जुलाई 1997) 44.36 लाख रुपये की कुल लागत पर एवं साथ में उत्थापन एवं अधिष्ठापन प्रभारों हेतु (मई 1998) 8.20 लाख रुपये की कुल लागत पर अहमदाबाद स्थित एक फर्म को आदेश प्रस्ताव दिया। उक्त आदेश प्रस्ताव क्रमशः 44.76 लाख रुपये (मई 1998) तथा 10.61 लाख रुपये (जनवरी 2003) तक संशोधित किये गये।

अग्निरक्षक प्रणाली हेतु आवश्यक पानी की टंकी और पम्प हाऊस का निर्माण कार्य 11.05 लाख रुपये की लागत पर एक सिविल ठेकेदार को भी सौंपा गया (अप्रैल 1999)। चूंकि उक्त कार्य उसने पूर्ण नहीं किया तो मण्डल ने ठेका समाप्त कर दिया और वही निर्माण कार्य एक दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया (जनवरी 2003)।

इसी बीच 36.95 लाख रुपये मूल्य के अग्निरक्षक यंत्र प्राप्त हुये (फरवरी 1999) जिसके लिये मण्डल ने 25.74 लाख रुपये का भुगतान किया। सिविल निर्माण कार्य भी 10.36 लाख रुपये की कुल लागत से पूर्ण हो गया (जून 2002) था किन्तु अग्निरक्षक प्रणाली अभी तक (जून 2004) अधिष्ठापित नहीं हुई है।

इस प्रकार अग्निरक्षक प्रणाली के अधिष्ठापन पर किया गया 36.11 लाख रुपये का व्यय निर्व्वहन रहा।

मण्डल ने बताया (जून 2004) कि देरी मुख्यतः लंबित भुगतानों (विलम्ब हेतु ब्याज सहित 5.22 लाख रुपये) का विमोचन न होने तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अर्थदण्ड (2.96 लाख रुपये) की वापसी न होने के कारण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मण्डल ने लंबित भुगतानों के जारी करने की व्यवस्था नहीं की जबकि उपकरण पॉच वर्ष तक निष्क्रिय पड़े रहे और सिविल निर्माण कार्य भी दो वर्ष पहले ही पूर्ण हो गये थे।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (जुलाई 2004), उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2004)।

### ट्रांसफार्मर की मरम्मत न होने/वापसी न होने के कारण हानि

**दोषपूर्ण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराने में विफलता के कारण 1.49 करोड़ रुपये की हानि।**

**4.9** आपूर्ति संविदा के प्रावधानों के अनुसार प्रेषण की तिथि से 24 माह के भीतर दोषपूर्ण पाये जाने वाले ट्रांसफार्मर या जो कार्यचालन में दोष उत्पन्न करते हों, सूचना देने की तिथि से 90 दिन के भीतर प्रदायक/संविदाकर्ता द्वारा निशुल्क सुधारे जायेंगे/बदले जायेंगे। इसके अतिरिक्त मरम्मत किये गये ट्रांसफार्मरों की 24 माह की गारंटी होगी।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 60.12 लाख रुपये मूल्य के 115 ट्रांसफार्मर जो नवम्बर 1994 से अप्रैल 2002 की वारंटी अवधि के दौरान असफल हो गये, क्षेत्रीय भंडार भोपाल में पढ़े हुये थे, जिनकी आपूर्तिकर्ताओं ने मरम्मत नहीं की थी। इनमें से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये 62 ट्रांसफार्मरों की अभी तक मरम्मत/वापसी नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त 88.86 लाख रुपये मूल्य के 349 खराब ट्रांसफार्मर (क्षेत्रीय भंडार भोपाल में 75.13 लाख रुपये मूल्य के 314 नग तथा क्षेत्रीय भंडार जबलपुर में 13.73 लाख रुपये के 35 नग) जो गारंटी अवधि के उपरान्त जून 1998 से फरवरी 2002 के दौरान खराब हो गये थे और मरम्मत के लिये दिये गये थे, संविदाकर्ता ने वापस नहीं लौटाये है। मण्डल ने ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराने और संविदाकर्ता द्वारा उन्हें वापस लौटाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की है।

गारंटी अवधि के भीतर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत न होने और सुधार उपरान्त उनकी वापसी न होने के परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार दोषपूर्ण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और उनके वापसी का परिवीक्षण करने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रुपये (60.12 लाख + 88.86 लाख रुपये) की हानि हुई।

अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री, क्षेत्रीय भंडार, जबलपुर ने बताया (अप्रैल 2004) कि संविदाकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना मण्डल के पास विचाराधीन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

प्रकरण मण्डल/सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2004), उनकी ओर से उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2004)।

#### आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियाँ

**4.10.1** आंतरिक लेखापरीक्षा किसी संगठन के भीतर स्वतंत्र मूल्यांकन गतिविधि के रूप में उसकी पहचान है जिससे संगठन के क्रियाकलापों का परीक्षण एवं मूल्यांकन होता है। इससे वित्तीय नियंत्रण में सहायता होने के साथ ही संगठन के भीतर नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाने एवं शासन प्रक्रिया में सुधार कर संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलने की अपेक्षा रहती है। दूसरी ओर आंतरिक नियंत्रण, आश्वासन के साथ में

### 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

समुचित संवृद्धि करने में प्रबंधन के एक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अनिवार्यताओं की जबाबदेही पूर्ण कर रहा है, अपेक्षित एवं दक्ष कार्यचालन में वृद्धि, कपटपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध परिसम्पत्तियों की संख्या, क्षति एवं हानियों में लागू नियमों और प्रबंधन नीतियों का पालन करता है तथा समयसापेक्ष प्रतिवेदनों के माध्यम से क्रियान्वयन योग्य वित्तीय उपायों का खुलासा करता है।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5 के अंतर्गत गठित किया गया था। मण्डल को मध्यप्रदेश राज्य में कुशलतापूर्ण विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की समन्वित विकासपूर्ण समृद्धि करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

**31 मार्च 2003 को समाप्त गत पाँच वर्षों में मण्डल का व्यय एवं आय निम्नानुसार थे:**

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आय	व्यय
1998-99	6,109.17	6,545.31
1999-2000	7,104.47	5,763.83
2000-01	7,382.33	5,993.02
2001-02	6,551.27	5,179.96
2002-03	5,616.80	5,462.50

टिप्पणियां- 1 2000-01 के आंकड़े 14 अप्रैल 2001 तक के हैं।

2. 2001-02 एवं 2003-03 के आंकड़े अनंतिम हैं।

मण्डल के कार्यचालन में अत्यधिक व्यय एवं आय के लिये प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि गंभीर प्रणालीगत कमियों और नियंत्रण तंत्र की हीनता इंगित की जा सके तथा उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाये।

#### आंतरिक लेखापरीक्षा

**4.10.2 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 69(i) राज्य विद्युत मण्डलों को आंतरिक लेखापरीक्षा की यथोचित संरचना करने के लिये बाध्य करती है।** मार्च 1995 तक, मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं आदेशों के आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती थी। आंतरिक लेखापरीक्षा संहिता की आवश्यकता को देखते हुये मण्डल ने प्रबंधन सलाहकारों के परामर्श पर आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार की जो सदस्य (वित्त) द्वारा अनुमोदित की गई और उसे अप्रैल 1995 से लागू किया गया। तथापि उक्त आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली अनुमोदन के लिये मण्डल के समक्ष नहीं रखी गई। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने के उपरान्त लेखापरीक्षा कार्य में इसे क्रियान्वित करने हेतु मण्डल ने नियमावली की स्वीकृति दी (मई 2004)।

#### लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां और उनका समावेशन

**4.10.3 1999-2004 अवधि के दौरान लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों, स्थापित किये गये लेखापरीक्षा दलों की संख्या; लेखापरीक्षा शाखा पर किये गये व्यय की वर्षवार स्थिति परिशिष्ट-21 में दी गई है। परिशिष्ट में दिये गये आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण आंकड़ों से निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईं।**

### **बकाया लेखापरीक्षा**

वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अभाव के परिणामस्वरूप बकाया लेखापरीक्षा के प्रति नियंत्रण में कमी देखी गई।

4.10.4 आगामी वर्ष में लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयां दर्शाते हुये वर्ष भर के दौरान वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जांच सुनिश्चित करने तथा प्राप्त उपलब्धियों में कमी, यदि कोई हों, के कारणों का विश्लेषण भी करने के लिये लेखापरीक्षा शाखा को प्रतिवर्ष जनवरी के अंत में एक वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना होता है। वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की तैयारी का अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया, परिणामतः बकाया लेखापरीक्षा के प्रति शाखा का कोई नियंत्रण नहीं था जो मार्च 2004 के अंत में लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 79 प्रतिशत संगणित किया गया।

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की अनुशंसा थी (नवम्बर 1999) कि वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम प्रतिवर्ष तैयार कर अनुवर्ती कार्यवाही होनी चाहिये तथापि मण्डल ने इस अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया है।

मण्डल ने बताया (फरवरी एवं सितम्बर 2004) कि लेखापरीक्षा दलों की कमी के साथ ही कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या से अपेक्षित स्तरों पर समावेशन एवं लेखापरीक्षा कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ और आगे वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया जुलाई 2004 से क्रियान्वित की जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने उपलब्ध दलों का समानुपातिक रूप से उपयोग नहीं किया। वर्ष 2002-03 के दौरान जहां शाखा के पास कार्यरत संख्या संस्वीकृत पदों की 43 प्रतिशत थी वहीं बकाया 77.41 प्रतिशत तक संचित हो गया। बकाया लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप समय गुजरने के साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता में कमी आई।

### **तकनीकी कर्मचारियों को संबद्ध न करना तथा पर्यवेक्षण में कमी**

4.10.5 आंतरिक लेखापरीक्षा संहिता की धारा के 7.2 के अनुसार एक आंतरिक लेखापरीक्षा दल में एक कनिष्ठ यंत्री को शामिल किया जाना चाहिये। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा दलों में कोई यंत्री पदस्थ नहीं किया गया था (मार्च 2004)।

आंतरिक लेखापरीक्षा दलों में कोई तकनीकी कर्मचारी सम्मिलित नहीं किया गया।

शाखा के मार्च 2003 के कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन के अनुसार दलों के विभिन्न संवर्गों में 54 प्रतिशत की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप 18 में से 14 लेखापरीक्षा दल अनुभाग अधिकारी के बिना तथा 16 लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के बिना काम कर रहे थे। 1990 से भरती बंद होने के साथ ही सेवानिवृत्तियों और स्थानान्तरणों के कारण शाखा में कर्मचारियों की कमी बढ़ती रही। तकनीकी कर्मचारियों को समाविष्ट न करने, लेखापरीक्षा में उपयुक्त एवं पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव तथा पर्यवेक्षण की कमी के कारण नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (T.A.R.) का स्तर प्रभावित हुआ।

### नियंत्रण/केन्द्रीय कार्यालयों का समावेशन न करना

मण्डल के केन्द्रीय एवं नियंत्रण कार्यालयों को आंतरिक लेखापरीक्षा में समावेशित नहीं किया गया।

4.10.6 नियंत्रण एवं केन्द्रीय कार्यालयों को आंतरिक लेखापरीक्षा की परिधि में लाने की कोपू की अनुशंसा (मई 1988) तथा इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा हेतु एक लेखापरीक्षा दल विशेष रूप से स्वीकृत करने (अप्रैल 1988) के बाबजूद भी क्रय, परियोजनाओं एवं पूजीगत वृहद निर्माण कार्यों से संबंधित केन्द्रीय/नियंत्रण कार्यालयों के लेनदेन आंतरिक लेखापरीक्षा की परिधि से निरंतर बाहर रखे गये। तथापि मण्डल ने बताया (फरवरी 2004) कि नियंत्रण कार्यालयों की लेखापरीक्षा के लिये कोई पृथक लेखापरीक्षा दल गठित नहीं किया गया तथा वर्तमान में चल रहे लेखापरीक्षा दलों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को आबद्ध करना कठिन था और इसी विवशता के कारण नियंत्रण कार्यालयों को समाविष्ट नहीं किया जा सका।

### उच्च दाब मांग बिलों में समवर्ती लेखापरीक्षा क्रियान्वित न करना

उच्चदाब मांग बिलों की समवर्ती लेखापरीक्षा क्रियान्वित नहीं की गई और लेखापरीक्षा बकाया में शनैःशनैः वृद्धि होती गई।

4.10.7 उच्चदाब मांग बिलों की लेखापरीक्षा बकाया को टालने के लिये मण्डल ने मुख्यतः जबलपुर में उच्चदाब मांग बिलों की समवर्ती लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया (जून 1987)। आंतरिक लेखापरीक्षा संहिता में भी संबंधित क्षेत्रों में स्थित आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में उच्चदाब मांग बिलों की समवर्ती लेखापरीक्षा करना निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप 2001-02 में पाँच क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में उच्चदाब मांग बिलों की लेखापरीक्षा बकाया थी जो 2002-03 में बढ़कर आठ तथा 2003-04 में 13 हो गये।

### व्यय लेखापरीक्षा का अपर्याप्त समावेशन

4.10.8 व्यय लेखापरीक्षा हेतु नियत इकाईयों, लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या और 1999-2004 के दौरान समावेशित इकाईयों का प्रतिशत निम्नानुसार था:

1999-00	400	152	38
2000-01	400	94	24
2001-02	376	71	19
2002-03	455	59	13
2003-04	455	27	6

यद्यपि व्यय लेखापरीक्षा की अवधिकालिकता चार वर्ष में एक बार थी तथापि इकाईयों का समावेशन 1999-2000 में 38 प्रतिशत से 2000-01 में 24 प्रतिशत, 2001-02 में 19 प्रतिशत, 2002-03 में 13 प्रतिशत और 2003-04 में गिरकर 6 प्रतिशत तक हो गई। इसका कारण लेखापरीक्षा कमियों का न्यून उपयोग होना था।

मण्डल ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार कीं और बताया (सितम्बर-2004) कि लेखापरीक्षा समावेशन में वृद्धि करने के लिये वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की जायेगी।

व्यय लेखापरीक्षा का समावेशन धीरे-धीरे कम होता गया।

### निर्माण कार्य/तकनीकी क्षेत्र का समावेशन न करना

**निर्माण कार्य/तकनीकी क्षेत्र का लेखापरीक्षा में अपर्याप्त समावेशन।**

**4.10.9 10** इकाईयों की व्यय लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 50 प्रतिशत से अधिक आपत्तियाँ स्थापना के मामले से संबंधित थीं। उठाई गई 158 आपत्तियों में से केवल छः आपत्तियाँ निर्माण कार्य/तकनीकी मामलों से संबंधित थीं। व्यय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की हीन गुणवत्ता मुख्यतः लेखापरीक्षा कर्मचारियों की कमी, पर्यवेक्षण के अभाव, तकनीकी कर्मचारियों के अभाव तथा कर्मचारियों के वांछित तकनीकी जानकारी के अभाव में कारण रही बताई गई।

### नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी किये जाने में विलंब

**4.10.10** लेखापरीक्षा दल 500 रुपये से अधिक के वित्तीय प्रभाव वाले अभ्युक्तियों के नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को शाखा के मुख्यालय को भेजते हैं जिनकी संयुक्त संचालक (लेखापरीक्षा) जाँच करता है तथा संबंधित कार्यालयों को जारी करता है।

मण्डल ने आंतरिक लेखापरीक्षा दलों से नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने हेतु सात दिवस का समय एवं उन्हें जारी करने हेतु एक माह का समय निर्धारित किया था।

**निरीक्षण प्रतिवेदन विलंब से जारी किये जाने से संबंधित वसूलियों में विलंब के परिणामस्वरूप व्याज की हानि।**

1998-2003 के दौरान जारी किये गये 3,483 नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से शाखा ने 807 प्रतिवेदन (23.17 प्रतिशत) एक माह की निर्धारित अवधि में, 1915 प्रतिवेदन (54.98 प्रतिशत) तीन से सात माह के विलंब के उपरान्त, 533 प्रतिवेदन (15.30 प्रतिशत) छः से 12 माह के विलंब के उपरान्त तथा 228 प्रतिवेदन (6.55 प्रतिशत) एक वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त जारी किये।

प्रतिवेदन जारी किये जाने में विलम्ब के कारण जहाँ भी आवश्यक हो वसूलियों सहित प्रतिवेदनों पर कार्यवाही में विलम्ब हुआ परिणामतः मण्डल को व्याज की हानि हुई।

### आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

**4.10.11** मण्डल में वित्तीय एवं स्थापना से संबंद्ध मामलों में मार्च 1985 में जारी “शक्तियों के प्रत्यायोजन” की संशोधित एवं अद्यतन पुस्तिका के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यान्वित की गई। आवधिक प्रशासकीय निरीक्षणों एवं शाखा द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के माध्यम से शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधानों का अनुपालन प्रवर्तित होता है। उक्त विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की भूमिका आंतरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तक में दी गई है।

मण्डल विभिन्न विभागों की गतिविधियों पर वित्तीय नियंत्रण रखने हेतु वार्षिक बजट तैयार करता है तथा इन क्षेत्रों में वास्तविक व्यय की बजट से तुलना की जाती है।

मण्डल के अद्यतन वार्षिक लेखे तैयार नहीं हैं। 2001-02 तथा 2002-03 के लेखे अभी मण्डल ने स्वीकार करने हैं (अक्टूबर 2004)।

शाखा ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया।

नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विश्लेषण से दृष्टिगत हुआ कि निर्माण कार्य/तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित आपत्तियां नगण्य थीं। शक्तियों के प्रत्यायोजन के उल्लंघन अथवा प्रशासकीय निरीक्षणों में चूक का अवलोकन दृष्टिगत नहीं हुआ। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया।

### निःशुल्क पास अनियमित रूप में जारी करना

**निःशुल्क पास अनियमित रूप में जारी किये जाने के परिणामस्वरूप 3.05 करोड़ रुपये की हानि**

4.11 मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम (निगम) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके अनुरक्षकों को संयुक्त मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये निःशुल्क पास जारी करता रहा है। इन पासों के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से करवाई जाती है। नवम्बर 2000 में राज्य का विभाजन हुआ एवं छत्तीसगढ़ राज्य गठित किया गया। निगम ने छत्तीसगढ़ सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना उस राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को निःशुल्क पास जारी करना निरंतर बनाये रखा।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ (जनवरी 2004) कि संचालक मण्डल; मंत्री स्तरीय उप समिति के इस निर्णय से पहले से ही अवगत थी (जुलाई 2002) कि निःशुल्क पास छत्तीसगढ़ सरकार से लंबित दावे प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किये जा सकते हैं। इसके बाबजूद निगम ने दिसंबर 2002 अर्थात उक्त राज्य में सेवाओं के परिचालन को रोके जाने तक छूट जारी रखी। स्वतंत्रता सेनानियों (459) तथा उनकी विधवाओं (123) को जारी निःशुल्क पासों का मूल्य 3.17 करोड़ रुपये संगणित किया गया। इसकी तुलना में निगम ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से केवल 12 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करवाई (मार्च 2002) तथा शेष दावों (3.05 करोड़ रुपये) का भुगतान नहीं किया गया जिसका कोई कारण नहीं बताया गया। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने शेष राशि जारी नहीं की अतः प्रबंध संचालक ने पासों को जब्त करने (फरवरी 2003) का आदेश दिया। तथापि निगम किसी भी पास को जब्त नहीं कर सका।

इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से स्वीकृति के बिना स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को निगम द्वारा निःशुल्क पास जारी करना निरंतर बनाये रखने के परिणामस्वरूप 3.05 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी एवं जुलाई 2004) कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से 12 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करवाई तथा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को जारी किये गये निःशुल्क पासों को निरस्त कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम अपने दावों की प्रतिपूर्ति हेतु आग्रह नहीं कर सकता क्योंकि उक्त पास छत्तीसगढ़ सरकार की सम्मति के बिना दिये गये थे जो उचित नहीं था।

मामला सरकार की ओर भेजा गया (जुलाई 2004) उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2004)

### कर का परिहार्य भुगतान

**मार्ग पर न चल रहे बसों पर कर की छूट का दावा करने में विफलता से 35.26 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।**

**4.12** मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (निगम) को मार्गस्थ बसों के संबंध में संभागीय परिवहन कार्यालय को पथकर का भुगतान करना था। मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम 1991 के नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसार निगम प्रपत्र-क पर एक घोषणापत्र भरते हुये मार्ग पर नहीं चल रहे प्रत्येक बस हेतु पथकर के भुगतान के छूट कर दावा कर सकता था।

मार्ग पर न चल रहे बसों के लिये कर में छूट का दावा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 35.26 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ (अक्टूबर 2003) कि निगम के शहडोल डिपो में 10 बसें 2000-01 के दौरान मार्ग पर नहीं चल रही थीं तथा डिपो उन बसों पर बिना कर की छूट का दावा करते हुये कर जमा कर रहा था। इस प्रकार कर छूट का दावा करने में इसकी विफलता के कारण सितम्बर 2003 तक 35.26 लाख रुपये का परिहार्य कर भुगतान करना पड़ा।

डिपो प्रबंधक ने बताया (अक्टूबर 2004) कि भविष्य में इस विषय को ध्यान में रखा जायेगा।

मामला सरकार की ओर भेजा गया (मई 2004) उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2004)।

**टायर रिट्रेंडिंग प्लांटों के कार्य प्रदर्शन सहित टायर, ट्यूब एवं फ्लोपों की अधिप्राप्ति एवं संधारणा**

**4.13** निगम ने 2003-04 के दौरान 42 डिपो एवं सात संभागों के माध्यम से 1269 बसों का बेड़ा परिचालित किया। 31 मार्च 2004 को निगम के पास टायरों के रिट्रेंडिंग हेतु भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं महू संभागों में चार रिट्रेंडिंग प्लांट थे।

### क्रय प्रक्रिया

**4.13.1** मार्च 1996 तक केन्द्रीयकृत क्रय प्रक्रिया विद्यमान थी। इस प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त कार्यालय में मुख्यालय निविदा समिति, निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने, निविदा आदेश प्रस्तुत करने एवं उसकी अनुवर्तन कार्यवाही का कार्य संभालती थी। उसके पश्चात संयुक्त कार्यालय ने अपनी गतिविधियां, आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने

एवं प्रति किलोमीटर न्यूनतम लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित करने तथा उन्हें संभागीय कार्यालय को सूचित करने किये गये आपूर्तिकर्ताओं से कम मात्रा में रोकड़ आधार पर अधिप्राप्ति कर सके ताकि वे पहचान तक अपने को सीमित कर लिया। अतः आदेश प्रस्तुत करने एवं भुगतान का कार्य संभागों की स्वेच्छा पर छोड़ा गया।

### **कैश डिस्काउण्ट प्राप्त न करना**

**4.13.2** निगम अपने हीन वित्तीय स्थिति के कारण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बड़ी मात्रा में क्रय हेतु प्रस्तावित मूल्य अग्रमान्यता की उपेक्षा करते हुये मांग पर कम मात्रा में टायरों की आपूर्ति करने के इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति के लिये आदेश प्रस्तुत करता रहा है। अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के विरुद्ध यह नये टायरों के लिये आदेश प्रस्तुत करते समय रिट्रेंडिंग के उपरान्त प्राप्त होने वाले भील दूरियों को वरीयता नहीं दे सका। 1999-2004 के दौरान निगम ने 44.67 करोड़ रुपये मूल्य के 50,856 टायर क्रय किये। यद्यपि संभागों ने क्रयमूल्य के लिये डिमांड ड्राफ्ट हस्तांतरित करते हुये टायर क्रय किये तथापि कम मात्रा में टायरों की अधिप्राप्ति के कारण ये कैश डिस्काउण्ट प्राप्त नहीं कर सके।

कम मात्राओं में टायरों के क्रय के कारण निगम ने 89.34 लाख रुपये के कैश डिस्काउण्ट को छोड़ दिया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यदि मण्डलों को अपनी आवश्यकता के लिये टायरों के क्रय हेतु आदेश प्रस्तुत करने एवं उनका भुगतान करने की स्वीकृति न देते हुये निगम ने प्रत्येक संभाग के लिये आपूर्ति सारणी पहले ही संलग्न करते हुये बड़ी मात्रा के लिये क्रय आदेश प्रस्तुत किये होते तो इसने कैश डिस्काउण्ट अर्जित किया होता। इस प्रकार यह इस तरह की प्रक्रिया अपनाने में विफल रहने के कारण इसे 89.34 लाख रुपये (44.67 करोड़ रुपये पर 2 प्रतिशत) का कैश डिस्काउण्ट छोड़ना पड़ा।

निगम ने आपूर्तिकर्ताओं के स्थल से संभागीय भण्डारणहूँ तक टायरों के परिवहन पर किये जाने वाले व्यय को भी बचा लिया होता, क्योंकि फुटकर अधिप्राप्ति के कारण निगम को आपूर्तिकर्ताओं के स्थल से सुपुर्दगी लेनी पड़ी तथापि निगम से विवरणों के अभाव में, इस प्रकार से किये गये व्यय की मात्रा की संगणना नहीं की जा सकी।

प्रबंधन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत होते हुये (फरवरी 2004) भी लेखापरीक्षा द्वारा संगणित हानि से सहमत नहीं था। तथापि तथ्य यह है कि निगम अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण बड़ी मात्रा में क्रय नहीं कर सका।

### **टायरों की विफलता के कारण बसों का ब्रेकडाउन**

**4.13.3** परिवहन उद्योग में ब्रेकडाउन की मानक दर प्रति 10,000 किलोमीटर परिचालन पर 0.33 है। इसकी तुलना में मार्च 2003 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान निगम में ब्रेकडाउन की दर प्रति 10,000 किलोमीटर पर क्रमशः 1.13, 0.99, 0.67, 0.69 तथा 0.89 रही। 1999-2003 के दौरान ओसत बेड़े से टायरों की विफलता के कारण बसों के ब्रेकडाउन अनुपात के संबंध में निगम के साथ आंध्रप्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रकल्पात्मक की गुण संख्या	टायरों की विफलता के कारण ब्रेकडाउन		मध्यस्थीति संखक परिवहन निगम	आधिकारिक संख्या संडक परिवहन निगम
		संख्या	प्रतिशत		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1999-2000	16,343	1,767	10.81	0.77:1	0.32:1
2000-01	14,296	1,667	11.66	0.70:1	0.30:1
2001-02	13,738	2,012	14.65	0.79:1	0.31:1
2002-03	11,216	1,335	11.85	0.76:1	अनुपलब्ध

टायरों की अधिक विफलता के कारण ब्रेकडाउन की घटनाएँ अधिक मात्रा में हुई।

टायरों की विफलता के कारण ब्रेकडाउन की प्रतिशतता 1999-2000 में 10.81 से बढ़कर 2001-02 में 14.65 प्रतिशत हो गई जिसके कारण निर्धारित किलोमीटर निरस्तीकरण तथा राजस्व की कमी में वृद्धि हो गई। लेखापरीक्षा में हानि की मात्रा की संगणना नहीं की जा सकी क्योंकि समीक्षा की अवधि के दौरान निगम कार्यालय के पास निरस्त किलोमीटरों के कारणवार विवरण नहीं थे।

### टायरों की खपत

4.13.4 निगम ने रिट्रीडिंग क्षमता का घटक 1:2 निर्धारित किया परन्तु इसने 1999-2003 के दौरान चार वर्षों में से किसी में भी उक्त घटक को प्राप्त नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिलाख किलोमीटरों पर अधिक टायरों का उपयोग हुआ।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि 1999-2004 के दौरान निगम में प्रतिलाख किलोमीटर प्रचालन पर उपयोग में लाये गये नवीन टायरों की खपत 1999-2000 के दौरान 4.77 (आंध्रप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम), 4.85(कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम) तथा 5.22 (महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम) की तुलना में 5.70 (2003-04) और 6.99(2001-02) के मध्य रही। बढ़ी हुई टायरों की विफलता तथा औसत अवधि पूर्ण किये बिना रिट्रीड टायरों की खपत मुख्यतः निम्नाकित नियंत्रण योग्य घटकों के कारण थीं।

टायरों की विफलता के कारणों का पता नहीं लगाया गया।

- टायरों की उचित प्रकार से जाँच करने में हीलफिटर की असावधानी।
- टायरों में उचित वायु दबाव न बनाये रखना।
- एक तरफ से फटे टायर को समय पर बदलने में विफलता।
- पहिये का अनुपयुक्त एलाइनमेन्ट।
- 0.5 मिलीमीटर की फिसलन गहराई (स्किड डेफॉर्ट) तक टायर की टूट-फूट होने पर टायर को तुरंत न बदलना।
- रोक प्रणाली (ब्रेक) उपयुक्त न होना तथा
- चालकों की असावधानी तथा उनकी दोषपूर्ण चालन आदतें इत्यादि।

निगम ने प्रभावपूर्ण सुधारात्मक उपाय करने हेतु टायरों की विफलता के कारणों का पता नहीं लगाया तथा उसने राज्य में सड़कों की विद्यमान दोषपूर्ण स्थिति के कारण ऐसा होना बताया (फरवरी 2004)।

तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि भोपाल-इंदौर, उज्जैन-इंदौर इत्यादि जैसी अच्छी सड़कों पर भी टायरों की विफलतायें अधिक मात्रा में रही। साथ ही टायर केरटेकरों के स्वीकृत 62 पदों की संख्या के विरुद्ध 1995 से 34 पद रिक्त रखे गये हैं।

### अधिक टायरों का उपयोग

4.13.5 निगम ने नये एवं रिट्रीड टायरों का जीवन लक्ष्य क्रमशः 45,000 किलोमीटर एवं 28,000 किलोमीटर (प्रति टायर रिट्रीडिंग) निर्धारित किया है। राज्य सड़क परिवहन निगम के लिये नये टायर का अखिल भारतीय औसत जीवन 48,556 किलोमीटर था। वर्ष 1999-2004 के दौरान नये एवं रिट्रीड किये गये टायरों के उपयोग, रिट्रीडिंग घटक तथा औसत जीवन परिशिष्ट-22 में दर्शाया गया है।

नये टायरों द्वारा कम माइलेज चलने के कारण 1.21 करोड़ रुपये मूल्य के अधिक टायरों का उपयोग हुआ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निगम ने 1999-2003 के दौरान किसी भी वर्ष में लक्ष्य निर्धारित रिट्रीडिंग घटक प्राप्त नहीं किया। कम उपलब्धि के परिणामस्वरूप अधिकतम जीवन क्षमता नये टायरों के संबंध में केवल 42,392 किलोमीटर (1999-2000) तथा रिट्रीड किये गये टायरों के लिये 27,848 किलोमीटर (2003-04) प्राप्त की गई। इसके कारण निगम को मानक के अनुसार 32,187 टायरों की आवश्यकता के विरुद्ध इसे 1.21 करोड़ रुपये के व्यय पर 1,908 अतिरिक्त टायरों का उपयोग करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2004) कि टायरों का औसत कार्य निष्पादन विद्यमान सड़कों एवं वाहनों की स्थितियों के आधार पर प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होता है। साथ ही इकाइयों को अच्छे निष्पादन के प्रयास हेतु लक्ष्यों को सर्वदा अधिक रखा गया।

### टायरों को रद्द करना

4.13.6 निगम ने नये टायर के लिये 45,000 किलोमीटर एवं रिट्रीड किये गये (प्रति रिट्रीड) के लिये 28,000 किलोमीटर का मानक निर्धारित किया। इसके 1:2 के रिट्रीडिंग टायर घटक के अनुसार एक टायर को 1,01,000 किलोमीटर ( $(45,000+56,000)(28,000 \text{ प्रति रिट्रीडिंग})$ ) का जीवन पूर्ण करना चाहिये। निगम ने 1999-2004 के दौरान 4,889 नये टायरों को मात्र 2,171.68 लाख किलोमीटर की कुल माइलेज उपलब्धि के उपरान्त रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट-23 के अनुसार 1.73 करोड़ रुपये<sup>28</sup> का परिहार्य व्यय हुआ। इसी प्रकार निगम ने 1999-2004 के दौरान 31,965 रिट्रीड किये गये टायरों द्वारा 56,000 (दो रिट्रीड हेतु) का औसत जीवन पूरा करने के पूर्व ही इन्हें रद्द कर दिया। इसके कारण वे 8,678.8 लाख किलोमीटर कम चले जो कि 5.43 करोड़ रुपये मूल्य के 8,590 टायरों के बराबर रहा।

<sup>28</sup>	(i) कमी (लाख किलोमीटर में)	: 2,766.21
	(ii) टायरों की कमी (101000 किलोमीटर से विभाजित) : 2,739 संख्या	
	(iii) प्रति टायर औसत लागत : 6,322 रुपये	
	(iv) परिहार्य व्यय ((ii)X (iii)) : 173.16 लाख	

रिट्रीड किये गये 5.43 करोड रुपये मूल्य के 31965 टायरों को समर्पूर्व रद्द कर दिया गया।

इसी प्रकार निगम में नये टायरों की समय पूर्व विफलता परिवहन उद्योग में रद्द किये जाने हेतु पांच प्रतिशत के मानक के विरुद्ध 11.19 (2000-01) और 9.09 (2002-03) प्रतिशत के मध्य रही।

प्रबंध मण्डल ने बताया (फरवरी 2004) कि बहुत पुराने वाहनों को खराब सड़कों पर चलाना पड़ता है अतः टायर इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि उन्हें रिट्रीड नहीं करवाया जा सकता अतः हानि का निर्धारण औचित्यपूर्ण नहीं है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि संपूर्ण राज्य में डिपो द्वारा रिट्रीड किये गये टायरों को रद्द किया गया है जो स्पष्ट दर्शाता है कि, टायरों का रद्द करना न्यूनतम करने हेतु, टायरों के संधारण के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये।

### क्षमता का कम उपयोग

4.13.7 31 दिसम्बर 2003 को निगम में चार रिट्रीडिंग प्लांट थे जिनके प्रमुख कार्य प्रबंधक थे जो कि निगम कार्यालय में उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के नियंत्रण में कार्यरत थे। 1999-2004 के दौरान प्लांटों की क्षमता का उपयोग 60 और 71 प्रतिशत के मध्य रहा जो निम्नांकित विवरणानुसार है:

स्थापित क्षमता	34,416	32,820	32,256	29,856 <sup>29</sup>	29,856
उत्पादन	20,786	21,814	22,868	19,551	10,471 (नवम्बर 2003 तक)
कमी	13,630	11,006	9,388	10,305	19,385
उपयोग का प्रतिशत	60.4	66.5	70.9	65.5	35.1

क्षमता का कम उपयोग, निर्धारित किलोमीटरों की तुलना में सकल परिवालित किलोमीटरों में कमी आने के कारण था। यह मार्ग पर न चलने वाले बसों के संधारण में वृद्धि अर्थात् 509 (1998-99), 565 (1999-2000), 559 (2000-01) तथा 676 (2001-02) और बसों के अभाव में 2,422.83 लाख किलोमीटर निरस्त किये जाने एवं बहुत पुराना बेड़ा होने के कारण बसों के कार्यभंग के कारण था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

20 वर्ष से अधिक	24
16-20	313
11-15	333
6-10	603
5 वर्ष तक	361

<sup>29</sup> प्रतिस्थापित क्षमता में कमी राज्य के विभाजन एवं रीवा संभाग को बंद किये जाने के कारण रही।

परिणामतः रिट्रीड करने हेतु प्लांटों की प्रतिष्ठापित क्षमता का टायरों के अभाव में अधिकतम उपयोग नहीं किया जा सका।

### रिट्रीड किये गये टायरों की समयपूर्व विफलता

4.13.8 निगम ने अब तक (सितम्बर 2004) रिट्रीड किये गये टायरों की समयपूर्व विफलता का कोई मानक निर्धारित नहीं किया है। निगम 1998-2003 के दौरान प्लांटों की आवधिक जानकारी प्राप्त न होने के कारण प्लांटों की प्रक्रियागत हानियों की समीक्षा नहीं कर सका है।

रिट्रीड किये गये टायर विफल रहने के कारण

**4.06 लाख माइलेज किलोमीटर की हानि।**

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर आंकड़ों के संकलन की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1998-2003 के दौरान निगम में रिट्रीड किये गये 725 टायर 28,000 प्रति रिट्रीडिंग किलोमीटरों के मानक के अनुसार 4.06 लाख किलोमीटर की तुलना में केवल 45,089 किलोमीटर माइलेज प्राप्त करने पर ही वे हटा दिये।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि:

- रिट्रीड किये गये टायरों के समयपूर्व विफल होने के परिणामस्वरूप इन टायरों के 405.55 लाख किलोमीटर माइलेज को छोड़ना पड़ा।
- समयपूर्व विफलता की प्रतिशतता कर्नाटक राज्य सङ्कक परिवहन निगम की 0.25 प्रतिशत की तुलना में 0.82 और 2.45 प्रतिशत के मध्य रही, तथा
- जबलपुर प्लांट में प्रतिशतता अधिक (1.98, 2.13, 5.03, 3.1 तथा 5.84) थी।

विभिन्न प्लांटों द्वारा समयपूर्व टायर रद्द किये जाने की अधिक घटनाओं के बाबजूद निगम ने विफलताओं को कम करने हेतु कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया।

### सामग्री एवं विद्युत खपत हेतु मानक निर्धारित न करना

4.13.9 चार दशाब्दियों से अस्तित्व में रहने के बाबजूद निगम ने किसी प्रकार के मानक निर्धारित करने हेतु सामग्री की खपत, कार्य को पूर्ण करने हेतु ऊर्जा एवं कर्मियों की जरूरत का कोई अध्ययन नहीं किया। प्लांटों के पास पृथक मीटर न होने के कारण विद्युत खपत का पता लगाने की कोई सुविधा तक नहीं थी। निगम ने मात्रा के संबंध में कोई मानक निर्धारित करने के बजाय रिट्रीड करने की लागत 1997 में प्रति टायर 1,500 रुपये निर्धारित की।

**सामग्री एवं विद्युत की खपत हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये।**

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि 1999-2004 के दौरान प्राप्त लागत 1500 रुपये के मानक के समरूप नहीं थी। मात्रात्मक मानक निर्धारित किये बिना एवं विद्युत खपत अभिलेखित किये बिना निगम कच्चे माल एवं विद्युत तथा श्रम उपयोग की अधिक खपत का पता नहीं लगा सका तथा इस प्रकार कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं कर सका।

प्रबंधक ने बताया (सितम्बर 2004) कि रिट्रीडिंग लागत अधिक अर्थात् 1,500 रुपये प्रति टायर निर्धारित की गई ताकि प्लांट में कार्यरत श्रमिकों को उपयोगकर्ता डिपो से प्राप्त

राशि से समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। यह भी बताया गया कि जॉब कार्ड संधारित करने, विद्युत खपत का अभिलेख करने हेतु सबमीटर प्रतिष्ठापित करने तथा रिट्रीडिंग हेतु सामग्रियों की खपत के लिये मानक निर्धारित करने हेतु कार्यवाही की गई है।

### ट्रीड रबड़ का ऊँची लागत पर फुटकर क्रय

**4.13.10** टायर रिट्रीडिंग प्लांट अपनी स्वयं की आवश्यकता की सामग्रियों को अधिप्राप्त करने के लिये अधिकृत थे। एम.आर.एफ, एल.जी.इत्यादि जैसे मानक निर्माताओं से अधिप्राप्ति करने के बजाय सामग्रियों के कार्यनिष्ठादन का मूल्यांकन किये बिना एवं विक्रेताओं से कोई गारंटी लिये बिना उनका स्थानीय क्रय किया गया। निम्नांकित तालिका प्रत्येक प्लांट द्वारा अधिप्राप्त ट्रीड रबड़ की प्रतिकिलो औसत लागत दर्शाती है:

(रुपये प्रति किलोग्राम)

वर्ष	प्राप्ति	ग्राम	प्रतिकिलो	प्रतिकिलो
1999-2000	79.72	85.83	70.15	85.41
2000-01	80.50	81.52	70.11	80.61
2001-02	73.75	71.80	89.88	81.25
2002-03	72.77	76.86	74.01	79.74
2003-04	75.06	81.80	79.37	73.22

ट्रीड रबड़ का फुटकर क्रय करने के कारण 53.85 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

लेखापरीक्षा दृष्टिगत हुआ कि यदि निगम कार्यालय ने प्रत्येक प्लांट की आवश्यकता के लिये एक मुश्त क्रय आदेश प्रस्तुत किये होते तो इसने 53.85 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की बचत कर ली होती जैसा कि परिशिष्ट 24 में विवरण प्रस्तुत है।

प्रबंध मण्डल ने बताया (सितम्बर 2004) कि वित्तीय तंगी के कारण संभागों को मुख्यालय द्वारा पहचान किये गये स्रोतों से आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता के आधार पर ट्रीड रबड़ क्रय करने का परामर्श दिया गया। इसके कारण ट्रीड रबड़ क्रय के मूल्य में भिन्नता रही।

### निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारूप कंडिकार्ये एवं समीक्षाओं के प्रत्युत्तर

**4.14** लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुई एवं स्थल पर निराकृत नहीं की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों के प्रमुखों को भेजी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को छःसप्ताह की अवधि में संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रस्तुत करना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उपक्रमों के संबंध में मार्च 2004 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रकट हुआ कि सितम्बर 2004 के अंत तक 4,519 कंडिकार्ये जो 1,691 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित थीं, बकाया रहीं। इनमें से 3,106 कंडिकार्यों युक्त 1,368 निरीक्षण प्रतिवेदनों के एक वर्ष से 19 वर्ष तक की अवधि में उत्तर नहीं दिये गये हैं (परिशिष्ट 25)

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर संबंधित प्रशासकीय विभागीयों के प्रमुख सचिव/सचिव की ओर अद्वेशासकीय पत्रों के माध्यम से प्रारूप कंडिकायें एवं समीक्षायें अग्रेषित की जाती है जिससे वे छःसप्ताह की अवधि में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर सकें तथा उन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकें। तथापि यह देखा गया कि अप्रैल और अगस्त 2004 के मध्य विभिन्न विभागों की ओर अग्रेषित 15 प्रारूप कंडिकाओं एवं दो प्रारूप समीक्षाओं में से परिशिष्ट में दिये गये विवरणानुसार दो समीक्षाओं एवं 12 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्रतीक्षित रहीं (सितम्बर 2004)।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के निर्धारित समय सारणी के अनुसार उत्तर भेजने में विफल रहे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रक्रिया विद्यमान है (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की निर्धारित समयानुसार वसूली हेतु कार्यवाही की गई, तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर देने की प्रणाली को सुधार लिया गया है।

जयनारायण

(जयनारायण गुप्ता)

प्रधान महालेखाकार

(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश

गवालियर  
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. नं. का. ३८

नई दिल्ली  
दिनांक

(विजयेन्द्र एन कौल)  
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

## परिशिष्ट-1

(कोंडिका 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.17 में संदर्भित)

### सरकारी कम्पनियों तथा सांचिक निगमों के पूँजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2004 को बकाया ऋणों के ब्लौरे दर्शनेवाला विवरण-पत्रक

(स्तम्भ 3 (क) से 4 (च)में ऑकड़े तारख रुपयों में)

क्रम संख्या	केन्द्र एवं कम्पनी का नाम संस्था	चालू वित्त वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी			वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण	वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण @	सरकार अन्य	योग अंशपूँजी ऋण (वित्त वर्ष) 4 च/3 ड	2003-04 के अंत में बकाया ऋण** के लिये क्र०- अंशपूँजी अनुपात (वित्त वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	धारक कम्पनी					
1	2	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	4 (इ)	4 (उ)	4 (ए)	4 (च)
<b>क</b> सरकारी कल्यानिकाय									
<b>(क)</b> कृषि एवं संसद									
1.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	209.50	120.00	—	—	329.50	—	—	197.16
	वोग (क)	209.50	120.00	—	—	329.50	—	—	197.16
<b>(ख)</b> उद्योग									
2.	म.प्र.विधान निगम मर्यादित	80.25	—	—	—	80.25	—	—	—
3.	म.प्र.तंत्र उद्योग निगम मर्यादित	267.75	15.00	—	—	282.75	—	—	—
	वोग (ख)	348.00	15.00	—	—	363.00	—	—	—
<b>(ग)</b> इलेक्ट्रॉनिक्स									
4.	म.प्र.राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित	2191.25	—	—	—	2191.25	—	—	—
	वोग (ग)	2191.25	—	—	—	2191.25	—	—	—



(ट)	खर्चदान	माप्रसंग पर्याप्त विकास निधि	2497.29	-	-	2497.29	-	-	-	-	-	-
(इ)	माप्रसंग समर्पित	वोग (ट)	2497.29	-	-	2497.29	-	-	-	-	-	-
17.	दीर्घीकृत इन्वेस्टमेंट रकमी	49.26	-	-	0.40	49.66	-	-	-	-	-	-
18.	माप्रसंग लौटोगिक विकास निधि	-	-	-	-	8109.18	-	-	1364.27	33917.11	35281.38	4.35:1 (5.60:1)
19.	माप्रसंग लौटोगिक विकास निधि	8109.18	-	-	-	-	-	-	1364.27	33917.11	35281.38	4.32:1 (5.57:1)
	वोग (इ)	8158.44	-	-	0.40	8158.84	-	-	-	-	-	-
(ट)	वित्तीय											
20.	माप्रसंग विकास निधि माप्रसंग	68.92	-	-	-	68.92	-	-	-	-	-	-
	वोग (इ)	68.92	-	-	-	68.92	-	-	-	-	-	-
(इ)	जननी											
21.	माप्रसंग पारिषद कर्मचारी शर्तवाहित	5.01	-	-	-	5.01	-	-	-	-	-	-
22.	माप्रसंग हेतु विषुव वित्त रकमी	5.01	-	-	-	5.01	-	-	-	-	-	-
	शर्तवाहित											
23.	माप्रसंग समर्पित विषुव वित्त	5.01	-	-	-	5.01	-	-	3.32	-	7.22	1.44:1
	कर्मचारी माप्रसंग											
24.	माप्रसंग विषुव निधि कर्मचारी माप्रसंग	5.01	-	-	-	5.01	-	-	-	-	-	-
25.	माप्रसंग हेतु विषुव वित्त रकमी	5.01	-	-	-	5.01	-	-	-	-	-	-
	शर्तवाहित											
	वोग (इ)	25.05	-	-	-	25.05	-	-	3.32	-	7.22	0.29:1 (--)
	वोग (ट)	21024.75	1694.60	660.58	0.41	22780.34	90.00	724.45	1610.31	1695.52	40240.57	41937.09 (2.94:1)
ख.	लाइफिंस निधि											
1.	माप्रसंग विषुव रेट *	16961.71	-	-	-	16961.71	-	-	-	24772.47	323908.91	348581.38 (20.56:1 (27.99:1))
2.	माप्रसंग परिवहन निधि	10995.53	3185.35	-	-	14180.88	-	-	-	1749.60	2518.20	4267.80 (0.30:1 (1.22:1))
3.	माप्रसंग वित्त निधि	5277.84	-	-	2101.15	7378.99	134.00	-	-	142.65	36275.34	36417.99 (4.94:1 (5.06:1))
4.	माप्रसंग वित्त निधि	428.08	-	-	378.08	806.16	-	-	-	-	-	- (0.18:1)
	कार्यालयोंरकम	39663.16	3185.35	-	-	2479.23	39337.74	134.00	-	2664.72	362702.45	389367.17 (9.29:1)
	वोग-कर्मचारी	54687.91	4279.95	660.58	2479.64	62108.08	224.00	724.45	1610.31	28361.24	402943.02	431304.26 (6.94:1 (7.35:1))
	वोग-कर्मचारी											
ग. अकार्यात्मक कर्मचारी												
(क)	कृषि एवं संबंध											
1.	माप्रसंग विषुव निधि	592.29	-	-	-	592.29	-	-	-	-	-	-

### 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीका प्रतिवेदन (वाणिजिक)

2.	म.प्र.राज्य उद्योग विकास निगम मण्डित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (क)	592.29	-	-	-	592.29	-	-	-	-	-
(घ)	उद्योग										
3.	म.प्र.राज्य विकास निगम मण्डित	154.29	-	-	-	154.29	-	-	-	-	-
4.	म.प्र.पिल्ला विकास निगम मण्डित	103.84	-	-	-	103.84	-	-	-	-	-
5.	म.प्र.राज्य उद्योग निगम मण्डित	1511.67	-	-	-	1511.67	-	-	3058.06	175.15	3233.21 (2.14;1) (2.14;1)
	योग (क)	1769.90	-	-	-	1769.90	-	-	3058.06	175.15	3233.21 (1.83;1) (1.83;1)
(ग)	इंटरेस्टनिंग्स										
6.	आटोल टेलिकम्प्यूनिकेशन लिमिटेड	-	-	1500.00	896.72	2396.72	-	-	-	2085.86	2085.86 (0.87;1) (1.20;1)
	योग (ग)	-	-	1500.00	896.72	2396.72	-	-	-	2085.86	2085.86 (0.87;1) (1.20;1)
(घ)	वस्त्र										
7.	म.प्र.स्टेट वस्त्र निगम, मण्डित	685.95	-	-	-	685.95	-	-	8481.98	110.02	8592.00 (12.53;1) (12.53;1)
	योग (घ)	685.95	-	-	-	685.95	-	-	8481.98	110.02	8592.00 (12.53;1) (12.53;1)
(क)	निधि										
8.	म.प्र.राज्य सेवा नियांण निगम मण्डित	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
	योग (क)	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
(घ)	वित										
9.	म.प्र.पश्चात्यरीजन वित एवं ग्राहण विकास निगम, मण्डित	27.25	-	-	15.67	42.92	-	-	-	-	-
	योग (घ)	27.25	-	-	15.67	42.92	-	-	-	-	-
	महायोग (ग)	3575.29	-	1500.00	912.39	5987.68	-	-	11540.04	2371.03	13911.07 (2.32;1) (2.46;1)
	महायोग (क+ख+ग)	58263.20	4279.95	2160.58	3392.03	68095.76	224.00	724.45	1610.31	39901.28	405314.05 (6.54;1) (6.93;1)

टिप्पणी: उन कम्पनियों को जित्तोने वर्ष 2003-04 के अपने लेखाओं को अंतिम समय दिया है (क्रम संख्या क्र-21, 22, 23 तथा 24, ग-4) को छोड़कर जानकारी अनलिम हैं और कम्पनियों/नियमों द्वारा दिये गये हैं।

\*\* 2003-04 के अंत तक बकाया ऋण के बल दीर्घवधि ऋणों को प्रदर्शित करते हैं।

इन राशियों में बंधपत्र, इंटर कारपोरेट डिपार्टमेंट आदि शामिल हैं।

@ वर्ष के अंत में निमणाधीन कार्य के विलुप्त समायोजन किया गया है।

\$ दूसी कम्पनी द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 2003-04 के लिये कोई आकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं अतः विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के लिये स्थीकार कर लिया गया है।

#

पर्वत-२

(कंडिका क्रमांक 1.6, 1.7, 1.13, 1.19 एवं 1.20 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निम्नों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है कि अद्यतन वर्ष के वित्तीय पारणामा को सारांश  
(संभं 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपयों में)



	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
(ट)	पर्यान															
17	म.प्र. राज्य पर्यान विकास समिति	पर्यान	24-05-1978	2001-02	2003-04	(-)35.59	(+)16.05	2347.29	(-)1250.83	3392.32	(-)35.32	-	02	907.65	769	
	योग (ट)					(-35.59)	(+)16.05	2347.29	(-)1250.83	3392.32	(-)35.32	-	02	907.65	769	
(ट)	वित	दि प्रोविन्चेंट इवेंटेंट कंपनी	वित	04-12-1926	2001-02	2004-05	(+)42.33	-	49.66	(+)44.53	46.66	(+)42.33	90.72	02	124.65	23
18.	म.प्र. राज्य पर्यान विकास समिति	वित	13-09-1965	2002-03	2004-05	(-)27781.17	-	8109.18	(-)58845.36	60974.45	(-)24939.19	-	01	238.88	106	
19.	म.प्र. राज्य ओपोरिक विकास निगम समिति	योग (ट)				(-)27738.84	-	8158.84	(-)58800.83	61021.11	(+)24896.86	-	03	363.53	129	
(ट)	वितेष															
20.	म.प्र. कॉर्प विकास निगम समिति	कुल	25-08-1982	2002-03	2003-04	(-)311.86	-	68.92	(-)131.75	3.33	(-)311.86	-	01	9.94	242	
	योग (ट)					(-)311.86	-	68.92	(-)131.75	3.33	(-)311.86	-	01	9.94	242	
(ट)	जर्जी															
21.	म.प्र.परिषेष कंपनी भवानित	जर्जी	22-11-01	2003-04	2004-05	-	-	5.01	-	1.53	-	-	-	-	-	-
22.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत विताण	जर्जी	31-05-02	2003-04	2004-05	-	-	5.01	-	4.88	-	-	-	-	-	-
	कंपनी मध्यादित															
23.	म.प्र. परिषेष क्षेत्र विद्युत विताण	जर्जी	31-05-02	2003-04	2004-05	-	-	5.01	-	(-)2.03	-	-	-	-	-	-
	कंपनी मध्यादित															
24.	म.प्र. विद्युत निगम कंपनी	जर्जी	22-11-01	2003-04	2004-05	-	-	5.01	-	(-)1.83	-	-	-	-	-	-
25.	म.प्र. यश्वर्त विद्युत विताण	जर्जी	31-05-02	2002-03	2003-04	-	-	5.01	-	0.37	-	01	-	-	-	-
	कंपनी मध्यादित															
	योग (ट)					(-)26125.88	-	18563.24	(+)54358.72	97261.76	(-)21384.45	-	40	103499.16	6496	
(ट)	सावित्रिक निगम															
1.	म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल	जर्जी	01-04-1957	2002-03	2004-05	(-)15438.00	-	16961.71	(-)221998.00	554524.72	(+)27929.79	5.04	01	444349.25	60255	
2.	म.प्र. सक्र विवेहन निगम	परिवहन	21-05-1962	2002-03 (1-1-03 to 31-03-03)	2004-05	(-)1604.13	-	14180.88	(-)68829.83	10977.28	(-)1308.38	-	01	5001.97	10965	
3.	म.प्र. वित निगम	वित	30-06-1955	2002-03	2003-04	(-)2811.53	-	8808.36	(-)23871.51	54520.17	(+)2409.32	4.42	01	3634.44	330	
4.	म.प्र. नेपर हाजरिंग एण्ड लाऊजस्टिक्स कार्पोरेशन	चाच्य नामांकित आमृति एवं उपभोक्ता संस्थान	19-02-1958	2002-03	2004-05	(+)946.20	-	656.16	(+)5468.28	6972.89	(+)960.06	13.77	01	3511.25	1470	
	योग (ट)					(-)18907.46	-	40607.11	(-)309231.06	626995.06	(+)29990.79	4.78	04	456496.91	73020	
	महायोग (कुल)					(-)45033.34	-	59170.35	(-)363589.78	724256.82	(+)8606.34	1.19	44	529996.07	79516	

31 मार्च 2004 को समात वर्ष हेतु लेखापरीका प्रतिवेदन (वाणिजिक)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
<b>प्र</b> अकाउंटिंग क्रमानिया																	
(म्र) कृति																	
1.	म.प्र. उद्धव निराई निगम मर्यादित	जल संसाधन विभाग 13-07-1976	1991-92	2003-04	(+/-6.40	-	592.29	(-3621.97	(-24.81	(-6.40	-	12	-	-	-		
2.	म.प्र. राज्य डेरेटी विकास निगम मर्यादित	कृषि योग(क)	22-03-1975	2001-2002	2002-2003	बृहि अप्रैल 1983 से सभी परिस्थितियों एवं दारिद्रों को वायव्यतीय दृष्टि सहकारी संघ द्वारा अधिगृहीत किया गया है। इसलिये लाभ-हानि आला होता रहती रही दिया गया।	2										
(छ)	उद्योग				(+/-6.40	-	592.29	(-3621.97	(-24.81	(-6.40	-	14	-	-	-		
3.	म.प्र. चार्मू विकास निगम मर्यादित	जल संसाधन विभाग 25-11-1981	1994-95	2002-03	(+/-2.54	(-0.54	71.79	(+34.54	(+717.68	(+12.85	0.40	09	65.11	17			
4.	म.प्र. घिन्न विकास निगम मर्यादित	सरस्कृत विभाग 16-12-1981	2003-04	2004-05	किया थुकी विसर्व 1998 से कोनी इत्यक्रिय क्रम से बेट हो गई अतः लाभ-हानि याते हीवर नहीं किये जाए।												
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग योग(ख)	11-04-1961	2001-02	2003-04	(-2211.53	-	1511.67	(-6990.35	(+996.29	(-2064.75	-	02	1747.13	17		
					(+2208.99	(-0.54	1583.46	(-6955.81	(+1713.97	(-2061.90	-	11	1812.24	34			
(ग)	इलेक्ट्रॉनिक्स																
6.	आंदेस्ट डेरीकम्पनीलेखन तिविटेंड	वाणिज्य एवं उद्योग योग(ग)	23-12-1988	2002-03	2004-05	(-2024.95	-	2396.72	(-6480.94	4991.34	(-1735.85	-	01	4.00	-		
(घ)	बक्स				(-2024.95	-	2396.72	(-6480.94	4991.34	(-1735.85	-	01	4.00	-			
7.	म.प्र. राज्य वन उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग योग(घ)	27-11-1970	2002-03	2003-04	(-1)623.36	-	685.95	(-9528.80	208.31	(-1)260.34	-	01	102.01	37		
					(-1)623.36	-	685.95	(-9528.80	208.31	(-1)260.34	-	01	102.01	37			
(झ)	निवास																
8.	म.प्र. राज्य सेतु विभाग निगम मर्यादित	पी.इस्टर्न ई.	04-10-1978	1989-90	1993-94	(-1)112.99	-	500.00	(-215.04	(+)286.90	(-1)112.99	-	14				
		योग(झ)			(-1)112.99	-	500.00	(+215.04	(+)286.90	(-1)112.99	-	14					

(म)	लिंग	प्राप्तवात एवं प्राप्ती	प्राप्तवात एवं प्राप्ती	2002-03	2004-05	(+/-) 1.86	-	42.92	(+/-) 39.35	(+/-) 83.21	(+/-) 1.86	2.24	01	6.92	
9.	म.प्र.प्रधानीती यज विस एवं प्राप्तीय विकास विभाग विभाग विभाग	विकास विभाग विभाग	विकास विभाग विभाग			(+/-) 1.86			(+/-) 39.35	(+/-) 83.21	(+/-) 1.86	2.24	01	6.92	
	योग (अ)					(+/-) 1.86		42.92	(+/-) 39.35	(+/-) 83.21	(+/-) 1.86	2.24	01	6.92	
	योग (ए)					(+/-) 5974.83		5801.34	(+/-) 3763.21	(+/-) 7258.92	(+/-) 5175.62	-		1925.17	71
	भारतीय (ए-ए-एग)					(+/-) 51008.17		64971.69	(+/-) 38752.99	(+/-) 31515.74	(+/-) 3430.72	0.47	-	561921.24	79587

नियोजित पूर्णी युद्ध स्थाई परिवर्तनीयों (प्राप्ति एवं उपर्युक्त विभाग कार्यों सहित) एवं कार्यवालन पूर्णी, उन वित्तवाही क्रमसंबिंदी/नियमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूर्णी प्रदान पूर्णी, व्यवसंस आरक्षित नियमों, व्यवसंस आरक्षित नियमों, जहाँ

(A) नियोजित पूर्णी युद्ध स्थाई परिवर्तनीयों (प्राप्ति एवं उपर्युक्त विभाग कार्यों सहित) एवं कार्यवालन पूर्णी, उन वित्तवाही क्रमसंबिंदी/नियमों के असंत रूप में परिवर्तित करती है।

एवं उचालियों (प्राप्तिक्षम विभाग) के प्राप्तिक्षम रूप में असंत रूप के योग के असंत रूप में परिवर्तित करती है।

(B) नियोजित पूर्णी पर प्रतिलाम की गणना हेतु उचाल लोगी गई नियिकों पर आज लोगों द्वारा लाने से बदाया गया है।

कम्पनी ने अपने लेखे लेखापरिका के क्रमान पर प्रतिलिपि किये।

\* कम्पनी ने अपने लेखे लेखापरिका के क्रमान पर प्रतिलिपि किये।

\*\* पूर्व में माध्यमिक और्योगिक केन्द्र विकास विभाग (व्याविचार) नियमित के रूप में जाना जाता था।

### परिशिष्ट-3

(कॉडिका 1.5 एवं 1.17 में सदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियों, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन तथा मार्च 2004 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यारे दर्शने वाला विवरण पत्रक

(स्तंभ 3(क) से 7 में आंकड़े लाख रुपयों में)

मास रख्या	सार्वजनिक उपकरण का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अदान*	वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों*				वर्ष के दौरान छोड़े गये बकाया ऋण	ऋण जिन पर स्थगन की अनुमति दी गई	वर्ष के दौरान ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन							
			फेन्च सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंक से नकद साख	अन्य स्वामी के संबंध में केवल द्वारा खोले गये साख पत्र	विदेशी प्राप्तियों समिकाताओं के साथ अनुबंध के अधीन मुद्रातान दायित्व	छोड़ा गया दायित्व ब्याज	योग					
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ज)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(ज)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(ज)	6	7
क	कार्यस्थित स्वतंत्रता कानूनियों															
क	कृषि एवं सबज़															
1.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विभाग नियम भवानित	310.16 (1.00)	188.10 (-)	-	-	-	498.26 (1.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग (क)	310.16 (1.00)	188.10 (-)	-	-	-	498.26 (1.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(ख)	उद्योग															
2.	म.प्र.लालू उद्योग नियम भवानित	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	- (29.55)	

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(च)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(च)	4(ड़)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(च)	6	7	
(प्र)	सुधारकरण एवं हस्ताचित्य																
3.	म.प्र.हस्ताचित्य एवं स्थाकरण विकास निगम मर्यादित	(109.54)	(634.38)		(741.92)			72.50 (377.24)			72.50 (377.24)						
	योग (प्र)	(109.54)	(634.38)		(743.92)			72.50 (377.24)			72.50 (377.24)						
(घ)	दान															2950.01	
4.	म.प्र.राज्य यन विकास निगम मर्यादित															2950.01	
	योग (घ)																
(ङ)	निर्माण																
5.	म.प्र.पुलिस गृह निर्माण निगम		4.26 (-)	-	4.26 (-)	-	-	(1823.04)	-	-	(1823.04)	-	-	-	-		
	योग (ङ)		4.26 (-)	-	4.26 (-)	-	-	(1823.04)	-	-	(1823.04)	-	-	-	-		
(घ)	क्षेत्र विकास																
6.	म.प्र.ओ.के.वि.नि.(इंदौर) मर्यादित	(1875.23)	(222.50)	-	(2097.73)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-		
	म.प्र.ओ.के.वि.नि.(जबलपुर) मर्यादित	200.00 (-)	40.00 (-)	-	240.00 (-)	-	-	(311.23)	-	-	(311.23)	-	-	-	-		
7.	झज्जरस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कैवल्यमंड़त कोसारेशन लिमिटेड	183.33 (-)	50.00 (-)	-	233.33 (-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-		
	योग (घ)	383.33 (1875.23)	90.00 (222.50)	-	473.33 (2097.73)	-	-	(311.23)	-	-	(311.23)	-	-	-	-		
(छ)	आर्थिक रूप से कामजोर वर्ग का विकास																
8.	म.प्र.पिछ्जा यांत्रिक आन्वरसाल्फक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित															(3115.96)	
9.	म.प्र.आदित्यासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित		600.00 (96.00)	-	600.00 (96.00)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-		
	योग (छ)		600.00 (96.00)	-	600.00 (96.00)	-	-	(3115.96)	-	-	(3115.96)	-	-	-	-		
(ज)	सार्वजनिक वितरण																
10.	म.प्र. स्टेट ट्रिप्पल सप्लाइज कॉरपोरेशन मर्यादित	6673.31 (-)	1026.87 (-)	-	7700.18 (-)	1500.00 (0.02)	-				1500.00 (0.02)	-	-	-	-		
	योग (ज)	6673.31 (-)	1026.87 (-)	-	7700.18 (-)	1500.00 (0.02)	-				1500.00 (0.02)	-	-	-	-		

३१ मार्च २००४ को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

१ (अ)	२	३(क)	३(ख)	३(ग)	३(घ)	४(क)	४(ख)	४(ग)	४(घ)	५(क)	५(ख)	५(ग)	५(घ)	६	७
परिवर्तन															
१। म.प्र.राज्य पर्सनल विकास निगम मर्यादित		540.00 (1154.70)		540.00 (1498.93)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (अ) (344.23)		540.00 (1154.70)		540.00 (1498.93)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) वित्त															
१.२. म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित		1150.00 (--)	4.00 (--)	1154.00 (--)	-	(1819.50)	-	-	-	(1819.50)					
योग (अ) (1150.00)		4.00 (--)	-	1154.00 (--)	-	(1819.50)	-	-	-	(1819.50)					
(ट) विविध															
१.३. म.प्र.ऊर्जा विकास निगम मर्यादित		187.57 (--)	665.92 (--)	853.49 (--)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (ट)		187.57 (--)	665.92 (--)	853.49 (--)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (क) (2359.55)		8704.37 (2359.55)	3199.15 (2107.58)	11823.52 (4467.13)	1500.00 (0.02)	72.50 (7446.97)	-	-	-	1572.50 (7446.99)	-	-	-	-	2950.01
B. कार्यपाल साहित्यिक निगम															
१. म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल **		..... (.....)	..... (.....)	..... (.....)	-	(443807.0 0)	-	-	-	48244.00 (443807.00)	-	-	-	-	48244.00 (443807.00)
२. म.प्र.संस्कृत पारिवहन निगम		-	-	-	-	(570.35)	(1321.92)	-	-	-	-	-	-	-	(1892.27)
३. म.प्र.वित्त निगम		-	-	-	-	3188.00 (48867.76)	-	-	-	-	-	-	-	3188.00 (48867.76)	
योग (ख)		-	-	-	-	(4467.13)	3188.00 (49438.11)	48244.00 (45128.92)	48244.00 (45128.92)	51432.00 (494567.03)	-	-	-	51432.00 (494567.03)	
योग (क+ख)		8704.37 (2359.55)	3199.15 (2107.58)	11823.52 (4467.13)	1688.00 (50008.46)	48316.50 (452575.89)	-	-	-	53004.50 (502014.02)	-	-	-	-	2950.01

\* कालम ३(क) से ३(घ) तक प्रकोपों में दिये गये अंकड़े अनुदान तथा कालम ४(क) से ४(ड) तक के प्रकोपों में दिये गये अंकड़े वर्ष के अंत में बकाया गरिबीया रकाते हैं।

\*\* मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने 2003-04 के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं।

## परिशिष्ट-4

(कांडिका 1.7 में संदर्भित)

## सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

	2000-01	2001-02	2002-03
<b>क- देयताएं</b>			
अंशपूँजी	231.15	169.62	169.62
सरकार से ऋण	2122.59	390.62	581.28
अन्य दीर्घ कालीन ऋण (बंधपत्रों सहित)	4948.23	3749.29	3492.67
आरक्षित निधियाँ एवं आवधिक	--	--	--
चालू देयताएं तथा प्रावधान	9146.34	8522.21	9679.39
	16448.31	12831.74	13922.96
<b>योग (क)</b>			
<b>ख- परिसम्पत्तियाँ</b>			
सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	10093.09	9106.21	9819.19
घटाएं- मूल्य हास	4642.56	4113.73	4598.45
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	5450.53	4992.48	5220.74
प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य	2130.90	1965.20	2098.52
अस्थगित मूल्य	1.48	1.33	1.27
चालू परिसम्पत्तियाँ	6728.40	3789.65	4355.94
निवेश	688.83	194.05	218.13
लाभ-हानि खाता	1448.17	1889.03	2028.36
<b>योग (ख)</b>	<b>16448.31</b>	<b>12831.74</b>	<b>13922.96</b>
<b>ग- नियोजित पूँजी**</b>	<b>5163.49</b>	<b>5044.87</b>	<b>5545.24</b>
	2001-02	2002-03	2003-04
<b>क- देयताएं</b>			
पूँजी (पूँजीगत ऋण तथा अंशपूँजी सहित)	182.37	141.82	141.82
उधारियाँ(सरकारी) (अन्य)	22.50 122.26	17.50 142.31	17.50 141.65
निधियाँ <sup>§</sup>	547.74	428.12	437.06
व्यापारिक दायित्व तथा अन्य चालू देयताएं (प्रावधान सहित)	666.81	553.66	588.37
<b>योग (क)</b>	<b>1541.68</b>	<b>1283.41</b>	<b>1326.40</b>
<b>ख-परिसम्पत्तियाँ</b>			
सकल ब्लाक	634.52	461.07	459.55
घटाएं- मूल्य हास	77.87	55.20	59.95
निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	556.65	405.87	399.60

\*\* नियोजित पूँजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ एवं (प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्यों सहित) कार्यशील पूँजी के जोड़ को प्रदर्शित करती है। कार्यशील पूँजी की गणना करते समय अस्थगित मूल्य तथा निवेश को चालू परिसम्पत्तियों से अलग रखा गया है।

§ मूल्यहास निधियों को छोड़कर

**31- मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)**

प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य (चेसिस की लागत मूल्य सहित)	4.65	3.44	3.44
निवेश	0.12	0.09	0.09
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	199.72	185.72	189.98
संचित हानि	780.54	688.29	733.29
योग- ख	1541.68	1283.41	1326.40
ग-नियोजित पूँजी*	94.21	41.37	4.65
<b>2001-02      2002-03      2003-04</b>			
<b>क- देयताएँ</b>			
प्रदत्त पूँजी	88.08	88.08	73.78
शेयर आवेदन राशि	--	--	--
आरक्षित निधियाँ तथा अन्य आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य	10.19	10.04	9.27
उधारियाँ :			
(i) बंधपत्र एवं ऋणपत्र	283.02	282.60	228.62
(ii) सावधिक जमा	-	-	-
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	162.00	159.45	138.83
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
(v) शेयर पूँजी के लिए ऋण:			
(क) राज्य सरकार	1.73	1.73	1.43
(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1.74	1.74	1.43
(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	-	-	-
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	3.72	5.57	3.39
योग- क	<b>550.48</b>	<b>549.21</b>	<b>456.75</b>
<b>ख- परिसम्पत्तियाँ</b>			
नकद तथा बैंक शेष	34.24	5.36	15.59
निवेश	3.28	3.25	2.67
ऋण तथा अग्रिम	287.21	287.28	209.87
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	10.23	9.76	8.76
अन्य परिसम्पत्तियाँ	4.92	4.84	4.32
विविध व्यय	210.60	238.72	215.54
योग- ख	<b>550.48</b>	<b>549.21</b>	<b>456.75</b>
ग- नियोजित पूँजी*	<b>546.76</b>	<b>545.20</b>	<b>498.50</b>
<b>2000-01      2001-02      2003-04</b>			
<b>क- देयताएँ</b>			
प्रदत्त पूँजी	9.60	9.60	6.56
पूँजी के विरुद्ध अग्रिम	-	--	--

\* नियोजित पूँजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ (प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्यों सहित) तथा कार्यशील पूँजी के जोड़ को प्रदर्शित करती है।

\* नियोजित पूँजी प्रदत्त पूँजी, पूँजी के स्थगन पर ऋण, सीडमनी, ऋण पत्र, आरक्षित निधि (उनके अतिरिक्त जिनके, लिये विशेष रूप से निधियों की व्यवस्था की जाती है और जिनमें बाह्य निवेश से सहयोग प्राप्त होता है) बंध पत्र, निष्केप तथा उधारियों (पुनर्वित पोषण सहित) के आरंभिक तथा अंतरेष्ट के कुल योग का औसत प्रदर्शित करती है।

आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य	62.78	83.89	65.57
उद्धारियाँ:			
सरकार	0.46	1.41	1.33
अन्य	20.26	--	--
व्यापारिक दायित्व तथा चालू देयताएँ (ग्रावधानों सहित)	13.83	14.72	12.27
योग-क	106.93	109.62	85.73
ख- परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	120.35	127.26	93.68
घटाएँ- मूल्य हास	33.71	38.62	31.05
शुद्ध स्थाइ परिसम्पत्तियाँ	86.64	88.64	62.63
प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य	2.61	1.76	2.87
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	17.68	19.22	20.73
योग- ख	106.93	109.62	85.73
ग- नियोजित पूँजी	93.10	94.90	73.46

**परिशिष्ट-5**

(कण्ठिका 1.7 में संदर्भित)

**सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक**

(करोड़ रुपयों में)

	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	5713.56	4637.10	4794.50	
	(ख) सरकार से आर्थिक सहायता/परिदान	279.46	542.96	668.00	
	योग	5993.02	5179.96	5462.00	
2	राजस्व व्यय (पूँजी में परिणित शुद्ध व्यय) अमूर्त परिसम्पत्तियों के अपलेखन सहित परन्तु हासमूल्य तथा ब्याज को छोड़कर	5864.55	5452.55	4788.48	
3	वर्ष हेतु सकल आधिक्य (+)/घाटा (-)	128.47	(-)272.59	674.02	
4	पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन	(-)84.50	567.37	(-)0.08	
5	वर्ष हेतु अंतिम सकल आधिक्य (+)/घाटा (-)	43.97	(-)294.78	673.94	
6	विनियोजन				
	(क) हासमूल्य (पूँजीगत को छोड़कर)	564.46	540.15	487.53	
	(ख) सरकारी ऋणों पर ब्याज	251.05	206.07	62.77	
	(ग) अन्य ब्याज, बंधपत्रों एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	1085.84	732.24	746.05	
	(घ) ऋण पर कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (ख+ग)	1336.89	938.31	808.82	
	(ड) घटाएँ: पूँजीगत ब्याज	383.57	379.74	468.03	
	(च) राजस्व को प्रभारित शुद्ध ब्याज (घ-ड.)	953.32	558.57	340.79	
	(छ) कुल विनियोजन (क+च)	1517.78	1098.72	828.32	
7	राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के लेखांकन से पूर्व की आधिक्य (+)/घाटा (-) (5-6(छ)-1(ख))	(-)1753.27	(-)1646.90	(-)822.38	
8	शुद्ध आधिक्य (+)/घाटा (-) (5-6(छ))	(-)1473.81	(-)803.93	(-)154.38	
9	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(-)520.49	(-)333.38	(-)279.30	
10	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत	-	-	-	
		2001-02	2002-03 (up to 31-12-2002)	2002-03 (1-1-03 to 31-03-03)	2003-04
1	परिचालन				
	(क) राजस्व	243.99	172.77	48.64	175.03
	(ख) व्यय	363.43	251.48	61.72	209.25
	(ग) बचत(+)/घाटा (-)	(-)119.44	(-)78.71	(-)13.08	(-)34.22

\* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल आधिक्य/घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज(पूँजीगत ब्याज को छोड़कर) के योग को प्रदर्शित करता है।

\*\* 31 दिसम्बर 2002 से मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच बंटवारे के कारण म.प्र.राज्य सङ्कर परिवहन निगम ने वर्ष 2002-03 के लेखे दो चरणों, एक 31 दिसम्बर 2002 तक एवं दूसरा 1 जनवरी से 31 मार्च 2003 तक में बनाया है।

2	गैर परिचालन				
	(क) राजस्व	3.51	3.96	1.38	4.97
	(ख) व्यय	25.27	9.23	4.34	15.75
	(ग) बचत(+) / घाटा (-)	(-)21.76	(-)5.27	(-)2.96	(-)10.78
3	योग				
	(क) राजस्व	247.50	176.73	50.02	180.00
	(ख) व्यय	388.70	260.71	66.06	225.00
	(ग) शुद्ध व्यय(+) / घाटा (-)	(-)141.20	(-)83.98	(-)16.04	(-)45.00
4	पूंजी तथा ऋण पर व्याज	15.34	12.15	2.96	11.00
5	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ*	(-)125.86	(-)71.83	(-)13.08	(-)34.00

		2001-02	2002-03	2003-04
1	आय			
	(क) ऋण पर व्याज	39.61 1.72	36.34 2.19	27.05 1.26
	(ख) अन्य आय			
	योग-1	41.33	38.53	28.31
2	व्यय			
	(क) दीर्घकालीन ऋणों पर व्याज	39.49	49.02	29.10
	(ख) अनिष्टित परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	30.46	5.90	3.97
	(ग) अन्य व्यय	10.15	7.41	6.75
	योग-2	80.10	62.33	39.82
3	कर पूर्व लाभ (1-2)	(-)38.77	(-)23.80	(-)11.51
4	कर हेतु प्रावधान	-	--	--
5	अन्य वित्रियोग	37.80	4.32	0.25
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि**	-	--	--
7	भुगतान योग्य लाभांश	47.29	47.29	38.90
8	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	32.16	30.35	15.55
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	5.88	5.58	3.12

		2000-01	2001-02	2002-03
	आय			
	(क) वेयर हाउसिंग प्रभार	48.10 0.54	53.64 0.29	35.11 0.34
	योग		48.64	53.93

\* नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल आधिक्य/घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल व्याज(पूंजीगत व्याज को छोड़कर) के योग को प्रदर्शित करता है।

\*\* चालू वर्ष का लाभ विशिष्ट आरक्षित निधियों एवं करों के प्रावधान के उपरान्त लाभांश हेतु उपलब्ध लाभ को दर्शाती है।

**31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)**

व्यय				
(क) स्थापना प्रभार	17.50	17.61	12.57	
(ख) अन्य प्रभार	15.88	14.88	9.28	
योग	33.38	32.49	21.85	
कर पूर्व लाभ (+)/हानि (-)	15.26	21.44	13.60	
अन्य विनियोग@	13.45	19.52	12.24	
लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	1.81	1.92	1.36	
वर्ष हेतु लाभांश	1.64	1.92	1.36	
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	18.16	23.03	13.74	
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	19.51	24.27	18.70	

@ इसमें अवधि पूर्व समायोजन समाविष्ट नहीं है।

## परिशिष्ट-6

(कांडिका 1.12 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों का कार्यालय निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(क) कार्यशील सांविधिक निगम

1. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

अधिकारित कमता		भेगावाट		
(क)	ताप	3387.500	2147.500	2147.500
(ख)	जल	873.155	792.959	842.955
(ग)	गैस	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-
	योग	4260.655	2940.455	2990.455
	सामान्य अधिकतम मांग	5566.000	4632.000	4769.000
	उत्पादित विद्युतः		(भेगाकिलोवाट घण्टे)	
(क)	ताप	20371.611	11288.861	13680.860
(ख)	जल	1826.726	2372.191	1890.550
(ग)	गैस	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-
	योग	22198.337	13661.052	15571.410
	घटाए जाहायक बचत	-	-	-
(क)	ताप	1981.983	1109.509	1315.050
	(प्रतिशत)	(99.56)	(99.45)	(99.65)
(ख)	जल	8.698	6.121	4.610
	(प्रतिशत)	(0.44)	(0.55)	(0.35)
(ग)	गैस	-	-	-
	(प्रतिशत)	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-
	(प्रतिशत)	-	-	-
	योग	1990.681	1115.628	1319.660
	(प्रतिशत)	(8.97)	(8.17)	(9.66)
	निवल उत्पादित विद्युत	20207.656	12545.425	15571.410
	क्रय की गई विद्युत	15830.023	13124.575	12926.340
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत	36037.679	25670.00	27178.090
	विक्रीत विद्युत	19614.291	14730.138	15280.403
	पारेषण तथा वितरण हानियाँ	16425.388	10939.861	11897.687
	लोड फैक्टर (प्रतिशत)	66.35	62.90	73.14
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत की तुलना में पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशता	45.57	42.62	43.59
	विद्युतीकृत ग्रामों/नगरों की संख्या	68357	50306	50400
	विद्युतीकृत पम्प सेटों/कुओं की संख्या	1304382	1273195	1320923

**31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)**

	उपकेन्द्रों की संख्या	187850	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	पारेशण/वितरण लाइने (कि.मी.में)			
(क)	उच्च/मध्यम विद्युत दाब (वोल्टेज)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(ख)	निम्न विद्युत दाब (वोल्टेज)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	सम्बद्ध भार (मेगावाट में)	10195	8719	8624
	उपभोक्ताओं की संख्या	8009246	6403122	6395646
	कर्मचारियों की संख्या	96704	62077	60299
	उपभोक्ताओं/कर्मचारियों का अनुपात	83:1	103.1	106:1
	वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपयों में)	1142.56	768.01	814.25
	कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिशतता	15.30	12.47	14.50

	विक्रीत यूनिट	मेगा किलोवाट घंटे		
(क)	कृषि	4747.937	4185.420	4974.183
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशतता)	(23.97 )	(28.08)	32.36
(ख)	औद्योगिक	6847.761	4154.416	4171.096
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशतता)	(34.57)	(27.88)	27.14
(ग)	वाणिज्यिक	754.225	596.787	651.589
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशतता)	(3.81)	(4.00)	4.24
(घ)	घरेलू	4032.099	3210.758	3243.067
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशतता)	(20.36)	(21.54)	21.09
(ঙ)	अन्य	3422.455	2757.663	2333.741
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशतता)	(17.28)	(18.50)	15.19
	योग	19804.477	14905.044	15373.676
		—(पैसे प्रति किलोवाट)---		
(ক)	राजस्व (सरकार से आर्थिक सहायता छोड़कर)	257	290	अनुपलब्ध
(খ)	व्यय*	264	349	अनुपलब्ध
(গ)	लाभ(+)/हानि (-)	(-7)	(-59	अनुपलब्ध
(ঘ)	সরকার সে মাঁগী গई ঔসত আর্থিক সহায়তা (রূপযোগে মে)	0.13	0.40	অনুপলব্ধ
(ঙ)	ঔসত ব্যাজ প্রমাণ (রূপযোগে মে)	0.43	0.65	অনুপলব্ধ

		(31-12-02 तक)	(01-01-03 से 31-03-03)	
	धारित वाहनों की औसत संख्या	2547	1747	1745
	मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या	1876	1435	1417
	वाहनों के उपयोग का प्रतिशत	74	82	81
	कर्मचारियों की संख्या	14695	11199	11204
	कर्मचारी वाहन अनुपात	6:1	6:1	8:1
				10:1

\* राजस्व व्यय में मूल्यहास सम्मिलित है परन्तु दीर्घकालीन ऋणों पर व्याज सम्मिलित नहीं है।

	वर्ष के अंत में परिचालित मार्गों की संख्या	1376	अनुपलब्ध	1033	1033
	मार्ग किलोमीटर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	206561	206561
	परिचालित किलोमीटर (लाख में)				
(क)	सकल	2040.23	1396.10	380.32	अनुपलब्ध
(ख)	प्रभावी	1976.16	1358.64	369.84	1351
(ग)	निष्क्रिय	61.07	37.46	10.48	अनुपलब्ध
	सकल कि.मी.की तुलना में निष्क्रिय कि.मी.की प्रतिशतता	2.99	2.68	2.76	अनुपलब्ध
	प्रति दिन प्रति बस द्वारा औसत किलोमीटर	213	220	264	264
	प्रति कि.मी.परिचालन राजस्व (पैसे) पिछले वर्ष की आय की तुलना में (प्रतिशत)	1237 (-)3.66	1360 9.94	1538 11.00	1725 12
	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	1964	2044	2031	1766
	लाभ(+)/हानि(-) प्रति किलोमीटर (पैसे)	(-)727	(-)684	(-)493	(-)41
	परिचालित आगारों की संख्या	57	57	47	47
	प्रति लाख कि.मी.पर कार्यभंग की औसत संख्या	6.90	7.00	8.90	9.00
	प्रति लाख कि.मी.पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.15	0.15	0.13	0.15
	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	607.48	600.00	553.54	600.66
	आकुपैन्सी अनुपात	60	61	62	60
	प्रतिलिपर परिचालित किलोमीटर:	--	--	--	--
(क)	झीजल तेल	4.07	4.05	4.06	4.03
(ख)	इंजन तेल	609	605	605	650

समाविष्ट केन्द्रों की संख्या	326	325	219
वर्ष के अंत में सृजित भौदारण क्षमता (लाख टन में)			9.51
(क) स्वगोदाम	13.48	13.62	2.28
(ख) किराये के गोदाम	4.52	4.99	
(ग) योग	18.00	18.61	11.79
वर्ष के दौरान उपयोग की गई औसत क्षमता (लाख टन में)	17.06	15.83	9.49
उपयोग की प्रतिशतता	93	85	81
प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रुपए)	285.14	340.68	373.61
प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रुपए)	196.44	205.64	230.28

वर्ष के प्रारंभ में लंबित आवेदन	24	7.31	15	16.36	13	2.37
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	263	159.18	204	104.15	155	68.72
योग	287	166.49	219	120.51	168	71.09
संस्थाकृत आवेदन	218	98.55	180	112.57	136	54.95
निरस्त/वापस/अस्थीकृत/कम किये गये आवेदन	54	34.96	26	5.58	18	10.94

**31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)**

वर्ष के अंत में लबित किये गये आवेदन	15	16.36	13	2.37	14	5.20
संवितरित ऋण		66.05		74.97		41.83
वर्ष के अंत में बकाया ऋण *		551.40		563.45		452.91
वर्ष के अंत में वसूली हेतु अधिकैय राशि:						
(क) मूलधन		113.23		120.63		150.82
(ख) ब्याज		21.69		21.78		17.79
योग		134.92		142.41		123.61
वसूली प्रमाण पत्रों के प्रकरणों में निहित राशि		अनुपलब्ध	-	-		--
योग		अनुपलब्ध	-	-		--
कुल बकाया ऋणों की तुलना में चूक का प्रतिशत		24.47		25.27		27.29

\* ब्याज सहित

## परिशिष्ट - 7

(कंडिका 2.5 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित के 31 मार्च 2003 को समाप्त  
पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

(अनन्तिम)						
	देयताएं					
1.	प्रदत्त पूँजी	94.16	94.16	106.16	106.16	126.16
2.	आरक्षित एवं आधिक्य	753.96	827.34	938.06	935.33	937.83
3.	उधारियाँ	63.61	127.66	454.91	607.13	460.58
4.	अप्रयुक्त अनुदान	841.75	757.26	1064.84	1327.08	1746.01
5.	चालू देयताएं एवं प्रावधान	260.08	221.41	1011.99	1614.94	1702.49
परिसम्पत्तियाँ						
1.	सकल ब्लाक घटाये: हासमूल्य	505.11 159.75 345.36	606.93 191.51 415.42	394.55 23.86 370.69	376.57 20.61 355.96	378.15 11.83 366.32
2.	चालू परिसंपत्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिम	1494.36	1415.66	2851.75	3893.90	4314.76
3.	लाभ एवं हानि लेखा	173.84	196.75	353.52	340.78	291.99
	नियोजित पूँजी	1579.64	1609.67	2210.45	2634.92	2978.59
	शुद्ध मूल्य	674.28	724.75	690.70	700.71	772.00

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीका प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

### परिशिष्ट -8

(कांडिका 2.5 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के 31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों के कार्यचालन परिणाम

(लाख रुपये में)

	आय	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
	(अनुन्तिम)					
1.	विक्रय	694.92	1016.51	1655.33	2417.27	1452.51
2.	अनुदान प्राप्ति (अनुदानों के साथ प्रभारित व्यय)	636.40	456.74	424.14	543.21	570.01
3.	स्थाई जमाओं पर व्याज	28.52	12.36	10.84	14.69	23.66
4.	इकाई के अंतर्गत अंतरण	385.69	--	857.47	1621.38	586.74
5.	अन्य विविध प्राप्तियाँ	65.03	34.85	23.26	36.28	58.22
6.	अंतिम शेष	366.22	363.28	537.59	601.93	614.70
	(व्यय)					
1.	प्रारंभिक स्टॉक	314.87	366.22	363.28	537.60	601.93
2.	क्रय (घटाएं क्रय वापसी)	479.15	668.00	1427.98	1959.28	990.78
3.	इकाई के अंतर्गत प्राप्तियाँ	358.19	--	857.47	1621.38	586.74
4.	प्रशासनिक व्यय	131.47	106.10	144.62	142.67	140.65
5.	कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अनुलाभ	279.12	290.74	298.40	274.70	276.94
6.	विक्रय एवं वितरण व्यय	125.02	164.48	120.85	177.47	212.02
7.	विकास कार्यक्रम पर व्यय	338.61	120.18	175.37	182.56	202.65
8.	व्यापार व्यय	129.98	150.37	166.81	317.62	233.51
9.	मूल्य ह्रास एवं व्याज	35.96	36.46	10.14	8.73	11.83
11.	लाभ(+)/हानि(-) (क)-(ख)	(-15.59)	(-18.81)	(-56.29)	12.75	48.79

## परिशिष्ट -9

(कांडिका 2.8 में संदर्भित)

**31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों के प्रशिक्षण लक्ष्य, प्रशिक्षित शिल्पकारों की संख्या, प्रशिक्षण पर लक्षित एवं वस्तुतः किया गया व्यय**

(लाख रुपये में)

क्रमांक	वर्षों का वर्णन	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य (संख्या)	1573	1580	1155	1060	1550	6918
2.	वस्तुतः प्रशिक्षित व्यक्ति (संख्या)	460	620	960	800	1260	4100
3.	कमी (1-2)	1113	960	195	260	290	2818
4.	लक्ष्य की तुलना में वास्तविक का प्रतिशत	29.2	39.2	83.1	75.5	81.3	59.3
5.	लक्षित धनराशि (रुपये)	115.25	114.17	90.55	70.79	110.84	501.60
6.	प्राप्त अनुदान (रुपये)	87.03	89.42	96.70	70.74	110.84	454.73
7.	स्टाइपेण्ड	21.63	23.43	27.66	28.50	35.24	136.46
8.	दक्ष शिल्पकारों को मानदेय	4.85	5.43	5.98	7.23	7.98	31.47
9.	कच्चा माल	12.82	11.36	13.48	12.83	16.88	67.37
10.	अन्य	47.73	49.20	49.58	22.18	50.74	219.43

टिप्पणी:- प्रशिक्षण के लिये भेजे गये व्यक्तियों के श्रेणीवार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

### परिशिष्ट -10

(कांडिका 2.10 एवं 2.10.2 में संदर्भित)

### मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित के एम्पोरियम 31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों में एम्पोरियम का कार्य निष्पादन

(लाख रुपये में)

		1998-99	1999- 2000	2000-01	2001-02	2002-03	गणना
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	एम्पोरियमों की संख्या	26	26	26	25	19	--
2.	कम्पनी का अपना विक्रय						
	(i) एम्पोरियम	193.62	210.25	220.30	184.03	216.72	1024.92
	(ii) प्रदर्शनियाँ	69.27	66.47	36.73	62.37	48.99	283.83
	योग ((i) + (ii))	262.89	276.72	257.03	246.40	265.71	1308.75
3.	प्रेषण विक्रय						
	(i) एम्पोरियम	36.05	81.86	93.96	75.15	93.83	380.85
	(ii) प्रदर्शनियाँ	249.69	188.79	136.36	167.30	188.21	930.35
	योग = (i) + (ii)	285.74	270.65	230.32	242.45	282.04	1311.20
4.	कुल विक्रय (2+3)	548.63	547.37	487.35	488.85	547.75	2619.95
5.	अंतर-इकाई अंतरण	114.63	55.63	135.07	365.47	48.64	719.44
6.	स्वयं के माल के स्टॉक का अंतर्शेष	205.19	194.88	188.82	215.38	224.93	--
7.	प्रदर्शनियों हेतु प्राप्त अनुदान	80.64	113.20	41.07	113.84	86.16	434.91
8.	अन्य आय	10.30	3.34	1.67	0.94	0.38	16.63
9.	प्रदर्शनियों का अनुदान	80.64	113.20	41.07	113.84	86.16	434.91
10.	प्रत्यक्ष व्यय (प्रारंभिक स्टॉक+क्रय+अंतर-इकाई प्राप्ति एवं अन्य)	764.98	714.86	698.13	975.53	712.36	3865.86
11.	अप्रत्यक्ष व्यय (अपरिव्यय)	221.65	234.50	167.49	201.41	244.28	1069.33
12.	व्यय	(9-11)	(9-11)	(9-11)	(9-11)	(9-11)	(9-11)
13.	स्वयं के विक्रय में ऊपरिव्ययों का प्रतिशत (क्रमसंख्या 11 गुणित 100 तथा क्रमसंख्या 2 से भागित)	84.31	84.74	65.16	81.74	91.93	81.71
14.	लाभ(+)/हानि(-)(9-12)	(-27.24)	(-34.94)	(-11.64)	(+)7.54	(-)48.78	(-)115.06
	लाभ(+)/हानि(-)(9-12)						

## परिशिष्ट-11

(कण्ठिका 3.4.1 में संदर्भित)

**कोयले की आवश्यकता, स्थायी संयोजन समिति द्वारा कोयले का आबंटन, वास्तविक प्राप्ति और कोयले की कम प्राप्ति के कारण विद्युत उत्पादन की हानि के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र**

अपरकंटक

(लाख मीट्रिक टन में)

		कोयले की आवश्यकता	समिति द्वारा आबंटन	वास्तविक प्राप्ति	विद्युत उत्पादन मात्रा	वास्तविक उत्पादन में समिति द्वारा दिल्लित वाली हानि
1	1999-00	10.35	9.90	8.76	1.14	0.00
2	2000-01	10.80	9.00	7.85	1.15	0.00
3	2001-02	12.45	11.40	7.97	3.43	0.00
4	2002-03	12.60	12.60	11.38	1.22	0.00
5	2003-04	13.80	12.00	10.04	1.96	0.00
				10.04	1.96	0.00

बीरसिंगपुर

1	1999-00	34.95	30.30	25.52	4.78	0.00
2	2000-01	45.90	43.20	38.96	4.24	0.00
3	2001-02	46.05	41.55	35.21	6.34	51.00
4	2002-03	47.10	47.40	43.64	3.76	0.00
5	2003-04	50.25	45.15	39.10	6.05	102.00

सतपुड़ा

1	1999-00	69.90	75.00	59.40	15.60	9.00
2	2000-01	68.10	68.40	62.19	6.21	10.00
3	2001-02	69.30	69.75	61.79	7.96	138.00
4	2002-03	73.80	73.65	67.40	6.25	0.00
5	2003-04	76.50	73.50	67.46	6.04	240.00

### परिशिस्ट-12

(कण्ठिका 3.5 में संदर्भित)

1999-2004 के वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत गृहों द्वारा प्राप्त निम्न ताप क्षमता के कारण ताप की अधिक खपत

संख्या	परिवहन	परिवहन ग्रन्थि	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
			4	5	6	7	8
1	औसत खपत (क) कोयला (कि.ग्राम/केडब्ल्यूएच)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	0.686	0.728	0.760	0.820	1.01
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	0.6435	0.7471	0.7626	0.7617	0.83
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	0.79	0.84	0.90	0.91.	0.93
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	0.782	0.808	0.850	0.810	0.85
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	0.78	0.81	0.85	0.81	0.82
	(ख) तेल (मि.लि./केडब्ल्यूएच)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	6.440	16.269	30.450	12.100	
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	2.8795	5.6493	12.0252	5.6386	
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	3.90	4.80	5.49	3.66	
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	1.610	3.080	2.110	1.790	
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	0.77	1.30	2.43	1.47	
2	औसत ताप मूल्य (क) कोयला (किलो केलोरीज/किलोग्राम)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	4459.000	4459.000	4458.000	4575.00	4559
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	4319.000	4380.000	4445.000	4579.000	4504
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	3483.08	3449.58	3573.67	3791.58	3658
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	3384	3471	3476	3580	3517
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	3384	3470	3476	3580	3511
	(ख) तेल (किलो केलोरीज/लिटर)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	10415.800	10415.800	10415.800	10415.800	
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	10603.42	10570.95	10527.07	10565.28	
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	9921.00	9921.00	9921.00	9921.00	
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	9921.00	9921.00	9921.00	9921.00	
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	9921.00	9921.00	9921.00	9921.00	
3	उपयुक्त ईंधन की ताप दर (क) कोयला(किलो केलोरीज/कडब्ल्यूएच) 1(क) X 2(क)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	3058.874	3246.152	3388.080	3751.500	4599
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	2779.12	3272.14	3389.57	3487.839	3726
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	2751.63	2897.65	3216.30	3450.34	3399
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	2646	2805	2955	2900	2977
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	2639.52	2810.70	2954.60	2899.80	2883
	(ख) तेल (किलोकेलोरीज/ केडब्ल्यूएच) 1(6)x2(6)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	67.078	169.455	317.161	126.031	296
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	30.53	59.72	126.59	59.57	81
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	38.69	47.62	54.47	36.31	57
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	16.00	31.00	21.00	18.00	19
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	7.64	12.90	24.11	14.58	15
4	कुल उपयुक्त ताप (किलोकेलोरीज/ केडब्ल्यूएच) 3(क)+3(ख)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	3125.952	3415.607	3705.241	3877.531	4895
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	2809.65	3331.86	3516.16	3547.41	3807
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	2790.32	2945.27	3270.77	3486.65	3456
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	2662.00	2836.00	2976.00	2918.00	2996
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	2647.16	2823.60	2978.71	2914.38	2896

5	प्राप्त ताप क्षमता(%) [860x100/ एचआर]	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	27.51	25.18	23.21	22.18	17.57
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	30.61	25.81	24.46	24.24	22.59
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	30.82	29.20	26.29	21.66	24.88
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	32.31	30.32	28.90	29.47	28.71
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	32.49	30.46	28.87	29.51	29.68
6	निरूपित ताप दक्षता पर ताप की खपत (किलोकलोरीज/ केडब्ल्यूएच)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	2418	2418	2418	2418	2418
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	2093	2093	2093	2093	2093
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	2255	2255	2255	2255	2255
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	2610	2610	2610	2610	2610
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	2422	2422	2422	2422	2422
7	मानदण्ड केलोरिफिक वेल्यू (सीवी)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	5380	5380	5380	5380	5380
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	4222	4222	4222	4222	4222
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	5112	5112	5112	5112	5112
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	4750	4750	4750	4750	4750
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	4500	4500	4500	4500	4500
8	न्यून ताप दक्षता के कारण अधिक ताप की खपत (किलोकलोरीज/ केडब्ल्यूएच) (4-6)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	707.952	997.607	1287.241	1459.531	2477
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	716.65	1238.86	1423.16	1454.41	1714
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	535.32	690.27	1015.77	1231.65	1201
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	52.00	226.00	366.00	308.00	386
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	225.16	401.60	556.71	492.38	476
		योग	2237.082	3554.337	4648.881	4945.971	6254.00
9	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	248.18	180.96	109.77	227.11	184.14
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	1049	969	881	1216	986.14
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	2102	1972	1990	2198	2116.71
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	2521	2450	2846	2712	2696.19
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	3094	2781	2480	2979	2906.31
10	उपयुक्त अधिकताप (मिलियन किलो कलोरीज) (8x9)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	175699.53	180526.96	141300.44	331474.08	456114.78
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	751765.85	1200455.34	1253803.96	1768562.56	1690243.96
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	1125242.64	1361212.44	2021382.30	2707166.70	2542168.71
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	131092.00	553700.00	1041636.00	835296.00	1040729.34
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	696645.04	1116849.60	1380640.80	1466800.02	1383403.56
		योग	2880445.06	4412744.34	5838763.50	7109299.36	7112660.35
11	कोयले की अधिक खपत (मिलियन किलोग्राम) (10/7)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	32.66	33.56	26.26	61.61	84.78
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	178.06	284.33	296.97	418.89	400.34
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	220.12	266.28	395.42	529.57	497.29
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	27.60	116.57	219.29	175.85	219.10
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	154.81	248.19	306.81	325.96	307.42
		योग	613.25	948.93	1244.75	1511.88	1508.93
12	कोयले की औसत दर (रुपये प्रति मीट्रिक टन)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	688.00	688.00	736.00	770.00	770.00
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	688.00	688.00	770.00	770.00	770.00
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	799.00	799.00	835.00	956.00	956.00
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	799.00	799.00	835.00	956.00	956.00
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	799.00	799.00	835.00	956.00	956.00

**31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)**

13	कोयले का मूल्य (करोड रुपये में) (11 X 12)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	2.25	2.31	1.93	4.74	6.53
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	12.25	19.56	22.87	32.25	30.83
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	17.59	21.28	33.02	50.63	47.54
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र II	2.21	9.31	18.31	16.81	20.95
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र III	12.37	19.83	25.62	31.16	29.39
		योग	46.67	72.29	101.75	135.59	135.24

**सारांश**

विभागीय कार्यालय		विभागीय कार्यालय	विभागीय कार्यालय	विभागीय कार्यालय
1999-2000 से 2003-04	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र	I	1285115.79	238.87
		II	6664831.67	1578.59
1999-2000 से 2003-04	सतपुड़ा-ताप विद्युत केन्द्र	I	9757172.79	1908.68
		II	3602453.34	758.41
		III	6044339.02	1343.19

## परिशिष्ट-13

(कण्डिका 3.6 में संदर्भित)

1999-2004 के वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत केन्द्रों में परिवहन के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से कोयले की प्राप्ति

## 1. सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, सारणी (लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	रेल द्वारा	सड़क द्वारा	वेल्ट द्वारा	योग
1999-2000	26.80	20.42	14.70	61.92
2000-01	32.56	17.58	13.18	63.32
2001-02	35.24	13.70	13.72	62.66
2002-03	40.95	13.18	14.18	68.31
2003-04	39.31	15.03	13.62	67.96

## 2. अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र, चचाई

वर्ष	रेल द्वारा	सड़क द्वारा	वेल्ट द्वारा	योग
1999-2000	7.64	--	--	7.64
2000-01	8.76	--	--	8.76
2001-02	7.85	--	--	7.85
2002-03	7.97	--	--	7.97
2003-04	11.38	--	--	11.38

## 3. संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र, वीरसिंगपुर

वर्ष	रेल द्वारा	सड़क द्वारा	वेल्ट द्वारा	योग
1999-2000	25.52	--	--	25.52
2000-01	40.30	--	--	40.30
2001-02	35.22	--	--	35.22
2002-03	43.64	--	--	43.64
2003-04	40.44	--	--	40.00

## परिशिस्ट-14

(कण्डिका 3.8.1 में संदर्भित)

## मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत गृहों में तेल की अधिक खपत

	वर्गीकरण	प्रयोग का उपयोग	1999- 2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
			3	4	5	6	7
1	मानदण्ड के अनुसार तेल की खपत(3.5मिलि/केडब्ल्यूएच)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	868.63	633.39	384.20	794.89	644.49
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II		3391.50	3083.50	4256.00	3451.49
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	7357	6902	6965	7693	7408.49
2	वास्तविक खपत (कि.लि.)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	1598.28	2944.22	3342.50	2748.03	4116.50
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	--	5474.17	10594.20	6856.54	6976.00
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	8205	9457.00	10924.00	8045.00	12292.77
3	अधिक खपत (कि.लि.)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	729.65	2310.86	2958.30	1953.14	3472.01
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	--	2082.67	7510.70	2600.54	3524.51
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	848	2555	3959	352	4884.28
4	विद्युत का सकल उत्पादन (भिलियन यूनिट)	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	248.18	180.96	109.77	227.11	184.14
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	--	969	881	1216	986.14
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	2102	1972	1990	2198	2116.71
5	अधिक खपत का मूल्य (करोड़ रुपयों में) 15/- रुपये प्रति लिटर की दर से	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	1.09	3.47	4.44	2.93	5.21
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	--	3.12	11.27	3.90	5.29
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	1.27	3.83	5.94	0.53	7.33
6	तेल की अधिक खपत की प्रतिशतता	अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	84	364.86	769.99	245.71	538.72
		अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	--	61.41	243.58	61.10	102.12
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	11.53	37.02	56.84	4.58	65.93

## सारांश

## अधिक खपत का मूल्य (करोड़ रुपयों में)

अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र I	1.09	3.47	4.44	2.93	5.21	17.14
अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र II	--	3.12	11.27	3.90	5.29	23.58
सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र I	1.27	3.83	5.94	0.53	7.33	18.90

## परिशिष्ट-15

(कण्ठिका 4.5.2 में संदर्भित)

## देय तिथि से 31 मार्च 2004 तक का ब्याज का विवरण पत्र

संख्या	नाम	देय तिथि	ब्याज की दर	ब्याज का राशि				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	मुम्बई जिला सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई	26-03-1998	20-03-2002	24	16	4	1000	80.00
		29-05-1998	20-03-2002	24	16	4	3000	240.00
		06-08-1999	06-08-2002	19	16	4	5000	316.67
2.	बांधे मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक मर्यादित, मुम्बई	20-10-1999	01-05-2001	34	15.5	3.5	400	39.67
		08-12-1999	01-05-2001	34	15.5	3.5	500	49.58
		16-12-1999	01-05-2001	34	15.5	3.5	500	49.58
		05-01-2000	01-05-2001	34	15.5	3.5	500	49.58
3.	एपेक्स कोआपरेटिव बैंक आफ महाराष्ट्र एवं गोआ लिमिटेड, मुम्बई	21-11-1998	21-11-2001	28	16.5	4.5	1000	105.00
		09-12-1998	09-12-2001	27	16.5	4.5	1000	101.25
		12-01-1999	12-01-2002	26	16.5	4.5	1000	97.50
		23-01-1999	28-01-2002	26	16.5	4.5	2000	195.00
		02-07-1999	02-07-2002	21		4.5	500	39.36
4.	उ.प्र. सज्ज वृष्टि एवं ग्राम विकास निगम ईसीपीएफ द्रस्ट, लखनऊ	22-05-2000	22-05-2003	--	--	--	300	निरंक
5.	मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम	16-07-1999	30-11-2000	40	14	2	400	26.67
		16-08-1999	30-11-2000	40	14	2	250	16.67
		03-11-1999	30-11-2000	40	14	2	400	26.67
		07-03-2000	07-03-2001	36	14	2	350	21.00

**परिशिष्ट-16**

(कण्डिका 4.6.4 में संदर्भित)

**मध्यप्रदेश राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 30 सितम्बर 2004 को बकाया  
लेखाओं की स्थिति**

संख्या	लेखापरीका विभाग कार्यालय	वर्ष	उपक्रमों की संख्या	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
1.	मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	2003-04	1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
2.	इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड, ग्वालियर	2003-04	1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
3.	मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, मर्यादित, भोपाल	2003-04	1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
4.	मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, मर्यादित, भोपाल	2003-04	1	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
5.	मध्यप्रदेश निर्यात निगम, मर्यादित, भोपाल	2003-04	1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
6.	मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, मर्यादित, भोपाल	2003-04	1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
7.	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, मर्यादित, भोपाल	2003-04	1	वन विभाग
8.	मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम, मर्यादित भोपाल	2003-04	1	खनन विभाग
9.	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित, जबलपुर	2003-04	1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
10.	मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, मर्यादित भोपाल	2003-04	1	ऊर्जा विभाग
11.	मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम, मर्यादित भोपाल	2002-03	2	गृह (पुलिस) विभाग
12.	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित, इंदौर	2002-03	2	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
13.	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मर्यादित भोपाल	2002-03	2	पर्यटन विभाग
14.	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित भोपाल	2002-03	2	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
15.	दी प्रोविडेन्ट इनवेस्टमेन्ट कम्पनी मर्यादित, मुम्बई	2002-03	2	वित्त विभाग
16.	मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, मर्यादित, भोपाल	2001-02	3	कृषि विभाग
17.	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित, रीवा	2001-02	3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

18.	मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित, भोपाल	2001-02	3	ग्रामीण उद्योग विभाग
19.	मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल	2000-01	4	अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
20.	मध्यप्रदेश पिछऱा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल	1998-99	6	अल्प संख्यक कल्याण विभाग
<b>(प्रत्येक वर्ष मर्यादित)</b>				
1.	मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र मर्यादित, जबलपुर	1990-91	14	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
<b>(प्रत्येक वर्ष मर्यादित)</b>				
1.	मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित, भोपाल	-	-	संस्कृति विभाग
2.	मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम, भोपाल	2003-04	1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3.	मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम, मर्यादित भोपाल	2002-03	2	कृषि विभाग
4.	मध्यप्रदेश उद्धहन सिङ्हाई निगम, मर्यादित, भोपाल	1992-93	12	जल संसाधन विभाग
5.	मध्यप्रदेश राज्य सेतु निगम, मर्यादित, भोपाल	1990-91	14	लोक निर्माण विभाग
6.	ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड, मण्डीदीप	2003-04	1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
7.	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम, मर्यादित, भोपाल	2003-04	1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
8.	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मर्यादित, भोपाल	2002-03	2	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
9.	मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम, मर्यादित, भोपाल	1995-96	9	ग्रामीण उद्योग विभाग

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जिससे लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या	प्रशासनिक विभाग
ग.	सांविधिक निगम			
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर	2001-02	3	ऊर्जा विभाग
2.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम, भोपाल	2003-04	1	परिवहन विभाग
3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर	2002-03	2	वित्त विभाग
4.	मध्यप्रदेश राज्य वैयरहॉउसिंग लॉजिस्टिक्स निगम, भोपाल	2003-04	1	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
योग			7	

## कण्डिका -17

(कण्डिका 4.6.4 में संदर्भित)

### अध्ययन के लिये चयनित छः सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं की अवधि दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	कार्यशील कम्पनियाँ	बकाया लेखाओं की अवधि
1.	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	2001-02 से 2003-04
2.	मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	2000-01 से 2003-04
3.	मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित	2001-02 से 2003-04
4.	मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अत्य संख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	1998-99 से 2003-04
अकार्यशील कम्पनियाँ		
5.	मध्यप्रदेश राज्य चर्म विकास निगम मर्यादित	1995-96 से 2003-04
6.	मध्यप्रदेश उद्घन सिंचाई निगम मर्यादित	1992-93 से 2003-04

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

### परिशिष्ट -18

(कण्डिका 4.6.6 में संदर्भित)

#### सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलम्ब

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	लेखावर्ष	संचालक मण्डल द्वारा लेखाओं के अनुमोदन की तिथि	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणन की तिथि	विलम्ब समय (महीनों में)
<b>कार्यशील कम्पनियाँ</b>					
1.	मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	1994-95	सितम्बर 1995	सितम्बर 1996	12
		1995-96	अगस्त 1997	अप्रैल 1999	21
		1997-98	दिसम्बर 2000	फरवरी 2001	2
		1998-99	दिसम्बर 2000	अप्रैल 2002	16
2.	मध्यप्रदेश पिछ़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	1997-98	अप्रैल 2002	सितम्बर 2002	5
<b>अकार्यशील कम्पनियाँ</b>					
3.	मध्यप्रदेश राज्य चर्म विकास निगम मर्यादित	1990-91	मार्च 1996	जुलाई 1997	16
		1992-93	मई 1998	सितम्बर 1998	4
		1994-95	मार्च 2000	मार्च 2002	24

**परिशिष्ट -19**

(कण्डिका 4.6.7 में संदर्भित)

**सचालक मण्डल द्वारा लेखाओं के अनुमोदन में विलम्ब**

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन का माह	विलम्ब समय दो लेखाओं के अनुमोदन मध्य लिया गया समय (माहों में)
	कार्यशील कम्पनियाँ			
1.	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	1996-97	जनवरी 1999	-
		1997-98	दिसम्बर 1999	11
		1998-99	अक्टूबर 2000	10
		1999-2000	जनवरी 2002	15
		2000-01	नवम्बर 2002	10
2	मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	1994-95	सितम्बर 1995	
		1995-96	अगस्त 1997	23
		1996-97	मई 2000	33
		1997-98	दिसम्बर 2000	7
3	मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित	1994-95	मार्च 1999	
		1995-96	फरवरी 2000	11
		1996-97	मार्च 2001	13
		1997-98	फरवरी 2002	11
		1998-99	अप्रैल 2003	14
4	मध्यप्रदेश पिठौड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	1994-95	फरवरी 1999	
		1995-96	फरवरी 2000	12
		1996-97	अक्टूबर 2001	20
		1997-98	अप्रैल 2002	6
	अकार्यशील कम्पनियाँ			
5	मध्यप्रदेश राज्य चर्म विकास निगम मर्यादित	1990-91	मार्च 1996	
		1991-92	नवम्बर 1997	20
		1992-93	मई 1998	6
		1993-94	मार्च 1999	10
		1994-95	मार्च 2000	12
6	मध्यप्रदेश उद्धन सिंचाई निगम मर्यादित	1987-88 ( जुलाई 1987 से फरवरी 1988)	जनवरी 1997	
		1988-89 ( फरवरी 1989)	मई 2001	52
		1989-90 ( फरवरी 1990)	जनवरी 2002	8
		1990-91 ( फरवरी 1991)	मार्च 2003	14
		1991-92 ( फरवरी 1992)	अक्टूबर 2003	7

**परिशिष्ट -20**

(कण्डिका 4.6.8 में संदर्भित)

**नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अभ्युक्तियों के उपरान्त वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित करने में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण पत्र**

क्रम संख्या	कम्पनी के नाम	लेखावर्ष	अभ्युक्तियाँ जारी होने की तिथि	वार्षिक साधारण सभा बैठक की तिथि	विलम्ब समय (दिनों में)
<b>कार्यशील कम्पनियाँ</b>					
1.	मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल	1996-97	06 जुलाई 1999	16 अगस्त 1999	41
		1997-98	18 मार्च 2000	12 जून 2000	86
		1998-99	16 फरवरी 2001	24 मार्च 2001	36
		1999-2000	24 मार्च 2002	06 मई 2002	44
2.	मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल	1995-96	06 जनवरी 2000	24 मार्च 2000	78
		1996-97	23 नवंबर 2000	25 जनवरी 2001	63
		1997-98	09 नवंबर 2001	11 दिसंबर 2001	32
		1998-99	03 फरवरी 2003	26 मई 2003	112
3.	मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित, भोपाल	1994-95	26 मई 1999	07 जुलाई 1999	42
		1995-96	13 जून 2000	25 जुलाई 2000	42
		1998-99	22 अगस्त 2003	06 अक्टूबर 2003	45
4.	मध्यप्रदेश पिछळा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल	1994-95	24 मई 1999	19 अगस्त 1999	87
		1995-96	19 अप्रैल 2000	26 जुलाई 2000	98
		1996-97	09 नवंबर 2001	11 फरवरी 2002	92
<b>अकार्यशील कम्पनियाँ</b>					
5.	मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित, भोपाल	1990-91	04 अगस्त 1997	30 दिसंबर 1997	148
		1991-92	27 फरवरी 1998	22 जून 1998	115
		1992-93	10 मार्च 1999	28 मई 1999	79
		1993-94	09 अगस्त 1999	04 दिसंबर 1999	117
6.	मध्यप्रदेश उद्धन सिचाई निगम मर्यादित, भोपाल	1987-88	31 मार्च 1997	18 अगस्त 1998	505
		1989-90	24 अप्रैल 2002	07 अगस्त 2002	105
		1990-91	28 जुलाई 2003	30 अगस्त 2003	33

(कण्डिका 4.10.3 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों, लेखापरीक्षित इकाईयों, स्थापित लेखापरीक्षा दलों तथा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा पर किये गये व्यय का विवरण पत्र

	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-2002	2002-03	2003-04
क	इकाईयां	1.	2.	3.	4.	5.
I.	राजस्व इकाईयां					
	नगर संभाग सहित वितरण कक्ष					
	लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां	1259	1008	1009	1050	1056
	लेखापरीक्षित इकाईयां	891	766	447	272	288
	लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रतिशत	70.77	75.99	44.30	25.90	27.27
	क्षेत्रिय लेखा कार्यालय (ओ.एण्ड.एम.)					
	लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां	28	28	22	22	22
	लेखापरीक्षित इकाईयां	25	28	17	14	9
	लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रतिशत	89.29	100	77.27	63.64	40.91
II.	व्यय इकाईयां- संभाग					
	लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां	400	400	376	455	455
	लेखापरीक्षित इकाईयां	152	94	71	59	27
	लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रतिशत	38	23.5	18.88	12.97	5.93
III.	समग्र					
	लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां	1687	1436	1407	1527	1533
	लेखापरीक्षित इकाईयां	1068	888	535	345	324
	लेखापरीक्षा योग्य में से लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रतिशत	63.31	61.84	38.02	22.59	21.14
ख.	लेखापरीक्षा दलों की तैनाती					
	संस्थाकृत	50	50	42	42	31
	तैनात	45	45	26	18	15
	प्रतिशत	90	90	62	43	48

ग	आय (लाख रुपयों में)	576383.47	599302.05	517995.91	546250.36	अनुपलब्ध
घ	व्यय (लाख रुपयों में )	710447.12	738232.86	655127.45	561679.61	अनुपलब्ध
ङ	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा पर व्यय (लाख रुपयों में)	358.79	360.51	414.21	417.41	अनुपलब्ध
च	मण्डल के आय एवं व्यय के प्रति एक लाख रुपये पर आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का व्यय	27.88	26.95	35.30	37.67	अनुपलब्ध

टिप्पणियां: 1 2000-01 के व्यय आंकड़े 14 अप्रैल 2001 तक हैं।

2 2001-02 एवं 2002-03 के व्यय आंकड़े अनन्तिम हैं।

## परिशिष्ट -22

(कण्डिका 4.13.5 में संदर्भित)

### 1999-2004 के दौरान मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम में टायरों के उपयोग का विवरण पत्र

क्र. संख्या	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	उपयोग में लाये गये नये टायर	10,693	11,716	12,339	10,040	66,57
2.	उपयोग में लाये गये रिट्रीड टायर	20,977	21,886	21,942	18,288	13,322
3.	रिट्रीडेबल फैक्टर	1:1.94	1:1.87	1:1.78	1:1.82	1.2
4.	प्राप्त औसत जीवन नये टायर (किलोमीटर) रिट्रीड किये गये टायर (किलोमीटर)	42,392 26,819	39,910 27,188	42,307 26,970	42,021 26,459	41,605 27,848

#### टायरों के जीवन के मानक प्राप्त न किये जाने के कारण अधिक व्यय

वर्ष	परिचालित किलोमीटर (लाख में)	101000(45000+56000)* किलोमीटर के मानक के अनुसार आवश्यक टायरों की संख्या	उपयोग में लाये गये नये टायर	उपयोग में लाये गये नये टायरों की संख्या
2000-01	1,969.16	11,698	11,716	18
2001-02	1,897.23	11,270	12,339	1,069
2002-03	1,554.90	9,219	10,040	821
<b>Total</b>	<b>5,421.29</b>	<b>32,187</b>	<b>34,095</b>	<b>1,908</b>

**टिप्पणी:** नये टायर की औसत लागत: 6,322 रुपये

अतिरिक्त व्यय = 120.62 लाख रुपये

(1,908 गुणित 6,322)

---

101,000 किलोमीटर = 45000 किलोमीटर + 56000 किलोमीटर (प्रति रिट्रीडिंग 28000 किलोमीटर)

**परिशिष्ट -23**

(कण्डिका 4.13.6 में संदर्भित)

**1999-2004 के दौरान मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम में टायरों को रद्द किये जाने का विवरण पत्र**

वर्ष (1)	खपत (संख्या) (2)	रद्द किये गये टायर		रद्द करने का प्रतिशत (5)
		संख्या (3)	प्राप्त माइलेज (लाख किलोमीटर में) (4)	
1999-2000	10693	1046	464.03	9.78
2000-01	11716	1311	531.64	11.19
2001-02	12339	1208	557.75	9.79
2002-03	10040	904	429.98	9.09
2003-04	6657	420	188.28	6.3
योग	51445	4889	2171.68	

टायरों का जीवन @ 1.01 लाख किलोमीटर प्रति टायर 4937.89  
गुणित 4889 की दर पर प्राप्त होगा (लाख किलोमीटर में)

माइलेज में कमी (4937.89 घटाव 171.68) (लाख किलोमीटर में) 2766.21

परिशिष्ट -24

(काण्डिका 4.13.10 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश सङ्क परिवहन निगम में रिट्रीव रबर का ऊंची लागत पर फुटकर कर्य किये जाने के कारण हुये अतिरिक्त व्यय का विवरण पत्र

### परिशिष्ट -25

(कण्डिका 4.14 में संदर्भित)

#### बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं का विवरण पत्र

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	विगत वर्ष जबसे कंडिकाएं बकाया हैं
1.	ऊर्जा	02	1212	2769	1985-86
2.	परिवहन	01	312	851	1986-87
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	13	73	339	1985-86
4.	खनिज स्रोत	01	07	59	1994-95
5.	जनजाति कल्याण	01	06	35	1994-95
6.	पर्यटन	01	08	45	1998-99
7.	गृह	01	10	72	1990-91
8.	ग्रामोद्योग	02	15	84	1988-89
9.	कृषि	01	10	63	1990-91
10.	अल्पसंख्यक कल्याण	01	03	07	2000-01
11.	वन	01	05	47	1998-99
12.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	02	15	88	1992-93
13.	वित्त	03	09	34	1999-2000
14.	लोक निर्माण	01	06	26	1985-86
	योग	31	1691	4519	

#### प्रारूप कंडिकायें जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	ऊर्जा	07	अप्रैल से अगस्त 2004
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	10	मई से जुलाई 2004
3.	गृह	02	मई से जुलाई 2004
4.	परिवहन	02	मई से जुलाई 2004
5.	पर्यटन	01	जुलाई 2004
	योग	22	